SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

राजस्थान सरकार - 2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
मार्च 2024 को समाप्त हुई अवधि के लिए
राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर
निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार

2026 का प्रतिवेदन संख्या 4

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

विषय	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
प्राक्कथन		v
कार्यकारी सारांश		vii
अध्याय–1: परिचय		
स्वच्छ पेयजल-एक बुनियादी आवश्यकता	1.1	1
राज्य में पेयजल की स्थिति	1.2	1
जल जीवन मिशन-पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य	1.3	2
जेजेएम के उद्देश्य	1.4	3
जेजेएम के घटक	1.5	4
संस्थागत तंत्र	1.6	4
जेजेएम की भौतिक प्रगति	1.7	6
वित्तीय प्रबंधन	1.8	6
लेखापरीक्षा उद्देश्य	1.9	7
लेखापरीक्षा मानदंड	1.10	8
लेखापरीक्षा नमूना-चयन	1.11	8
लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कवरेज	1.12	8
आभार	1.13	9
अध्याय–2: जल जीवन मिशन का आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क		
हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना	2.1	11
आउटकम	2.2	22
निष्कर्षों का सारांश	2.3	25
सिफारिशें	2.4	26
अध्याय–3: योजना एवं निगरानी		
ग्रामों में जेजेएम योजनाओं के नियोजन में बॉटम-अप पद्धति को नहीं अपनाया जाना	3.1	27
तीन वितरण बिंदुओं पर नल कनेक्शनों हेतु अपर्याप्त योजना	3.2	28

विषय	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन एवं कार्यप्रणाली	3.3	29
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन एवं कार्यप्रणाली	3.4	32
ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं कार्यप्रणाली	3.5	34
निष्कर्षों का सारांश	3.6	37
सिफारिशें	3.7	37
अध्याय-4: परिचालन-उपरांत प्रबंधन एवं सततता		
राज्य में भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति	4.1	39
जेजेएम के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग	4.2	40
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का अभाव	4.3	41
ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल मूल्य/टैरिफ निर्धारित किए जाने तथा जल राजस्व वसूल किये जाने का अभाव	4.4	42
जेजेएम के क्रियान्वयन में स्रोत सततता उपायों को न अपनाया जाना	4.5	43
पूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं को ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित न किया जाना	4.6	44
'हर घर जल' स्थिति वाले ग्रामों की रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण न किया जाना	4.7	45
आवश्यक शर्तों की पूर्ति किए बिना ग्रामों का प्रमाणीकरण	4.8	46
जेजेएम के अंतर्गत 'नल जल मित्र' कार्यक्रम का आंशिक क्रियान्वयन	4.9	46
निष्कर्षों का सारांश	4.10	47
सिफारिशें	4.11	48
अध्याय-5: वित्तीय प्रबंधन		
राज्य में जेजेएम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग की धीमी गति के कारण कम केंद्रीयांश जारी होना	5.1	49
एसएनए का पीएफएमएस से मैपिंग नही होना	5.2	51
खण्डों द्वारा किए गए ₹ 133.22 करोड़ के विफल भुगतान लेन-देन	5.3	52

विषय	संदर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ
राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा लेखापरीक्षा नही किया जाना	5.4	52
अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण नही होना	5.5	53
सामुदायिक अंशदान	5.6	54
अस्वीकार्य व्यय	5.7	55
कार्य की गलत मात्रा एवं आधार सूचकांकों के आधार पर मूल्य विचलन की गणना	5.8	57
निष्कर्षों का सारांश	5.9	58
सिफारिशें	5.10	58
अध्याय-6: जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण		
'जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियां' घटक पर व्यय	6.1	61
जल गुणवत्ता परिदृश्य	6.2	62
प्रयोगशालाओं में कार्मिकों की अपर्याप्तता	6.3	64
डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना	6.4	65
जल गुणवत्ता के लिए स्रोतों के परीक्षण में कमी	6.5	66
ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं (बीएलएल) की स्थापना नहीं किया जाना	6.6	69
'स्वच्छ जल से सुरक्षा' अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति का अभाव	6.7	70
निष्कर्षों का सारांश	6.8	72
सिफारिशें	6.9	72
अध्याय-7: कार्यों का उपापन एवं निष्पादन		
निविदाएं निरस्त करने के लगातार अविवेकपूर्ण निर्णय	7.1	73
जल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएँ	7.2	77
निष्कर्षों का सारांश	7.3	90
सिफारिशें	7.4	91

परिशिष्ट		
परिशिष्ट संख्या	**विषय**	**पृष्ठ**
1	नमूना-जांच हेतु चुने गए जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की सूची	93
2	अनिवार्य शर्तों को पूर्ण किए बिना गांवों के प्रमाणीकरण का विवरण-पत्र	95
3	जेजेएम की सहायता निधि से कर्मचारियों के वेतन सम्बंधित अस्वीकार्य व्यय का विवरण-पत्र	96
4	मूल्य विचलन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	99
5	जेजेएम की चयनित योजनाओं में संविदा अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्य की आनुपातिक प्रगति को बनाए न रखने के कारण क्षतिपूर्ति का आरोपण नही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	102
6	तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा पूर्व-जांच के बिना, संवेदको को रनिंग बिलों के अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	103
7	माप पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य और वास्तव में प्रस्तुत बीजक के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	105
8	संवेदक को संदिग्ध भुगतान को दर्शाने वाले 12 बीजकों का विवरण-पत्र	107
9	ई-वे बिल पोर्टल पर भिन्न गंतव्य स्थान वाले बीजकों/ई-वे बिल विवरण के अभाव का विवरण-पत्र	108
10	जीएसटी ई-इन्वॉइस सत्यापन पोर्टल की तुलना में भिन्न आईआरएन वाले बीजकों का विवरण-पत्र	109
11	भिन्न संवेदकों के नाम वाले बीजकों का विवरण-पत्र (मेसर्स विष्णु इंफ्रास्ट्रक्चर (जीएसटी संख्या 08AAIFV0667L1ZN))	111

प्राक्कथन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत राजस्थान के राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत करने हेतु 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन तैयार किया गया है।

'राजस्थान में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन' पर यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971, समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, के अंतर्गत की गई है।

यह प्रतिवेदन अगस्त 2019 से मार्च 2024 की अवधि की निष्पादन लेखापरीक्षा के परिणामों को समाहित करता है।

यह निष्पादन लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संपादित की गई है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

परिचय

स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता मानव जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.40 प्रतिशत भाग आच्छादित करता है। राज्य के कुल सतही जल संसाधन देश के कुल सतही जल संसाधनों का केवल 1.16 प्रतिशत ही हैं। अल्प वर्षा तथा सिंचाई एवं पेयजल हेतु भू-जल के अत्यधिक दोहन के कारण भूजल स्तर चिंताजनक रूप तक घट गया है।

जल जीवन मिशन एक फ्लैगशिप योजना है, जिसे 15 अगस्त 2019 को प्रत्येक ग्रामीण परिवार को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। योजना के प्रारम्भ के समय राजस्थान में 96,06,728 परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 07 जनवरी 2025 तक कुल 47,65,980 परिवारों (49.61 प्रतिशत) को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 48,40,748 परिवार (50.39 प्रतिशत) अभी भी समावेशित किए जाने शेष हैं।

जल जीवन मिशन का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क

जल जीवन सर्वेक्षण में अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान राजस्थान का स्थान 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 30वें से 34वें स्थान के बीच रहा। अप्रैल 2024 तक, राज्य के जल गुणवत्ता से प्रभावित आधे से अधिक बसावट क्षेत्र जेजेएम के अंतर्गत अब भी समावेशित नहीं हो पाए थे तथा कमजोर जनजातीय क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पिछड़े ब्लॉक, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में प्रगति धीमी रही है। यद्यपि स्वास्थ्य केंद्रों (73.68 प्रतिशत), पंचायत घरों (87.27 प्रतिशत) तथा आश्रमशालाओं (66.00 प्रतिशत) में क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन का अपेक्षाकृत अधिक समावेशन प्राप्त हुआ है, तथापि विद्यालयों (41.12 प्रतिशत) एवं आंगनवाड़ी केंद्रों (44.80 प्रतिशत) में समावेशन निम्न स्तर पर बना हुआ है। क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन के कम समावेशन के प्रमुख कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग, आदि रहे।

जनवरी 2025 तक, राजस्थान के 302 ब्लॉक में से केवल एक ही 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर सका था। इसके अतिरिक्त, राज्य में केवल 400 ग्राम पंचायतें (3.56 प्रतिशत) तथा 4,254 ग्राम (10.05 प्रतिशत) ही 'हर घर जल' प्रमाणन प्राप्त कर पाए थे। यह पूरे राज्य में प्रमाणन की धीमी प्रगति को प्रदर्शित करता है।

राज्य ने जेजेएम के अंतर्गत घरेलू जल मीटर स्थापित करने हेतु कोई प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, परिवारों को वास्तविक रूप से आपूर्ति किए जा रहे जल की मात्रा की निगरानी हेतु कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण समुदायों के स्वास्थ्य पर प्रभाव, महिलाओं के सशक्तिकरण, बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की दर तथा रोजगार में वृद्धि जैसे पहलुओं पर जेजेएम के प्रभाव का आंकलन करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) द्वारा कोई मूल्यांकन अध्ययन भी नहीं कराया गया।

स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, जेजेएम के अंतर्गत समावेशित गाँवों में सामाजिक लेखापरीक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई संस्थागत व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। न तो इस संबंध में कोई दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए गए और न ही सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु किसी तृतीय पक्ष/गैर-सरकारी संगठन को नामित किया गया।

सिफारिशें:

- ***राज्य सरकार जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से, नियमित समीक्षा सहित, प्राथमिकता प्रदान कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार, जेजेएम की परिचालन निर्देशिका की परिकल्पना अनुसार, स्वास्थ्य परिणामों, श्रमभार में कमी, बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति तथा आजीविका पर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, निर्धारित अंतराल पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों को प्रारम्भ करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति को निर्देश दे सकती है।***

- ***राज्य सरकार निगरानी एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशील फ्लो मीटरों/घरेलू मीटरों की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है तथा नियमित मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षायें करवा सकती है।***

- ***राज्य सरकार जेजेएम के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जिनमें क्षेत्राधिकार, आवृत्ति, ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी की भूमिकाएँ तथा प्रतिवेदन प्रारूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।***

आयोजना एवं निगरानी

चयनित 28 ग्रामों में से 24 ग्रामों में ग्राम कार्य योजनाएँ, राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के 19 दिनों से लेकर 17 माह बाद तक तैयार की गई, जिससे बॉटम-अप योजना निर्माण का मूल उद्देश्य ही निष्फल हो गया। ये समय-सीमाएँ ग्राम समुदाय स्तर पर योजना निर्माण के अभाव को दर्शाती हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन ने प्रोत्साहन, संचालन एवं रख-रखाव तथा जल की बर्बादी को हतोत्साहित करने से संबंधित आवश्यक नीतियों को लागू नहीं किया। जिला जल एवं स्वच्छता मिशन द्वारा भी चयनित ग्रामों में अनिवार्य प्रमुख दायित्वों जैसे कि स्रोत सततता तथा ग्रे-वाटर प्रबंधन हेतु प्रावधान करना, का निर्वहन नहीं किया। अप्रैल 2024 तक, राज्य के 3,910 ग्रामों (9.32 प्रतिशत) में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रामों की 12 पूर्ण परियोजनाओं में से केवल दो परियोजनाएँ ही ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित की गई, तथा केवल 10 चयनित ग्राम ही निर्धारित न्यूनतम सेवा प्रदाय स्तर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन, प्राप्त कर सके। साथ ही, चयनित ग्रामों में से

13 ग्रामों में सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया गया, और अन्य 13 चयनित ग्रामों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों द्वारा एकत्रित अंशदान का उपयोग नहीं किया गया। चयनित ग्रामों में से 21 ग्रामों में महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया तथा 17 ग्रामों में जल स्रोत की गुणवत्ता परीक्षण भी नहीं किया गया।

सिफारिशें:

- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि डीपीआर के अनुमोदन से पूर्व ग्राम कार्य योजनाएँ समयबद्ध रूप से तैयार की जाए एवं योजना की डिजाईन एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।***

- ***राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि संचालन एवं रख-रखाव, उपभोक्ता शुल्क तथा प्रोत्साहन/निरुत्साहन तंत्र से संबंधित प्रमुख नीतियों को अविलंब अंतिम रूप प्रदान किया जाए।***

- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित प्रतिनिधित्व के अनुरूप किया जाए, उन्हें वित्तीय प्रबंधन एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने हेतु सशक्त बनाया जाए।***

परिचालन-उपरांत प्रबंधन एवं सततता

वर्ष 2017-24 के दौरान, भू-जल पुनर्भरण के आधार पर वर्गीकृत अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या 185 (62.71 प्रतिशत) से बढ़कर 214 (70.86 प्रतिशत) हो गई, जबकि सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या 45 (15.25 प्रतिशत) से घटकर 37 (12.25 प्रतिशत) रह गई, जो एक चिंताजनक रुझान को दर्शाता है। वर्ष 2024 तक केवल 12.25 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में शेष रहने के कारण राज्य दीर्घकालिक जल सुरक्षा के लिए गंभीर जोखिम का सामना कर रहा है। यह स्थिति सतत जल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भू-जल पुनर्भरण को सुदृढ़ करने, भू-जल दोहन के विनियमन तथा व्यवस्थित निगरानी की आवश्यकता को रेखांकित करती है। विभाग द्वारा किसी भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना के लिए जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का आयोजन नहीं कराया गया। परिणामस्वरूप, रिसाव से होने वाली जल हानि, अनधिकृत अथवा अवैध जल निकासी तथा ऊर्जा उपयोग में अक्षमताओं से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की पहचान एवं रोकथाम नहीं हो सकी।

भू-जल पर निर्भर चयनित नौ ग्रामों में या तो पुनर्भरण संरचनाओं का कोई प्रावधान नहीं था अथवा संरचनाओं का निर्माण नहीं किया गया। जेजेएम के अंतर्गत, विशेषकर भू-जल आधारित योजनाओं के लिए स्रोत सततता उपायों की आयोजना एवं क्रियान्वयन का अभाव, निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन न होने को दर्शाता है। ट्यूबवेल पर निर्भर ग्रामों में पुनर्भरण संरचनाएँ उपलब्ध न कराना, साथ ही स्वीकृत प्रावधानों का क्रियान्वयन न करना, जलापूर्ति प्रणालियों के स्रोत के ह्रास के जोखिम के प्रति अनावृत्त करता है। इससे पेयजल आपूर्ति की दीर्घकालिक विश्वसनीयता कमजोर होती है, मौसमी जल-अभाव के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है तथा मिशन के सततता संबंधी उद्देश्यों से समझौता होता है।

राज्य में जेजेएम के अंतर्गत केवल 858 योजनाएँ (30.81 प्रतिशत) ही आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित की गई। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव पर व्यय की वसूली के लिए कोई जल शुल्क संरचना तथा बिलिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

निर्धारित 45,000 के लक्ष्य के विरुद्ध 25,890 व्यक्तियों (57.53 प्रतिशत) को ही जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव के प्रबंधन हेतु नल जल मित्र के रूप में चयनित किया गया। साथ ही, राज्य, जेजेएम के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाओं की दक्षता, निगरानी एवं सततता में सुधार के लिए उपलब्ध तकनीकी उन्नतियों का प्रभावी उपयोग करने में भी विफल रहा।

सिफारिशें:

- ***राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए आवधिक जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है, जिसका प्रारंभ उच्च खपत वाली तथा भू-जल आधारित योजनाओं से की जाए, तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उपयोग, हानियों को कम करने एवं परिचालन लागत के अनुकूलन हेतु किया जाए।***

- ***राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए, मीटरिंग अथवा वैकल्पिक मापन तंत्रों की सहायता से एक श्रेणीबद्ध जल टैरिफ ढाँचा लागू कर सकती है तथा वीडब्ल्यूएससी द्वारा संचालन एवं रख-रखाव शुल्क संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार स्पष्ट भूमिकाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं समय-सीमाओं सहित एक व्यापक संचालन एवं रख-रखाव नीति को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है तथा मानव संसाधन, वित्त एवं प्रशिक्षण की तत्परता के प्रमाणीकरण के पश्चात् पूर्ण योजनाओं का वीडब्ल्यूएससी को समयबद्ध हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने हेतु नल जल मित्रों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है तथा उनके नियोजन को योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं रख-रखाव सहायता से जोड़ सकती है, ताकि निर्बाध एवं सतत जलापूर्ति सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।***

वित्तीय प्रबंधन

वर्ष 2019-25 के दौरान, केंद्रीय निधियों के अपर्याप्त उपयोग के कारण राज्य को केंद्रीय अंश के कुल ₹ 41,414.24 करोड़ के आवंटन के विरुद्ध ₹ 29,145.92 करोड़ (70.38 प्रतिशत) की राशि कम जारी हुई। भुगतान राज्य सरकार के संचालन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए गए, न कि सीधे पीएफएमएस के माध्यम से। इसके अतिरिक्त, लेन-देन का विवरण पीएफएमएस पोर्टल पर बाद में अपलोड किया गया, जिससे वास्तविक समय निगरानी बाधित हुई। साथ ही, एसएनए खाते को पीएफएमएस से मैप नहीं किया गया तथा ईएटी मॉड्यूल का भी उपयोग नहीं

किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पीएफएमएस और जेजेएम-आईएमआईएस व्यय के मध्य ₹ 929.72 करोड़ (14 फरवरी 2025 को) की विसंगति रही। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के खण्डों द्वारा किए गए कुल ₹ 33.22 करोड़ के 511 भुगतान, लाभार्थियों के नाम एवं बैंक खाता विवरण में त्रुटियों के कारण विफल हो गए।

वर्ष 2020-24 के वार्षिक कार्य योजनाओं में अभिसरण-आधारित कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन तथा निधियों के इष्टतम उपयोग के अवसर छूट गए। इसके अतिरिक्त, वार्षिक कार्य योजना 2020-24 के अन्तर्गत, 10 फरवरी 2023 तक केवल ₹ 129.13 करोड़ (9.66 प्रतिशत) का सामुदायिक अंशदान प्राप्त हुआ।

लेखापरीक्षा के दौरान नियमित कार्मिकों के वेतन एवं शिलान्यास समारोह पर ₹ 5.89 करोड़ के अस्वीकार्य व्यय के उदाहरण पाए गए। इसके अतिरिक्त, कार्य की गलत मात्रा एवं आधार सूचकांकों को अपनाने के कारण मूल्य विचलन मद में ₹ 0.44 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

सिफारिशें:

- ***राज्य सरकार जेजेएम कार्यों के लिए एक माइलस्टोन आधारित व्यय योजना तैयार कर उसकी नियमित निगरानी कर सकती है, ताकि निधियों के अवशोषण में सुधार हो तथा केंद्र से प्राप्त अनुदानों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।***

- ***राज्य सरकार जेजेएम के सभी वित्तीय लेन-देनों हेतु पीएफएमएस का एंड-टू-एंड उपयोग, जिसमें ईएटी मॉड्यूल भी सम्मिलित हो, अनिवार्य कर सकती है तथा रिपोर्टिंग में विसंगतियों को समाप्त करने के लिए पीएफएमएस, आईएमआईएस एवं बैंक अभिलेखों के मध्य मासिक मिलान सुनिश्चित कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार भुगतान प्रक्रिया से पूर्व लाभार्थियों एवं विक्रेताओं के बैंक विवरण का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित कर भुगतान नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ कर सकती है, ताकि विफल लेन-देन तथा क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोका जा सके।***

- ***राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु, अस्वीकार्य व्ययों पर प्रतिबंध लगाकर, अधिक किए गए भुगतानों की शीघ्र वसूली कर तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का व्यवस्थित रूप से लाभ उठाकर, वित्तीय अनुशासन लागू कर सकती है।***

जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण

वर्ष 2019 से 2025 की अवधि (20 जनवरी 2025 तक) में विभाग ने जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण गतिविधियों पर केवल ₹ 40.39 करोड़ (8.31 प्रतिशत) व्यय किए, जबकि ₹ 445.84 करोड़ (91.69 प्रतिशत) राशि अव्ययित रही।

राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएँ 'एकरूप पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल' के अंतर्गत निर्धारित 78 मापदंडों में से केवल 41 मापदंडों की ही जाँच कर पा रही थीं। वहाँ रेडियोधर्मी एवं विषाणुजनित मापदंडों की जाँच की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। चयनित जिलों की जिलास्तरीय प्रयोगशालाएँ न्यूनतम 34 जल गुणवत्ता मापदंडों की जाँच के विरुद्ध केवल 9 से 22 मापदंडों की ही जाँच करने में सक्षम थीं। जुलाई 2024 तक ₹ 2.94 करोड़ व्यय किए जाने के बावजूद कोई भी ब्लॉकस्तरीय प्रयोगशाला क्रियाशील नहीं थी। फरवरी 2024 की स्थिति के अनुसार राज्य की सभी प्रयोगशालाओं में कुल 102 पद (45.74 प्रतिशत) रिक्त थे।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, राज्य को जल गुणवत्ता परीक्षण को जल आपूर्ति से पृथक करने हेतु 02 अक्टूबर 2022 तक 'पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय (डीडब्ल्यूक्यूसी)' की स्थापना करनी थी। यद्यपि इसके गठन का प्रस्ताव मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) द्वारा जुलाई 2022 में मिशन निदेशक (जेजेएम) को प्रस्तुत किया गया था, तथापि अगस्त 2025 तक डीडब्ल्यूक्यूसी की स्थापना नहीं की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2022-24 के दौरान राजस्थान में रासायनिक एवं जीवाणुजनित परीक्षणों के 3,22,803 के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 1,01,824 जल स्रोतों के गुणवत्ता परीक्षण ही किए गए। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-24 के दौरान, रासायनिक रूप से दूषित 53,734 नमूनों (50.64 प्रतिशत) तथा जीवाणुजनित दूषित 299 नमूनों (63.35 प्रतिशत) के प्रकरणों में ही सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

साथ ही, 28.15 लाख फील्ड टेस्ट किट क्रय करने की योजना के बावजूद केवल 11.46 लाख फील्ड टेस्ट किट ही क्रय किये जा सके।

सिफारिशें:

- ***राज्य सरकार पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय की स्थापना कर, मुख्य रसायनज्ञ को स्वतंत्र दायित्व प्रदान कर एवं सूक्ष्मजीव विज्ञानी, रसायनज्ञ तथा सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित कर संस्थागत तंत्र को सुदृढ एवं प्रभावी बना सकती है।***

- ***राज्य सरकार, बीएलएल की स्थापना को प्राथमिकता देकर, फील्ड टेस्ट किट्स के क्रय एवं परिनियोजन तथा प्रदूषित जल स्रोतों के लिए सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन कर, डब्ल्यूक्यूएमएंडएस निधि का त्वरित उपयोग कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार विशेष अभियानों के अंतर्गत स्पष्ट समय सीमा एवं जवाबदेही के साथ कुशल योजना बना सकती है, जिससे जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रामों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो सके, साथ ही उचित भौगोलिक अंकन एवं अनुवर्ती सुधारात्मक उपाय भी किये जा सकें।***

कार्यों का उपापन एवं निष्पादन

विभाग ने न्यायोचित लागत के पहलू की उपेक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप निविदाएँ निरस्त करनी पड़ीं। परिणामस्वरूप कार्य आवंटित नहीं किए जा सके(सितंबर 2024 तक), जिससे बारां, झालावाड़ और कोटा जिलों के 1,402 गाँवों के 1,52,437 ग्रामीण परिवार, तीन वर्ष से अधिक

समय तक जेजेएम के अंतर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित रहे। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय जलापूर्ति योजना भोयल (बारां) में, संवेदकों द्वारा विभाग के प्रति-प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने तथा निविदा वैधता अवधि को बार-बार बढ़ाए जाने के बावजूद विभाग द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में की गई निष्क्रियता समझ से परे थी एवं इससे निविदाओं के अन्तिमीकरण को लेकर विभाग की मंशा पर संदेह उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, चयनित 26 क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं में से केवल आठ निर्धारित समयावधि के भीतर पूर्ण की गई, दो योजनाएँ 447 से 744 दिनों की देरी से पूर्ण हुई, एवं 16 योजनाएँ अपनी निर्धारित पूर्णता तिथियों से 11 से 38 माह बीत जाने के बावजूद प्रगतिरत ही रहीं। साथ ही, चयनित सभी 26 क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं में तृतीय-पक्ष निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण के प्रावधान का पालन किए बिना संवेदकों को ₹ 122.31 करोड़ का भुगतान किया गया (दिसंबर 2024 तक)। लेखापरीक्षा में यह भी प्रकट हुआ कि जेजेएम के चयनित कार्यों में मनगढ़ंत/अनुपलब्ध/जाली/निरस्त/पुनर्उपयोग किए गए अथवा अन्य संवेदकों के बीजकों के आधार पर ₹ 7.07 करोड़ के संदिग्ध/अनियमित भुगतान किए गए। इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रामों में पूर्व से विद्यमान कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों के लिए ₹ 8.32 लाख का भुगतान भी संदिग्ध पाया गया। करौली में निविदा खोलने से पूर्व ही पाइपों को क्रय कर लिया गया तथा बाद में 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' जारी होने से पूर्व उन्हें सोजत सिटी को स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे संपूर्ण निविदा प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न होता है।

सिफारिशें:

- ***विभाग निविदा एवं खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर सकता है, जिसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, निरस्तीकरण के उचित कारण दर्ज किए जाएँ तथा अनुबंधों का समय पर अंतिमीकरण किया जाए।***

- ***फर्जी दावों को रोकने हेतु बीजक सत्यापन, ई-वे बिल मिलान तथा तृतीय-पक्ष जाँच सहित वित्तीय परीक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सकती है।***

- ***निम्नस्तरीय कार्य के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण, पाइप नेटवर्क का जीआईएस मानचित्रण तथा संवेदकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू किया जा सकता है।***

- ***जवाबदेही बढ़ाने तथा कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के लिए डिजिटल निगरानी उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है।***

अध्याय–1

परिचय

अध्याय-1

परिचय

इस अध्याय में जल जीवन मिशन (जेजेएम) और राजस्थान में इसकी भौतिक और वित्तीय प्रगति का संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

1.1 स्वच्छ पेयजल-एक बुनियादी आवश्यकता

स्वच्छ पेयजल तक पहुँच मानव की एक मूलभूत आवश्यकता है। यह जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है। स्वच्छ पेयजल के महत्व का आंकलन इस तथ्य से किया जा सकता है कि मानव सभ्यताओं का विकास उन नदी घाटियों में हुआ, जहां प्रचुर मात्रा में पेयजल उपलब्ध था। हमारे सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ *ऋग्वेद* में भी जल को अत्यधिक आनन्द देने वाला तथा स्नेही माताओं के समान पोषण प्रदान करने वाला माना गया है।

आपो हिष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥

हे जल! चूँकि आप सुख के स्रोत हैं, हमें समृद्धि का उपभोग करने का वरदान दें और महान एवं आनंददायक अनुभूति प्रदान करें। (ऋग्वेद 10.9.1)

भारत की ग्रामीण आबादी का असुरक्षित पेयजल स्रोतों (तालाब, नदियां आदि) पर निर्भर रहना, जो विभिन्न जैविक प्रदूषकों से दूषित होते हैं, देश में जल जनित रोगों के प्रसार का एक प्रमुख कारण है।

यद्यपि भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात कई योजनाओं/कार्यक्रमों, जैसे राष्ट्रीय जल आपूर्ति और स्वच्छता कार्यक्रम (1954), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (1951-56), राष्ट्रीय पेयजल मिशन (1986), स्वजलधारा (2002) और राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (2009-10) के माध्यम से पेयजल सुरक्षा हेतु प्रयास किए हैं, किन्तु जल की मांग एवं आपूर्ति के बीच असंतुलन का मुद्दा गंभीर बना रहा है।

1.2 राज्य में पेयजल की स्थिति

राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के कुल भूगोलीय क्षेत्र का 10.40 प्रतिशत है। राज्य का ग्रामीण क्षेत्र पेयजल के लिये प्रमुख रूप से भू-जल पर आश्रित है, क्योंकि लगभग 55 प्रतिशत जल स्रोत भू-जल पर निर्भर है। राज्य में कुल सतही जल संसाधन, देश के कुल सतही जल संसाधन का सिर्फ़ 1.16 प्रतिशत हैं। अल्प वर्षा तथा सिंचाई एवं पेयजल प्रयोजनों हेतु भूजल के अत्यधिक उपयोग के कारण भूजल का स्तर चिंताजनक स्तर तक घट गया है।

केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2024 में प्रकाशित डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज (डीजीडब्ल्यूआर) रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल 302 ब्लॉक में से 214 ब्लॉक को 'अतिदोहित', 27 ब्लॉक को 'संकटग्रस्त', 21 ब्लॉक को 'अर्द्ध-संकटग्रस्त' और सिर्फ़

37 ब्लॉक को 'सुरक्षित' श्रेणी में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, तीन ब्लॉक को 'लवणीय' श्रेणी में रखा गया है। नीचे दिए गए मानचित्र में स्थिति दर्शायी गई है:

चित्र 1.1 भूजल संसाधनों के लिए राजस्थान की क्षेत्रवार स्थिति

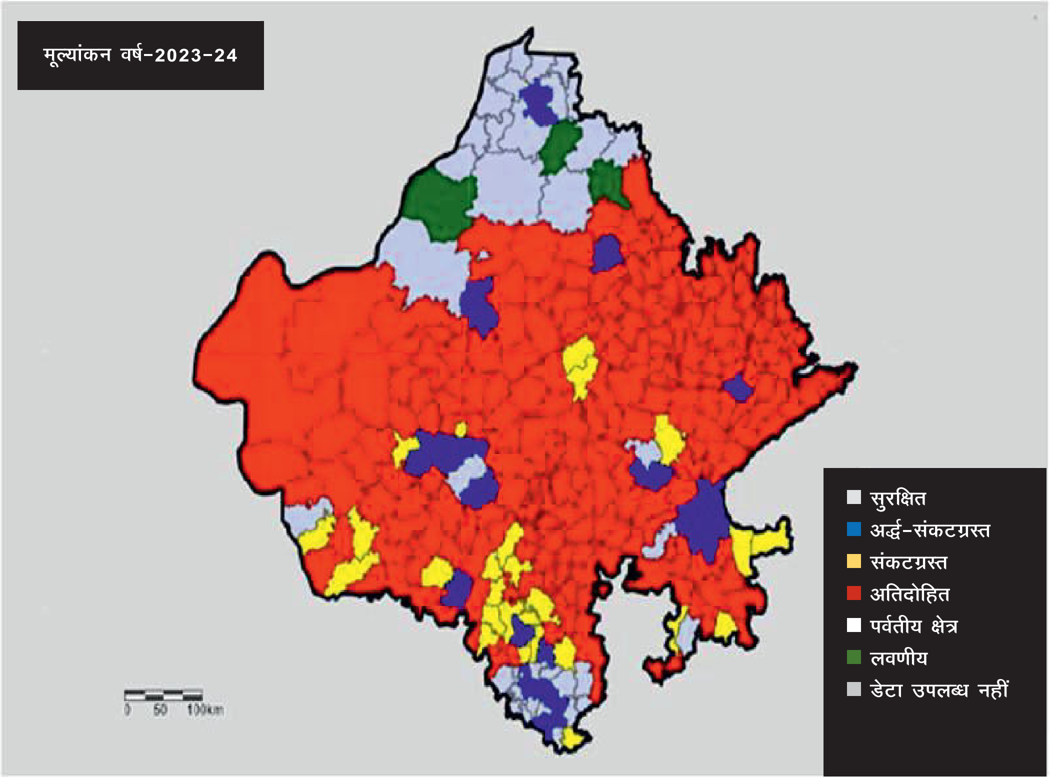

स्रोतः राजस्थान के डीजीडब्ल्यूआर का प्रतिवेदन (दिसंबर 2024)

उपलब्ध भूजल भी फ्लोराइड, नाइट्रेट, लवणता आदि से रासायनिक रूप से प्रदूषित है, जिससे यह पीने के लिए सुरक्षित नहीं है। उपलब्ध भू-जल भण्डारों के तीव्र क्षय के कारण रासायनिक मानकों की दृष्टि से उसकी गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। अतः सुरक्षित पेयजल का प्रबंधन अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

राज्य सरकार ने फरवरी 2010 में राज्य जल नीति को अपनाया, जिसमें जल संसाधनों की योजना, विकास और प्रबंधन के लिए सतत आधार पर बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण को समाहित किया गया है।

1.3 जल जीवन मिशन-पाइप से जलापूर्ति का लक्ष्य

जल जीवन मिशन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2019 को प्रारम्भ की गई एक फ्लैगशिप योजना है। इस योजना का समग्र नीति निर्धारण, योजना निर्माण, वित्तपोषण और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय का कार्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसे राज्य सरकारों की भागीदारी के साथ प्रारम्भ किया गया है।

राजस्थान में, जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) उत्तरदायी है। ग्राम पंचायत (जीपी) और/या उसके उप-समिति को अपने गांव में जल आपूर्ति प्रणालियों की योजना बनाने, क्रियान्वित करने, प्रबंधित करने, संचालित करने तथा रख-रखाव करने में सहायता के लिए विभिन्न स्तरों पर संस्थागत व्यवस्थाएँ भी की गई हैं।

जेजेएम का लक्ष्य 2024 के अंत तक देश के 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों (एचएच) को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से सुरक्षित पाईपयुक्त पेयजल की आपूर्ति प्रदान करना है। एक एफएचटीसी में जल आपूर्ति के संदर्भ में तीन निश्चित विशेषताएं होती हैं अर्थात (i) पर्याप्त मात्रा (कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन), (ii) निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएसः 10500 मानक के अनुसार), और (iii) लंबी अवधि में निरंतर आपूर्ति। इस मिशन में पानी के पुनः उपयोग और पुनर्भरण के पहलुओं को भी सम्मिलित किया गया है। चूँकि इस मिशन के केंद्र में ग्राम समुदाय है, इसलिए ग्राम समुदाय में स्वामित्व की भावना विकसित किए जाने का भी प्रावधान किया गया था।

1.4 जेजेएम के उद्देश्य

जेजेएम के प्रमुख उद्देश्य थेः

- गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों, सूखाग्रस्त एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों के ग्रामों, सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के अंतर्गत चयनित ग्रामों आदि को प्राथमिकता देते हुए प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध कराना;
- विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों तथा सामुदायिक भवनों को एफएचटीसी उपलब्ध कराना;
- नल कनेक्शनों की कार्यशीलता की निगरानी करना;
- नकद, सामग्री एवं/या श्रम तथा स्वैच्छिक श्रमदान के माध्यम से स्थानीय समुदाय में स्वैच्छिक स्वामित्व की भावना को प्रोत्साहित एवं सुनिश्चित करना;
- जल आपूर्ति प्रणाली की सततता सुनिश्चित करने में सहायता करना, जिसमें जल स्रोत, जल आपूर्ति अवसंरचना तथा नियमित संचालन एवं अनुरक्षण हेतु आवश्यक निधि सम्मिलित है;
- क्षेत्र में मानव संसाधन का सशक्तिकरण एवं विकास करना, ताकि निर्माण, प्लंबिंग, विद्युत, जल गुणवत्ता प्रबंधन, जल उपचार, जलग्रहण क्षेत्र संरक्षण, संचालन एवं अनुरक्षण आदि की अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके; तथा
- सुरक्षित पेयजल के विभिन्न पहलुओं एवं उसके महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा हितधारकों की भागीदारी को इस प्रकार प्रोत्साहित करना कि जल प्रबंधन को सभी की साझा जिम्मेदारी बनाया जा सके।

1.5 जेजेएम के घटक

जेजेएम ने अपने अभिप्रेत उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना निर्माण एवं क्रियान्वयन से संबंधित कई घटकों को सम्मिलित किया है। जल जीवन मिशन के प्रमुख घटकों को नीचे **चित्र 1.2** में दर्शाया गया है:

चित्र 1.2: जेजेएम के घटक

स्रोत: जेजेएम विवरणिका-2024

1.6 संस्थागत तंत्र

जेजेएम को विकेंद्रीकृत, मांग आधारित और सामुदायिक प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया गया है। इसे शीघ्रतापूर्वक क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ग्राम स्तर पर एक सुदृढ़ चार-स्तरीय संस्थागत तंत्र स्थापित किया गया है, जैसा कि नीचे उल्लेखित किया गया है:

राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) स्थापित किया गया है। मिशन निदेशक (एनजेजेएम) इसके प्रमुख हैं तथा इसे एनआईसी के डेटा एवं डॉक्यूमेंटेशन सेंटर और बहु-विषयक विशेषज्ञों वाले परियोजना प्रबन्धन ईकाई का समर्थन प्राप्त है।

राज्य स्तर पर, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है। इसमें एक शीर्ष समिति और एक कार्यकारी समिति भी सम्मिलित होती है। शीर्ष समिति की अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के प्रभारी सचिव सदस्य होते हैं। कार्यकारी समिति में 5-10 सदस्य होते हैं, जिनमें जल, ग्रामीण विकास, जन/सामुदायिक स्वास्थ्य, स्वच्छता

एवं साफ-सफाई तथा प्रतिष्ठित स्वयंसेवी संस्थाओं के क्षेत्र से, तीन से अधिक नहीं, विशेषज्ञ सदस्य के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं।

जिला स्तर पर, डिप्टी कमिश्नर/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) का गठन किया गया है। इसमें जल प्रबंधन, सामुदायिक स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास और स्थानीय सांसद जैसे व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सम्मिलित किया जाता है। पीएचईडी का अधिशाषी अभियंता सदस्य-सचिव होता है।

ग्राम स्तर पर, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) के गठन में सरपंच तथा 10-15 सदस्य, जिनमें 25 प्रतिशत निर्वाचित ग्राम पंचायत सदस्य, 50 प्रतिशत महिलाएँ तथा 25 प्रतिशत कमजोर वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) सम्मिलित होते हैं। वीडब्ल्यूएससी, पीएचईडी की सहायता से, ग्राम स्तर की जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, क्रियान्वयन, प्रबन्धन, संचालन एवं रख-रखाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मिशन का उद्देश्य वीडब्ल्यूएससी को 'स्थानीय जल उपयोगिता' के रूप में सशक्त बनाना है, जो जल आपूर्ति सेवा के वितरण पर ध्यान केंद्रित करे।

उपरोक्त के अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा 2010 में एक राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) भी गठित की गई, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के प्रमुख शासन सचिव करते हैं।

जेजेएम के लिए स्थापित उक्त संस्थागत तंत्र के कार्य नीचे **चार्ट 1.1** में दर्शाए गए हैं

चार्ट 1.1: जेजेएम का संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम)	• जेजेएम के समग्र कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी है तथा राज्यों को नीति-मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम)	• नीति-मार्गदर्शन प्रदान करना, जलापूर्ति एवं स्वच्छता गतिविधियों में अभिसरण सुनिश्चित करना, निगरानी एवं मूल्यांकन करना तथा जलापूर्ति परियोजनाओं का प्रबंधन करना।
राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी)	• राज्य स्तर पर परियोजनाओं की योजना बनाना एवं उन्हे अनुमोदित करना, पूर्व में अनुमोदित योजनाओं की प्रगति, पूर्णता एवं चालू होने की समीक्षा करना तथा नई योजनाओं को स्वीकृति प्रदान करना।
जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम)	• जिला स्तर पर जिला कार्य योजना तैयार करने तथा जेजेएम के निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी।
ग्राम जल स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)	• ग्राम स्तर पर ग्राम कार्ययोजना तैयार करने तथा योजनाओं के प्रबंधन हेतु उत्तरदायी।

स्रोत: जेजेएम के परिचालन सम्बन्धी दिशानिर्देश

पीएचईडी के प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक प्रमुख हैं, जिन्हें मिशन निदेशक, जेजेएम तथा ग्यारह[1] मुख्य अभियंता सहयोग प्रदान करते हैं। राज्य में जेजेएम के अंतर्गत सभी जलापूर्ति योजनाओं का विकास, क्रियान्वयन, प्रशासन एवं प्रबंधन, क्षेत्रीय, वृत्त, खण्ड तथा उप-खण्ड स्तर पर किया जाता है, जिनका नेतृत्व क्रमशः अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता एवं सहायक अभियंता द्वारा किया जाता है। राज्य में 25 क्षेत्रीय कार्यालय, 73 वृत्तीय कार्यालय तथा 229 खण्ड कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुसार सहयोगी गतिविधियों के निष्पादन हेतु अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सपोर्ट प्रोग्राम का एक कार्यालय भी (अक्टूबर 2022) स्थापित किया गया है।

उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जाने वाले जल की रासायनिक एवं जैविक जांच तथा निगरानी के लिए दो[2] राज्य स्तरीय प्रयोगशालाएं (एसएलएल), छह[3] क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं तथा 26[4] जिला स्तरीय प्रयोगशालाएं (डीएलएल) कार्यरत हैं।

1.7 जेजेएम की भौतिक प्रगति

जेजेएम के आरम्भ (15 अगस्त 2019) के समय राज्य में 1,07,75,281 ग्रामीण परिवार थे। इनमें से 11,68,553 परिवारों (10.84 प्रतिशत) के पास पहले से ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे, अतः शेष 96,06,728 परिवारों को जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी उपलब्ध कराया जाना था। 07 जनवरी 2025 तक कुल 47,65,980 परिवारों (49.61 प्रतिशत) को एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 48,40,748 परिवार (50.39 प्रतिशत) अब भी समावेशित किये जाने शेष हैं। जेजेएम के अंतर्गत परिवारों के समावेशन की वर्षवार प्रगति का विवरण आगामी अध्याय में दिया गया है।

1.8 वित्तीय प्रबंधन

जेजेएम के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय हेतु निधि की आवश्यकता, एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) में राज्यों द्वारा दर्ज किए गए उन शेष परिवारों की संख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है, जिन्हें एफएचटीसी प्रदान किया जाना है। जेजेएम के अंतर्गत निधि प्रवाह से संबंधित तीन मुख्य घटक हैं, अर्थात् समावेशन, सहयोगी गतिविधियाँ तथा जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस)। जेजेएम के क्रियान्वयन पर होने वाला व्यय, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा साझेदारी के आधार पर वहन किया जाता है, जिसमें समावेशन के लिए 50:50,

---

[1] मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, मुख्य अभियंता (प्रशासन), मुख्य अभियंता (तकनीकी), मुख्य अभियंता (ग्रामीण), मुख्य अभियंता (जेजेएम), मुख्य अभियंता (शहरी एवं एनआरडब्ल्यू), मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण), मुख्य अभियंता (विशेष परियोजना), मुख्य अभियंता (जेआईसीए), मुख्य अभियंता (परियोजना), जोधपुर तथा मुख्य अभियंता (परियोजना), उदयपुर।

[2] एक मुख्य रसायनज्ञ, प्रशासन एवं शहरी के अंतर्गत तथा दूसरा मुख्य रसायनज्ञ, जेजेएम एवं ग्रामीण के अंतर्गत।

[3] अजमेर, भरतपुर , बीकानेर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर।

[4] अलवर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, दौसा, धौलपुर, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, हनुमानगढ़, करौली, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, सिरोही और टोंक।

तथा सहयोगी गतिविधियों एवं डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए 60:40 का अनुपात निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, कुल आवंटित निधि का अधिकतम पाँच प्रतिशत, सहयोगी गतिविधियों तथा दो प्रतिशत डब्ल्यूक्यूएमएस के लिए उपयोग किया जा सकता है।

राज्य में जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2019-25 (फरवरी 2025 तक) के दौरान जारी की गई कुल ₹ 27,302.30 करोड़[5] की राशि में से ₹ 25,380.94 करोड़ की राशि व्यय की गई। वर्ष 2019-25 के दौरान उपलब्ध कुल निधि तथा उसके विरुद्ध किए गए व्यय की स्थिति को नीचे **चार्ट 1.2** में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.2: राजस्थान में जेजेएम के अन्तर्गत जारी निधि के विरुद्ध किया गया व्यय

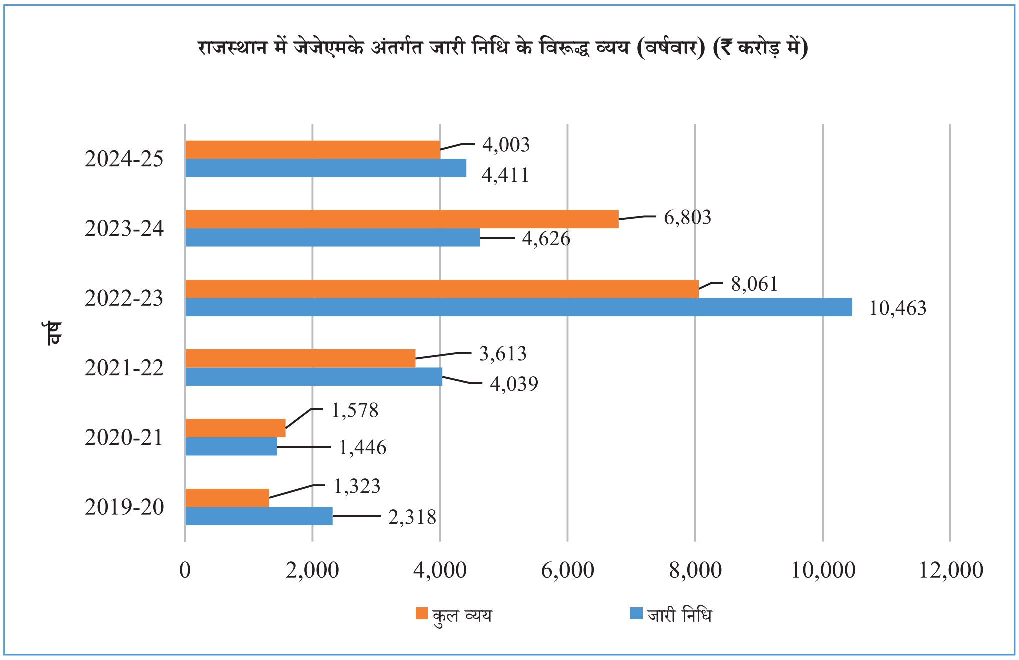

स्रोतः www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम प्रतिवेदन (फरवरी 2025 तक)

1.9 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आंकलन करना था कि:

- कार्यक्रम के उद्देश्य (आउटपुट एवं आउटकम) सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिए गए हैं;
- योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन एवं परिचालन-उपरांत प्रबंधन हेतु एक कुशल संस्थागत ढांचा विद्यमान है;
- वित्तीय संसाधनों का उपयोग किफ़ायती एवं दक्षतापूर्ण ढंग से किया गया है; तथा
- कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियाँ आगामी दो से तीन दशकों तक स्थायी हैं तथा भविष्य की पीढ़ियों हेतु जल-सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया गया है।

---

[5] इसमें ₹ 313.67 करोड़ का प्रारम्भिक शेष सम्मिलित है।

1.10 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित थेः

- जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु परिचालन दिशा-निर्देश;
- ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु ग्राम पंचायत एवं वीडब्ल्यूएससी के लिए मार्गदर्शिका;
- जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएस) की संरचना;
- सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित दायित्व तथा वाश मानकों हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी);
- सामान्य वित्तीय नियम, 2017 तथा राजस्थान लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम;
- जेजेएम के क्रियान्वयन को सुगम बनाने हेतु राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा जारी आदेश।

1.11 लेखापरीक्षा नमूना-चयन

जुलाई 2024 तक राजस्थान राज्य में कुल 50 जिले थे, जिनमें से दो जिलों जोधपुर एवं जयपुर सिटी पूर्णतः शहरी जिले हैं तथा इन दोनों जिलों में जेजेएम से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की गई। शेष 48 जिलों[6] में से लेखापरीक्षा ने सात जिलों[7] का चयन किया गया तथा प्रत्येक चयनित जिले से *iDEA* सॉफ्टवेयर के माध्यम से, रेंडम सेम्पलिंग तकनीक द्वारा, दो ब्लॉकों का चयन किया। इसके पश्चात, प्रत्येक चयनित ब्लॉक के 'हर घर जल' प्रमाणित गांवों में से *iDEA* सॉफ्टवेयर के माध्यम से दो ग्राम चुने गए। इस प्रकार, क्षेत्रीय अध्ययन हेतु कुल 14 ब्लॉक एवं 28 ग्रामों का चयन किया गया। चयनित जिलों, ब्लॉकों एवं ग्रामों का विवरण ***परिशिष्ट-1*** में दिया गया है।

1.12 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कवरेज

निष्पादन लेखापरीक्षा में अगस्त 2019 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु पीएचईडी द्वारा की गई गतिविधियों को सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा के अंतर्गत चयनित सात जिलों में मुख्य अभियंता (जेजेएम), मुख्य अभियंता (विशेष परियोजनाएँ), मुख्य रसायनज्ञ (एसएलएल), रसायनज्ञ (डीएलएल), अधीक्षण अभियंता (डीडब्ल्यूएसएम) तथा अधीक्षण अभियंता (वृत) के कार्यालयों के अभिलेखों का नमूना जाँच की

---

6 निष्पादन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान, जिलों की कुल संख्या 50 से घटाकर 40 कर दी गई थी। तथापि, निष्पादन लेखापरीक्षा पर इस कमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि लेखापरीक्षा के लिए चुने गए सात जिले अभी भी संशोधित 40 जिलों में यथावत् बने रहे।

7 अलवर, बारां, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर-ग्रामीण, पाली और सिरोही।

गई। इसके अतिरिक्त, चयनित 28 ग्रामों में ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी अधिशाषी अभियंताओं के अधीन पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों का भी विश्लेषण किया गया। आगे, जेजेएम के आउटपुट/आउटकम के आंकलन हेतु 560 लाभार्थियों (प्रत्येक चयनित ग्राम से 20 लाभार्थी) का लाभार्थी सर्वेक्षण एवं संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) के अभिलेखों की जांच भी की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रारम्भ 30 अगस्त 2024 को आयोजित प्रारम्भिक बैठक के साथ हुआ, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, लेखापरीक्षा का क्षेत्र तथा लेखा परीक्षा की कार्यप्रणाली पर शासन सचिव, पीएचईडी तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की गई।

अभिलेखों की जाँच, लाभार्थी सर्वेक्षण तथा आईएमआईएस पर अपलोड किए गए आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष निकाले गए।

इसके अतिरिक्त, 20 अगस्त 2025 को मिशन निदेशक (जेजेएम) एवं संयुक्त शासन सचिव, पीएचईडी के साथ एक निर्गम बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें लेखापरीक्षा के दौरान उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा की गई। राज्य सरकार से प्राप्त उत्तरों (अगस्त 2025 एवं नवंबर 2025) को प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया गया है। लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

1.13 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग, पीएचईडी, उसके अधिकारियों तथा कर्मचारियों द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान आवश्यक सूचनाएँ एवं अभिलेख उपलब्ध कराने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

अध्याय–2

जल जीवन मिशन का आउटपुट–आउटकम फ्रेमवर्क

अध्याय-2

जल जीवन मिशन का आउटपुट-आउटकम फ्रेमवर्क

यह अध्याय जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत राज्य की प्रगति का आंकलन प्रस्तुत करता है, जिसमें प्राथमिक समावेशन, ग्राम प्रमाणन, निगरानी प्रणालियां तथा सामुदायिक सहभागिता जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है।

2.1 हर ग्रामीण परिवार को 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना

जेजेएम के अन्तर्गत प्रमुख लक्ष्य दिसंबर 2024 तक हर ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करना था। इस लक्ष्य को निम्न प्रकार मापा जा सकता है:

- उपलब्ध कराए गए एफएचटीसी की संख्या एवं
- उन कनेक्शनों की पर्याप्त मात्रा तथा गुणवत्तायुक्त पानी उपलब्ध कराने में कार्यशीलता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने की प्रगति धीमी रही। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा चिन्हित फोकस क्षेत्रों में भी क्रियान्वयन पीछे चल रहा था।

इस विषय पर आगे के अनुच्छेदों में विस्तृत चर्चा की गई है।

2.1.1 जल जीवन सर्वेक्षण में राज्य की पिछड़ी हुई स्थिति

भारत सरकार का पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जेजेएम को लागू करने वाले सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रतिमाह जल जीवन सर्वेक्षण का आयोजन करता है। इसके आधार पर राज्यों को एफएचटीसी समावेशन में उनके प्रदर्शन के अनुसार राष्ट्रीय रैंकिंग प्रदान की जाती है। पाँच[1] श्रेणियों में से राजस्थान राज्य लगातार दूसरी बार सबसे निचली श्रेणी में रहा तथा अक्टूबर 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान राज्य की रैंकिंग कुल 34 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में 30वें से लेकर 34वें स्थान के मध्य रही। एफएचटीसी समावेशन कम रहने का मुख्य कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग आदि रहा, जैसा कि आगामी अध्यायों में विस्तार से चर्चा की गई है।

यह जेजेएम के अंतर्गत एफएचटीसी समावेशन करने में अन्य राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की तुलना में राज्य के अत्यंत खराब प्रदर्शन को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि इसका कारण रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सामग्री की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि, निविदादाताओं की भागीदारी न

---

[1] (i) आकांक्षी (0 प्रतिशत से 25 प्रतिशत से कम),(ii) प्रदर्शक (25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत से कम), (iii) उपलब्धिकर्ता (50 प्रतिशत से 75 प्रतिशत से कम), (iv) उच्च उपलब्धिकर्ता (75 प्रतिशत से 100 प्रतिशत से कम) तथा (v) अग्रणी (100 प्रतिशत)।

होना तथा संवेदकों द्वारा कार्यों में धीमी प्रगति रही। तथापि, उत्तर में बताए गए कारण स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि कम एफएचटीसी समावेशन के मुख्य कारण कार्यों के आवंटन में विलंब, आरडब्ल्यूएसएस के पूर्ण होने में देरी तथा उपलब्ध निधियों का कम उपयोग आदि थे।

2.1.2 एफएचटीसी का समावेशन

15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के आरम्भ के समय राजस्थान में 1,07,75,281 ग्रामीण परिवार थे। जेजेएम रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 11,68,553 परिवारों (10.84 प्रतिशत) के पास पहले से ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध थे।

इस प्रकार दिसंबर 2024 तक जेजेएम के अंतर्गत 96,06,728 परिवारों को ही एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे। 6 जनवरी 2025 तक, राज्य द्वारा 47,58,804 एफएचटीसी प्रदान किए गए, जो चिन्हित परिवारों का मात्र 49.54 प्रतिशत है तथा निर्धारित लक्ष्य के आधे से भी कम है।

जेजेएम के अंतर्गत स्पष्ट रूप से निर्धारित बेसलाइन एवं पाँच वर्षों की क्रियान्वयन अवधि होने के बावजूद, राजस्थान जनवरी 2025 तक चिन्हित ग्रामीण परिवारों में से केवल लगभग आधे परिवारों को ही नल जल कनेक्शन उपलब्ध करा सका। दिसंबर 2024 तक अभिप्रेत सार्वभौमिक समावेशन के लक्ष्य से लगभग 50 प्रतिशत की कमी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण विलंब को दर्शाती है, जो निर्धारित समय-सीमा में मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में अपर्याप्त प्रगति को इंगित करता है।

राज्य के ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए जाने की वर्षवार प्रगति नीचे **चार्ट-2.1** में दर्शाई गई है:

चार्ट-2.1: जेजेएम के अंतर्गत परिवारों का समावेशन

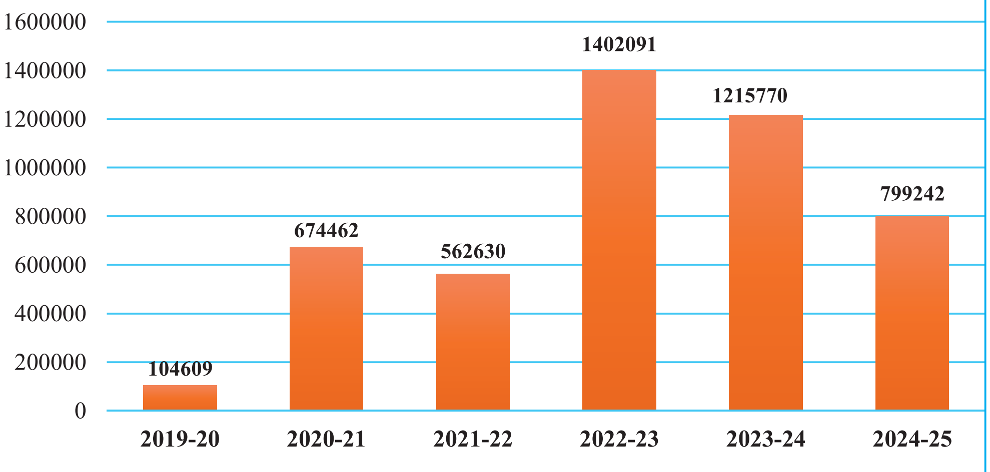

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट्स एवं डैशबोर्ड (07 जनवरी 2025 तक)

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (अगस्त 2025) अवगत कराया कि निविदा प्रक्रिया तथा कार्यों के निष्पादन की प्रगति में तेजी लाई जा रही है एवं जेजेएम के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने आगे अवगत कराया

(नवंबर 2025) कि लेखापरीक्षा के पश्चात क्रमिक रूप से दो लाख से अधिक एफएचटीसी की प्रगति हुई है।

2.1.3 हर घर जल प्रमाणन

जेजेएम के अंतर्गत 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणन की परिकल्पना उन सभी ग्रामों के लिए की गई है, जहाँ 100 प्रतिशत समावेशन की सूचना दी जाती है। यह प्रमाणन प्रक्रिया सामुदायिक स्वामित्व सुनिश्चित करने एवं नल कनेक्शनों के समावेशन तथा कार्यशीलता के संबंध में समुदाय से पुष्टि प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

07 जनवरी 2025 की स्थिति के अनुसार यह पाया गया कि राजस्थान के 302 ब्लॉकों में से केवल एक ब्लॉक (शाहपुरा जिले का बिजौलिया) के 100 प्रतिशत ग्रामों ने एचजीजे प्रमाणन प्राप्त किया है।

इसके अतिरिक्त, राजस्थान की कुल 11,239 ग्राम पंचायतों (जीपी) एवं 42,327 ग्रामों में से मात्र 400 ग्राम पंचायतों (3.56 प्रतिशत) तथा 4,254 ग्रामों (10.05 प्रतिशत) को ही एचजीजे हासिल करने हेतु प्रमाणित किया गया है, जैसा कि नीचे **चार्ट 2.2** में दर्शाया गया है।

चार्ट-2.2: ग्राम पंचायतों/ग्रामों में एचजीजे प्रमाणन की स्थिति

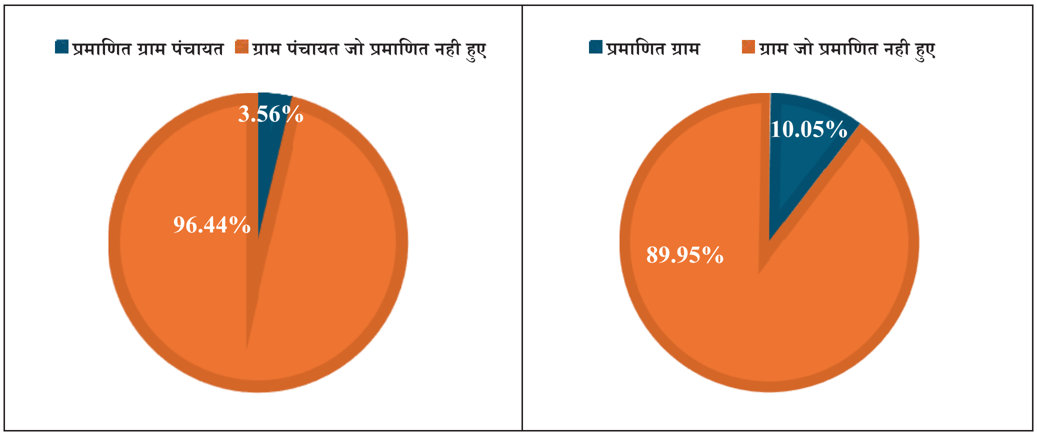

जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्धारित समय-सीमा में ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वभौमिक नल जल आपूर्ति समावेशन प्राप्त करने में राजस्थान राज्य उल्लेखनीय रूप से पिछड़ गया, क्योंकि जनवरी 2025 तक चिन्हित परिवारों में से लगभग आधे परिवारों को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। निर्धारित लक्ष्य की तुलना में यह महत्वपूर्ण अंतर क्रियान्वयन में विलंब एवं अपर्याप्तता को दर्शाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल की समय पर एवं सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के मिशन के उद्देश्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। निम्न प्रमाणन दर न केवल ग्राम के सभी परिवारों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों के पूर्ण समावेशन की कमी को दर्शाती है, बल्कि परियोजनाओं के आगामी संचालन एवं रखरखाव हेतु योजना को अपने अधीन लेने के प्रति ग्राम पंचायतों की इच्छाशक्ति की कमी को भी प्रतिबिंबित करती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि आदिनांक तक 358 में से 05 ब्लॉक (1.40 प्रतिशत), 11,238 में से 508 ग्राम पंचायतें (4.52 प्रतिशत) एवं 42,327 में से 5,047 ग्राम (11.92 प्रतिशत) एचजीजे से प्रमाणित किए जा चुके हैं। यह भी

अवगत कराया गया कि सभी पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभाओं में एचजीजे प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया है।

2.1.4 प्राथमिकता प्राप्त बस्तियों के परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लक्ष्य की प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी

जेजेएम के उद्देश्यों के अनुसार, बस्तियों जैसे जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत चयनित ग्रामों आदि, के परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्राथमिकता दी जानी थी।

दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के अनुवर्ती निर्देशों के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों, ग्राम पंचायत भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, कल्याण केंद्रों तथा अन्य सार्वजनिक संस्थानों के साथ-साथ विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बस्तियों, आकांक्षी जिलों तथा मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत समावेशित जिलों को भी प्राथमिकता प्रदान की जानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि इन प्राथमिकता प्राप्त बस्तियों का समावेशन करनें में महत्वपूर्ण कमी रही, जिसका विवरण निम्नलिखित अनुच्छेदों में दिया गया है।

2.1.4.1 जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ

जेजेएम के अंतर्गत जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को प्राथमिकता श्रेणी में रखा गया था। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) द्वारा भी, वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) को स्वीकृत करते समय (जुलाई 2021), ऐसी बस्तियों के समावेशन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई थी। दिनांक 01 अप्रैल 2019 की स्थिति के अनुसार, राजस्थान में कुल 17,516 जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियाँ थीं। दिनांक 01 अप्रैल 2024 तक जेजेएम के अंतर्गत इनमें से केवल 8,514 बस्तियों को ही समावेशित किया जा सका। शेष 9,002 बस्तियाँ (51.39 प्रतिशत) अब भी समावेशन से बाहर थीं और परिणामस्वरूप इन बस्तियों को अभी तक सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1: जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियाँ एवं उनका समावेशन

क्रम सं.	संदूषक का प्रकार	01 अप्रैल 2019 तक प्रभावित बस्तियों की संख्या	01 अप्रैल 2024 तक बस्तियों के समावेशन की स्थिति	
			समावेशित की गयी	अभी समाविष्ट किया जाना शेष है (*प्रतिशत में*)
1.	फ्लोराइड प्रभावित	4,349	4,239	110 (2.53)
2.	लौह प्रभावित	5	1	4 (80.00)
3.	लवणता प्रभावित	12,247	3,780	8,467 (69.14)
4.	नाइट्रेट प्रभावित	915	494	421 (46.01)
कुल		**17,516**	**8,514**	**9,002 (51.39)**

स्रोत:** www.ejalshakti.gov.in **पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

उपरोक्त **तालिका 2.1** यह दर्शाती है कि:

1. जेजेएम के क्रियान्वयन के पाँच वर्ष पश्चात् भी 01 अप्रैल 2024 तक जल गुणवत्ता से प्रभावित कुल 17,516 बस्तियों में से केवल 8,514 बस्तियों (48.61 प्रतिशत) का ही समावेशन किया जा सका, जिससे अधिकांश बस्तियाँ (51.39 प्रतिशत) अब भी सुरक्षित पेयजल समाधान से वंचित रहीं।

2. फ्लोराइड से प्रभावित बस्तियों में अपेक्षाकृत बेहतर परिणाम देखे गए, जहाँ 97.47 प्रतिशत समावेशन प्राप्त किया गया, जो इस श्रेणी में लक्षित हस्तक्षेप को दर्शाता है। इसके विपरीत, लवणता से प्रभावित बस्तियाँ, जो कुल प्रभावित बस्तियों का सर्वाधिक (लगभग 70 प्रतिशत) हिस्सा हैं, में केवल 30.86 प्रतिशत समावेशन दर्ज किया गया, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है।

3. नाइट्रेट से प्रभावित बस्तियों का समावेशन मात्र 53.99 प्रतिशत रहा, जिसके कारण लगभग आधी बस्तियाँ अब भी स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनी हुई हैं, जबकि लौह-प्रभावित बस्तियों में नगण्य प्रगति हुई, जहाँ यद्यपि मूल संख्या कम है, फिर भी 80 प्रतिशत बस्तियाँ अब भी असमावेशित रहीं।

4. आंकड़ों से यह संकेत मिलता है कि क्रियान्वयन प्रयास, प्रदूषण की मात्रा एवं जटिलता के प्रति पर्याप्त रूप से अनुरूप नहीं थे, विशेष रूप से लवणता एवं नाइट्रेट से प्रभावित क्षेत्रों में, जहाँ अधिक पूंजीयुक्त एवं तकनीकी रूप से ठोस समाधानों की आवश्यकता होती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों को ₹ 71,674 करोड़ की सतही जल आधारित परियोजनाओं के अंतर्गत समावेशित किया जाना प्रस्तावित है। इनमें से ₹ 31,000 करोड़ की परियोजनाओं हेतु कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं तथा शेष प्रक्रियाधीन हैं। आगे राज्य सरकार ने यह भी अवगत कराया (नवंबर 2025) कि अक्टूबर 2025 तक जेजेएम के अंतर्गत अब केवल जल गुणवत्ता से प्रभावित 7,817 बस्तियाँ (44.62 प्रतिशत) ही समावेशित होनी बकाया हैं।

2.1.4.2 आकांक्षी जिलों एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना के ग्रामों में स्थित बस्तियाँ

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों की धारा 3.6.1 के अनुसार, मार्च 2021 तक आकांक्षी जिलों एवं सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) के ग्रामों को समावेशित करने हेतु एफएचटीसी उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दी जानी थी। तथापि, यह लक्ष्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जा सका। इसके पश्चात् एनजेजेएम द्वारा जून 2022 में वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना को स्वीकृत करते समय पुनः यह निर्देशित किया गया कि आकांक्षी जिलों के समावेशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जिसके लिए संशोधित समय-सीमा 31 दिसंबर 2022 निर्धारित की गई है।

उक्त निर्देशों के बावजूद, राजस्थान में प्रगति संतोषजनक नहीं रही। पाँच आकांक्षी जिलों के अंतर्गत कुल 8,97,549 ग्रामीण परिवारों में से दिनांक 02 जनवरी 2025 तक केवल 4,24,305 परिवारों (47.27 प्रतिशत) को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। इससे यह स्पष्ट होता

है कि इन जिलों के शेष 52.73 प्रतिशत परिवार अब भी जेजेएम के अंतर्गत नल जल सुविधा की प्राप्ति की प्रतीक्षा कर रहे थे, जैसा कि नीचे **तालिका 2.2** एवं **चार्ट 2.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: पांच आकांक्षी जिलों में कुल एफएचटीसी समावेशन

क्रम सं.	ज़िला	कुल परिवार	नल कनेक्शन की स्थिति (15 अगस्त 2019 तक)	उपलब्ध कराए गए एफएचटीसी (02 जनवरी 2025 तक)	एफएचटीसी समावेशन (प्रतिशत में)
1.	बारां	2,37,642	14,149	83,034	34.94
2.	धौलपुर	1,81,980	3,798	80,809	44.41
3.	जैसलमेर	1,22,944	2,442	49,773	40.48
4.	करौली	1,67,877	10,054	1,03,799	61.83
5.	सिरोही	1,87,106	38,080	1,06,890	57.13
कुल		**8,97,549**	**68,523**	**4,24,305**	**47.27**

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

तालिका 2.2 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष:

1. जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों (खंड 3.6.1) में स्पष्ट प्रावधानों तथा एनजेजेएम द्वारा आकांक्षी जिलों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने संबंधी बार-बार जारी निर्देशों के बावजूद, राजस्थान राज्य, मूल (मार्च 2021) एवं संशोधित (दिसंबर 2022) दोनों समय-सीमाओं में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं कर सका।

2. जनवरी 2025 तक, पाँच आकांक्षी जिलों में कुल 8.98 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 4.24 लाख (47.27 प्रतिशत) परिवारों को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके, जबकि अधिकांश परिवार (52.73 प्रतिशत) अब भी नल जल सुविधा से वंचित रहे।

3. समावेशन स्तरों में व्यापक अंतर पाया गया, जो बारां जिले में निम्नतम 34.94 प्रतिशत से लेकर करौली जिले में 61.83 प्रतिशत तक था। तीन जिले-बारां, धौलपुर एवं जैसलमेर, 45 प्रतिशत से कम समावेशन पर रहे, जो उन जिलों, जिनमे विशेष ध्यान दिया जाना था, में असमान क्रियान्वयन तथा कमजोर अभिसरण को दर्शाता है।

4. अगस्त 2019 की प्रारंभिक स्थिति से ही इन जिलों में नल जल समावेशन अत्यंत कम था, जो त्वरित एवं सघन हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित करता है । पाँच वर्षों से अधिक अवधि में अर्जित मध्यम प्रगति, उच्च आवश्यकता वाले जिलों में आयोजना, निष्पादन एवं निगरानी प्रयासों के विस्तार की अपर्याप्तता को इंगित करती है।

5. बार-बार प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद आकांक्षी जिलों में निरंतर पिछड़ापन, क्रियान्वयन संबंधी कमियों की ओर संकेत करता है, जो जल जीवन मिशन के समानता-केन्द्रित स्वरुप को क्षीण बनाता है। इन जिलों को त्वरित गति से आगे बढ़ाने में विफलता, सुरक्षित पेयजल तक पहुँच में क्षेत्रीय एवं विकासात्मक असमानताओं को कम करने का मिशन का उद्देश्य कमजोर करती है।

समावेशन की स्थिति को नीचे दिए गए **चार्ट 2.3** में भी दर्शाया गया हैः

चार्ट 2.3: जेजेएम के अन्तर्गत एफएचटीसी समावेशन

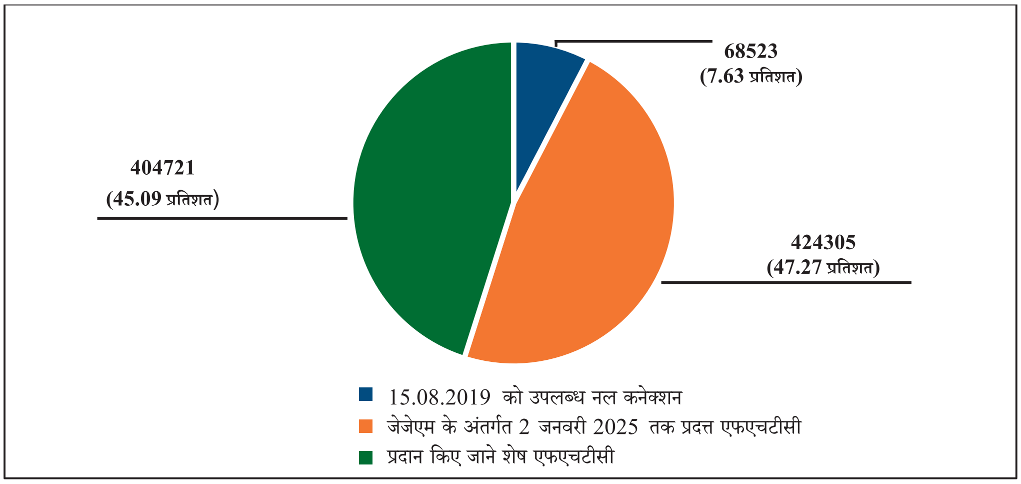

इसके अतिरिक्त, आईएमआईएस के आंकड़ों से यह भी प्रकट हुआ कि राजस्थान में एसएजीवाई ग्रामों के रूप में चिन्हित 188 ग्राम पंचायतों में से 02 जनवरी 2025 तक केवल 33 ग्राम पंचायतें ही 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त कर सकी थीं। यह आंकड़ा उच्च-प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जेजेएम के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग द्वारा इन जिलों में समावेशन को तीव्र गति से बढ़ाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं तथा सरकार शीघ्रातिशीघ्र 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2.1.4.3 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) की बस्तियाँ

भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) का आरम्भ किया गया, जिसका उद्देश्य उन 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का लक्षित विकास करना था, जो मुख्यधारा की योजनाओं से वंचित रह गए हों। यह योजना उन 11 महत्वपूर्ण उदेश्यों पर केंद्रित है, जिनमें वंचित पीवीटीजी बस्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना भी सम्मिलित है।

इसके अनुरूप, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा सभी राज्यों को परामर्श जारी किया गया (11 दिसंबर 2023), जिसमें 22 दिसंबर 2023 तक सभी पीवीटीजी ग्रामों/बस्तियों को आईएमआईएस में टैग करने तथा 31 दिसंबर 2023 तक पेयजल आपूर्ति से संबंधित बकाया कार्यों के आवंटन के निर्देश दिए गए।

राजस्थान में केवल एक पीवीटीजी जिला (बारां) चिन्हित किया गया था, जिसमें दिसंबर 2023 तक कुल 26,155 परिवारों की 399 पीवीटीजी बस्तियाँ सम्मिलित थी। इनमें से, 361 पीवीटीजी बस्तियों को आईएमआईएस में मैप किया गया (अगस्त 2024)।

तथापि, 09 अगस्त 2024 को तैयार की गई पीवीटीजी बस्तियों में एफएचटीसी की स्थिति रिपोर्ट से निम्नलिखित तथ्य सामने आएः

- केवल 90 बस्तियाँ (22.56 प्रतिशत), जिनमें 7,571 परिवार (28.95 प्रतिशत) सम्मिलित थे, को समावेशन हेतु योजना में सम्मिलित किया गया।

- इन 7,571 परिवारों में से मात्र 153 परिवारों (पीवीटीजी बस्तियों के कुल परिवारों का मात्र 0.58 प्रतिशत) को ही वास्तव में एफएचटीसी प्रदान किए गए।

उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि स्पष्ट निर्देशों एवं नीति-स्तर पर प्राथमिकता दिए जाने के बावजूद पीवीटीजी क्षेत्रों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण कमी बनी हुई है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि बारां जिले में प्रगति धीमी रहने का मुख्य कारण एक वृहद् परियोजना (परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना) की स्वीकृति में हुई देरी है तथा विभाग द्वारा पीवीटीजी जिलों में समावेशन को तीव्र गति से बढ़ाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं।

2.1.4.4 मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत चिन्हित जिलों में जेजेएम का क्रियान्वयन

मिशन उत्कर्ष नीति आयोग की एक पहल है, जिसका उद्देश्य विभिन्न विभागों की योजनाओं का मिशन मोड में, सभी हितधारकों के अभिसरण के साथ, जिलों में संतृप्ति स्तर तक क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जेजेएम के अंतर्गत, 10 जिले[2] उनके सभी ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने हेतु त्वरित सुधार एवं संतृप्ति के लिए चयनित किए गए। इसके अनुरूप, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने नवंबर 2022 में सभी राज्यों से, मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत चिन्हित इन 10 जिलों में जेजेएम की योजना एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करने का अनुरोध किया।

राजस्थान में मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत क्रियान्वयन हेतु बारां जिला चिन्हित किया गया था। जेजेएम के अंतर्गत बारां जिले की बस्तियों के समावेशन की स्थिति नीचे **तालिका 2.3** में दी गई है:

तालिका 2.3: जेजेएम के अन्तर्गत बारां जिले की बस्तियों का समावेशन

मिशन उत्कर्ष के अन्तर्गत समावेशित होने वाले कुल परिवारों की संख्या (02 जनवरी 2025 तक)	मौजूदा एफएचटीसी का विवरण (15 अगस्त 2019 तक)	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित होने वाले बाकी परिवारों की संख्या	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किए गए परिवार (02 जनवरी 2025 तक)
2,37,642	14,149 (5.95 प्रतिशत)	2,23,493	68,885 (शेष परिवारों का 30.82 प्रतिशत)

स्रोत: www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

2 किफिरे (नागालैंड), गढ़चिरौली (महाराष्ट्र), उधम सिंह नगर (उत्तराखंड), नयागढ़ (ओडिशा), दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़), गिरिडीह (झारखंड), बारां (राजस्थान), पन्ना (मध्य प्रदेश), दक्षिण सलमारा मनकाचर (असम) और श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश)

मिशन उत्कर्ष के अंतर्गत केंद्रित ध्यान एवं अभिसरण के प्रयासों के बावजूद, बारां जिले में प्रगति संतोषजनक नहीं रही। जनवरी 2025 तक, कुल लक्षित 2,37,642 परिवारों में से केवल लगभग 68,885 परिवारों (29 प्रतिशत) को ही एफएचटीसी उपलब्ध कराए जा सके। यह स्थिति, मिशन के पूर्ण संतृप्ति की प्राप्ति के उद्देश्य को देखते हुए, क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण कमी को दर्शाती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि बारां जिले में प्रगति धीमी रहने का कारण एक प्रमुख परियोजना (परवन अकावाड़ जल आपूर्ति परियोजना) की स्वीकृति में हुई देरी है तथा विभाग द्वारा समावेशन में तेजी लाने हेतु त्वरित प्रयास किए जा रहे हैं। अक्टूबर 2025 तक जिले में 86,150 एफएचटीसी (36.25 प्रतिशत) का समावेशन प्राप्त कर लिया गया है।

2.1.4.5 एफएचटीसी युक्त विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र एवं अन्य सार्वजनिक संस्थान

जेजेएम के अन्तर्गत 2 अक्टूबर 2020 को एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य छोटे बच्चों के सार्वजनिक स्वास्थ्य के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना था, जिसमें सुरक्षित एवं सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति हेतु विद्यालयों और आंगनवाड़ी केंद्रों के समावेशन जैसे महत्वपूर्ण हस्तक्षेप शामिल थे । इस अभियान के क्रियान्वयन के लिए राज्यों को रोडमैप सहित दिशा-निर्देश जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त, बच्चों के स्वास्थ्य, स्वच्छता और विद्यालय उपस्थिति को बेहतर बनाने में स्वच्छ पेयजल के महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए, एनजेजेएम ने 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना को अनुमोदित करते हुए, राज्यों को अगले कुछ महीनों में सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं का पूर्ण समावेशन सुनिश्चित करने का परामर्श दिया (जून 2022)।

यह निर्देश फरवरी 2024 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री के मध्य आयोजित एक संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान दोहराया गया। बैठक में यह उल्लेख किया गया कि राज्य में सभी विद्यालयों, आंगनवाड़ी केंद्रों और आश्रमशालाओं में एफएचटीसी का समावेशन राष्ट्रीय औसत से पीछे है।

राजस्थान में 27 जनवरी 2025 तक सार्वजनिक संस्थानों के समावेशन की स्थिति नीचे **तालिका 2.4** में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 2.4: सार्वजनिक संस्थानों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्रगति

विवरण	कुल संख्या	एफएचटीसी समावेशन	समावेशन (प्रतिशत में)
विद्यालय	86,217	35,453	41.12
आंगनवाड़ी केंद्र	53,179	23,826	44.80
स्वास्थ्य केंद्र	15,151	11,164	73.68
पंचायत घर/ जीपी भवन	11,136	9,718	87.27
आश्रमशाला	500	330	66.00
कुल	**1,66,183**	**80,491**	**48.44**

स्रोत:** www.ejalshakti.gov.in **पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

तालिका 2.4 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्षः

1. जनवरी 2025 तक, राजस्थान के केवल 48.44 प्रतिशत (1,66,183 में से 80,491) सार्वजनिक संस्थानों में ही एफएचटीसी का समावेशन हुआ था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश संस्थान अभी भी सुनिश्चित पेयजल आपूर्ति के बिना कार्यरत हैं।

2. विद्यालयों (41.12 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी केंद्रों (44.80 प्रतिशत) का समावेशन विशेष रूप से कम रहा, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर इन बाल-केंद्रित संस्थानों को प्राथमिकता देने के निर्देश बार-बार दिए गए थे। इसने जेजेएम के जनस्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभिप्रेत परिणामों को कमजोर कर दिया।

3. प्रशासनिक एवं सेवा संस्थान, जैसे पंचायत भवन/ग्राम पंचायत भवन (87.27 प्रतिशत) और स्वास्थ्य केंद्र (73.68 प्रतिशत), का समावेशन विद्यालयों और आंगनवाड़ियों की तुलना में काफी अधिक रहा, जो क्रियान्वयन में असमान प्राथमिकता को दर्शाता है।

4. आश्रमशालाएं, जो आवासीय विद्यार्थियों को सेवाएं देती हैं, का समावेशन केवल 66 प्रतिशत रहा, जो ऐसे संस्थानों के समयबद्ध व्यापक समावेशन के निर्देशों का अधूरा पालन दर्शाता है।

बार-बार परामर्श और समीक्षा बैठकों के बावजूद मुख्य श्रेणियों में लगातार कमी, जेजेएम के अन्तर्गत आयोजना, निगरानी और फॉलो-अप में कमजोरियों को उजागर करती है, जिससे राज्य में जन स्वास्थ्य-उन्मुख उद्देश्यों की प्राप्ति सीमित रही।

ऐसे महत्वपूर्ण संस्थानों में सुरक्षित पेयजल की अनुपस्थिति स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न करती है, स्वच्छता पहलों को कमजोर करती है एवं विद्यालय उपस्थिति तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास पर संभावित प्रभाव डालती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि सार्वजनिक संस्थानों में 100 प्रतिशत समावेशन प्राप्त करने के लिए प्रयास तेज किए जा रहे हैं।

2.1.5 सबसे पिछड़े ब्लॉक

कमज़ोर क्षेत्रों में पेयजल पहुँच सुधारने के लिए केंद्रित प्रयास के अन्तर्गत, भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने महत्वपूर्ण विकास सूचकांकों यथा सामाजिक-आर्थिक असुरक्षा, कमजोर बुनियादी ढांचा और मूलभूत सेवाओं तक पहुँच की कमी, के आधार पर देश के 100 सबसे पिछड़े ब्लॉकों की पहचान की। इन ब्लॉकों को 17 अक्टूबर 2023 को आईएमआईएस में मैप किया गया, जिसका उद्देश्य जेजेएम के क्रियान्वयन को मिशन मोड में त्वरित करना था। इनमें से, नौ जिलों[3] के 24 ब्लॉक राजस्थान के थे। राजस्थान के इन सबसे

[3] बालोतरा (1), बांसवाड़ा (4), बाड़मेर (9), दौसा (2), डूंगरपुर (1), फलोदी (2), प्रतापगढ़ (2), सांचोर (1) और उदयपुर (2)।

पिछड़े ब्लॉकों में परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने की प्रगति नीचे **तालिका 2.5** में प्रस्तुत की गई हैः

तालिका 2.5: सबसे पिछड़े ब्लॉकों में एफएचटीसी उपलब्ध कराने में प्रगति

सबसे पिछड़े ब्लॉक में परिवारों की संख्या (02 जनवरी 2025 तक)	15 अगस्त 2019 तक विद्यमान एफएचटीसी का विवरण	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किये जाने वाले बाकी परिवारों की संख्या	जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित किए गए परिवार (02 जनवरी 2025 तक)
5,55,626	9,333	5,46,293	63,646 (शेष बस्तियों का 11.65 प्रतिशत)

स्रोतः www.ejalshakti.gov.in पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट

उपरोक्त **तालिका 2.5** से स्पष्ट है कि राजस्थान के सबसे पिछड़े ब्लॉकों में केवल 11.65 प्रतिशत परिवारों को जेजेएम के अन्तर्गत एफएचटीसी प्रदान किए गए थे। इसका अर्थ है कि 88.35 प्रतिशत परिवार अभी भी नल जल कनेक्शन से वंचित हैं, जबकि इन क्षेत्रों को मिशन मोड में जेजेएम के तीव्र क्रियान्वयन के लिए चिन्हित किया गया था।

विशेष रूप से, बालोतरा जिले के पन्याला कलां ब्लॉक एवं फलौदी जिले के बापिनी ब्लॉक में किसी भी परिवार को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराया गया, जबकि 24 में से 16 ब्लॉकों में 07 सितंबर 2024 तक समावेशन 10 प्रतिशत से कम रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग सबसे पिछड़े ब्लॉकों में समावेशन बढ़ाने के प्रयासों को त्वरित कर रहा है, एवं बालोतरा जिले के पन्याला कलां ब्लॉक पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यह भी सूचित किया गया कि लेखापरीक्षा के पश्चात क्रमिक प्रगति हुई है, एवं ऐसे ब्लॉकों में कुल 95,212 एफएचटीसी (17.12 प्रतिशत) प्रदान किए जा चुके हैं।

2.1.6 नल कनेक्शनों की कार्यशीलता का आंकलन करने हेतु फ्लो मीटर/घरेलू मीटर स्थापित नहीं किए गए

एफएचटीसी के लिए पर्याप्त जल आपूर्ति की मात्रा एक अनिवार्य पहलू है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राजस्थान में न्यूनतम पेयजल आपूर्ति का मानक 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) है। पेयजल की मात्रा का मापन ग्राम अवसंरचना के कुछ निश्चित बिंदुओं पर फ्लो मीटर एवं परिवारों के परिसर में घरेलू मीटर स्थापित करके किया जा सकता है।

तथापि, यह देखा गया कि राज्य ने जेजेएम के अन्तर्गत घरेलू मीटर स्थापित करने का कोई प्रावधान नहीं किया। परिणामस्वरूप, परिवारों को आपूर्ति किए जाने वाले जल की वास्तविक मात्रा की निगरानी का कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं है।

इसके अतिरिक्त, सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 28 चयनित ग्राम अवसंरचनाओं की फील्ड स्टडी में यह पाया गया कि 14 ग्रामों में विलेज ट्रांसफर चैंबर (वीटीसी) पर फ्लो मीटर स्थापित नहीं थे, जबकि छः अन्य ग्रामों में फ्लो मीटर स्थापित होने के बावजूद वे कार्यशील नहीं थे।

घरेलू मीटर के अभाव और महत्वपूर्ण ग्राम अवसंरचना में फ्लो मीटर की स्थापना नहीं होने या कार्यशील नहीं होने के कारण राज्य के पास यह सुनिश्चित करने का कोई भरोसेमंद तंत्र नहीं है कि एफएचटीसी निर्धारित मानक 55 एलपीसीडी के अनुसार जल प्रदान कर रहे हैं या नहीं। यह कमी नल कनेक्शनों की कार्यशीलता के मूल्यांकन को प्रभावित करती है, समावेशन के रूप में केवल कनेक्टिविटी को ही प्रतिवेदित कर देने का जोखिम बढ़ाती है, एवं इस आश्वासन को सीमित करती है कि परिवारों को पर्याप्त और सतत पेयजल मिल रहा है। इसके परिणामस्वरूप जेजेएम की प्रभावशीलता और परिणामोन्मुखी उद्देश्य कमजोर होते हैं। यह स्थिति जेजेएम परिचालन दिशा-निर्देशों का भी उल्लंघन है, जो सटीक मापन को सेवा वितरण का एक प्रमुख संकेतक मानते हैं।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, चयनित गांवों के 560 परिवारों में से 389 लाभार्थियों (69.46 प्रतिशत) ने निर्धारित न्यूनतम 55 एलपीसीडी के अनुसार जल प्राप्त होना अवगत कराया, जबकि 171 लाभार्थियों (30.54 प्रतिशत) ने कहा कि आपूर्ति निर्धारित मानक से कम है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि राज्य नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में एकल ग्राम योजनाओं और बहु-ग्राम योजनाओं में घरेलू मीटर स्थापित नहीं किए जाते, तथा ग्राम में जल आपूर्ति का मापन, पंप हाउस एवं ओएचएसआर में स्थापित मीटरों के माध्यम से किया जा रहा है।

मीटर स्थापना संबंधी उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि अधिकांश चयनित गांवों के वीटीसी में फ्लो मीटर या तो स्थापित नहीं थे अथवा अकार्यशील थे।

2.2 आउटकम

जेजेएम, ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य के अतिरिक्त, चार प्रमुख मापनीय आउटकम प्राप्त करने का भी प्रयत्न करता है, जैसे कि ग्रामीण समुदायों की स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार, महिलाओं और बालिकाओं के श्रम भार में कमी एवं महिलाओं का सशक्तीकरण, उच्च प्राथमिक स्तर की लड़कियों की स्कूल छोड़ने की दर में कमी तथा ग्रामीण समुदायों के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि। इन आउटकम का आंकलन, मूल्यांकन अध्ययन/कार्यशीलता आंकलन एवं सामाजिक लेखापरीक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। मुख्य अभियन्ता (जेजेएम) तथा चयनित पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएं प्रकट हुईः

2.2.1 परिकल्पित परिणामों का आंकलन करने हेतु मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.2 के अनुसार, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया जाना था। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 8.6 के अन्तर्गत एसडब्ल्यूएसएम द्वारा वार्षिक कार्य-अनुसंधान और समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन अनिवार्य थे, ताकि ग्रामीण जल आपूर्ति प्रबंधन के लिए साक्ष्य-आधारित नीति हस्तक्षेप संभव हो सके।

फरवरी 2021 में आयोजित बैठक में, एसडब्ल्यूएसएम की कार्यकारी समिति ने प्रावधानों के अनुरूप मूल्यांकन अध्ययन, प्रभाव आंकलन तथा अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आरंभ करने हेतु एक एजेंडा नोट तैयार करने तथा यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि इस विषय का प्रत्येक आगामी बैठक में संज्ञान में लिया जाए।

तथापि, लगभग चार वर्षों के बाद भी, जेजेएम के ग्रामीण समुदायों की स्वास्थ्य स्थिति, महिलाओं के सशक्तिकरण, लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर एवं रोजगार में वृद्धि के सम्बन्ध में जेजेएम के प्रभाव का आंकलन एसडब्ल्यूएसएम द्वारा नहीं किया गया। इसके अलावा, एसडब्ल्यूएसएम की कार्यकारी समिति की आगामी बैठकों में मूल्यांकन अध्ययन के विषय को सम्मिलित नहीं किया गया, जैसाकि 25 फरवरी 2021 की बैठक में निर्णय लिया गया था।

अनिवार्य मूल्यांकन अध्ययन आरम्भ न करने में इस विफलता के परिणामस्वरूप, जेजेएम की प्रगति के आंकलन एवं सेवा वितरण में सुधार के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया चक्र अनुपस्थित रहा, जिससे राज्य की साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक कार्रवाई करने की क्षमता कमजोर हुई।

जेजेएम के लाभार्थियों पर प्रभाव आंकलन हेतु सितंबर से दिसंबर 2024 के बीच 560[4] ग्रामीण परिवारों (153 एससी/एसटी, 407 ओबीसी/सामान्य लाभार्थी) का लाभार्थी सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से 211 महिलाएं थीं। इस सर्वेक्षण में लाभार्थियों से प्रश्नावली के माध्यम से वार्ता की गई। सर्वेक्षण के परिणाम निम्नानुसार हैं:

- जेजेएम लागू होने से पहले जल लाने में लाभार्थियों को बहुत अधिक समय लगता था, जैसा कि नीचे **तालिका 2.6** में विवरण दिया गया है:

तालिका 2.6: जेजेएम लागू होने से पहले लाभार्थियों को जल लाने में लगने वाला समय

क्रम स.	पानी लाने में लगा समय	उत्तर देने वाले लाभार्थियों की संख्या (कुल 560 लाभार्थियों में से)	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	प्रतिदिन एक घंटे तक	169	30.18
2.	प्रतिदिन एक से दो घंटे तक	160	28.57
3.	प्रतिदिन दो से तीन घंटे तक	65	11.61
4.	प्रतिदिन तीन घंटे से अधिक	20	3.57
5.	पानी की अपनी व्यवस्था	145	25.89
6.	जवाब नहीं दिया	1	0.18

स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा किया गया लाभार्थी सर्वेक्षण

- इसी प्रकार, जेजेएम लागू होने से पहले लाभार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जैसा कि नीचे **तालिका 2.7** में विवरण दिया गया है:

[4] प्रत्येक 28 चयनित गांवों से 20-20 लाभार्थी।

तालिका 2.7: जेजेएम से पहले लाभार्थियों द्वारा पानी लाने में तय की गई दूरी का विवरण

क्रम स.	पानी लाने में तय की गई दूरी	उत्तर देने वाले लाभार्थियों की संख्या (कुल 560 लाभार्थियों में से)	सर्वेक्षण किए गए लाभार्थियों का प्रतिशत
1.	प्रतिदिन एक किमी तक	284	50.71
2.	प्रतिदिन एक से दो किमी से अधिक	33	05.89
3.	प्रतिदिन दो से तीन किमी से अधिक	34	06.07
4.	प्रतिदिन तीन किमी से अधिक	81	14.46
5.	लागू नहीं (घर पर खुद का इंतज़ाम)	128	22.86

स्रोतः लेखापरीक्षा द्वारा किया गया लाभार्थी सर्वेक्षण

तालिका 2.6 एवं 2.7 से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष:

1. जेजेएम लागू होने से पहले, अधिकांश लाभार्थियों को जल लाने में काफी समय लगता था। सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से लगभग 43.75 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन एक घंटे से अधिक समय जल लाने में व्यतीत करते थे, जबकि 15.18 प्रतिशत परिवार प्रतिदिन दो घंटे से अधिक समय व्यतीत करते थे। यह विशेष रूप से उन परिवारों के लिए रोजमर्रा के श्रम के अत्यधिक बोझ को प्रदर्शित करता है, जिनके पास अपने जल का प्रबंध नहीं था।

2. लगभग 26 प्रतिशत लाभार्थियों को जल लेने के लिए प्रतिदिन एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी पड़ती थी, जिसमें 14.46 प्रतिशत ऐसे थे जिन्हें प्रतिदिन तीन किलोमीटर से अधिक चलना पड़ता था। यह जेजेएम लागू होने से पहले जल-अभाव वाली बस्तियों में पहुँच की गंभीर बाधाओं को दर्शाता है।

3. जेजेएम के अन्तर्गत समावेशन प्राप्त होने के बाद, लाभार्थियों ने बताया कि अब उन्हें लंबी दूरी तय करने की आवश्यकता नहीं है और समय की बचत हुई है। इससे स्पष्ट होता है कि नल कनेक्शन ने पेयजल तक भौतिक पहुँच को काफी हद तक सुधार दिया और रोजमर्रा के श्रम को कम किया।

इसके अलावा, केवल 27.68 प्रतिशत लाभार्थियों ने जेजेएम समावेशन के बाद जलजनित रोगों में कमी पाई, जबकि 33.93 प्रतिशत ने कोई सुधार नहीं पाया एवं 38.39 प्रतिशत अनिश्चित थे या उत्तर नहीं दिया। यह इंगित करता है कि स्वास्थ्य लाभ, यद्यपि विद्यमान थे, किंतु वे न तो व्यापक थे एवं न ही लाभार्थियों के एक बड़े वर्ग को स्पष्ट रूप से महसूस हुए।

यद्यपि जेजेएम ने पहुँच में सुधार एवं समय की बचत के संदर्भ में ठोस लाभ प्रदान किए हैं, तथापि स्वास्थ्य परिणामों के संबंध में लाभार्थियों की अनिर्णीत धारणा यह दर्शाती है कि मिशन के व्यापक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाव को स्थापित करने हेतु जल गुणवत्ता की बेहतर सुनिश्चितता, सतत आपूर्ति तथा परिणामों के प्रणालीबद्ध मूल्यांकन की आवश्यकता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2025) कि यूनिसेफ, एसडब्ल्यूएसएम के साथ मिलकर चयनित जिलों में अनुसंधान अध्ययन करता है, एवं इन मूल्यांकनों से राज्यस्तरीय निर्णय लेने हेतु इनपुट प्राप्त होते हैं। साथ ही यह भी बताया गया कि स्वतंत्र मूल्यांकन/प्रभाव आंकलन अध्ययन, भविष्य में परामर्शदाताओं के माध्यम से किए जाएंगे, ताकि साक्ष्य-आधारित सुधारात्मक उपाय अपनाए जा सकें।

2.2.2 सामाजिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशानिर्देशों के क्लॉज 5.4 (xviii) के अनुसार, सामाजिक लेखापरीक्षा का कार्य जीपी/वीडब्ल्यूएससी द्वारा किया जाना था, ताकि सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से निर्धारित परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके। सामाजिक लेखापरीक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से किसी कार्यक्रम के लाभार्थी एवं हितधारक इसके क्रियान्वयन का मूल्यांकन करते हैं, ताकि पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक आवश्यकताओं की अनुरूपता सुनिश्चित की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, राज्य सरकार ने जेजेएम के अन्तर्गत समावेशित ग्रामों में सामाजिक लेखापरीक्षाओं के लिए कोई संस्थागत तंत्र स्थापित नहीं किया। न तो कोई दिशा-निर्देश/आदेश जारी किए गए, और न ही सामाजिक लेखापरीक्षा कराने के लिए किसी तृतीय पक्ष/एनजीओ को नामित किया गया।

जेजेएम के अन्तर्गत सामाजिक लेखापरीक्षाएं निष्पादित करने हेतु संरचित तंत्र की अनुपस्थिति ने सामुदायिक भागीदारी को सीमित किया एवं ग्रामस्तर पर मिशन को महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया तथा जवाबदेही के साधन से वंचित किया। सामाजिक लेखापरीक्षाओं के बिना, लाभार्थियों के पास समावेशन, कार्यशीलता और जल आपूर्ति की पर्याप्तता का सत्यापन करने या गुणवत्ता, समानता एवं सततता से जुड़े विषय उठाने का सीमित अवसर था। इससे पारदर्शिता तथा स्थानीय स्वामित्व दुर्बल हुआ, शिकायत निवारण की प्रभावशीलता में कमी आई, एवं यह आंकलन करने की राज्य की क्षमता सीमित हो गई कि मिशन के परिकल्पित परिणाम धरातल पर वास्तविकता में प्राप्त हो रहे थे या नहीं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि सामाजिक लेखापरीक्षा, गतिविधियों के क्रियान्वयन के बाद के चरण में क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों (आईएसए) द्वारा की जा रही है, एवं सभी परिवारों को एफएचटीसी मिलने के बाद सामाजिक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट समेकित की जाएगी। साथ ही यह भी बताया गया कि भविष्य की योजनाओं में विशेष उद्देश्य-उन्मुख सामाजिक अध्ययन को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

2.3 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय में यह प्रकट हुआ कि घरेलू नल कनेक्शनों के समावेशन एवं कार्यशीलता दोनों में लगातार कमी रही, साथ ही, राज्य जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग और हर घर जल प्रमाणन में काफी पीछे है। प्राथमिकता वाले क्षेत्र यथा जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियाँ, आकांक्षी जिले, पीवीटीजी बस्तियाँ तथा विद्यालय एवं आंगनवाड़ी जैसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक संस्थान अभी भी पर्याप्त रूप से समाविष्ट नहीं हैं। फ्लो मीटरों और घरेलू मीटरों की अनुपस्थिति ने सेवा वितरण

की निगरानी को कमजोर किया है, जबकि अनिवार्य मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षाएं नहीं की गईं, जिससे पारदर्शिता तथा सुधारात्मक हस्तक्षेप सीमित रहे। लाभार्थी सर्वेक्षणों से कुछ सुधार एवं सामान्य संतोष परिलक्षित हुआ। समग्र रूप से, जेजेएम के अंतर्गत राज्य का प्रदर्शन अपेक्षाओं से काफी नीचे रहा, जिससे सुरक्षित पेयजल तक व्यापक, विश्वसनीय एवं समानतापूर्ण पहुँच के मिशन के उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 सिफारिशें

- ***राज्य सरकार जल गुणवत्ता से प्रभावित बस्तियों, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों को समयबद्ध कार्ययोजना के माध्यम से, नियमित समीक्षा सहित, प्राथमिकता प्रदान कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार, जेजेएम की परिचालन निर्देशिका की परिकल्पना अनुसार, स्वास्थ्य परिणामों, श्रमभार में कमी, बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति तथा आजीविका पर प्रभाव को सम्मिलित करते हुए, निर्धारित अंतराल पर स्वतंत्र मूल्यांकन अध्ययनों को प्रारम्भ करने हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की कार्यकारी समिति को निर्देश दे सकती है।***

- ***राज्य सरकार निगरानी एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए कार्यशील फ्लो मीटरों/घरेलू मीटरों की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है तथा नियमित मूल्यांकन अध्ययन एवं सामाजिक लेखापरीक्षायें करवा सकती है।***

- ***राज्य सरकार जेजेएम के अंतर्गत सामाजिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु विस्तृत दिशानिर्देश जारी कर सकती है, जिनमें क्षेत्राधिकार, आवृत्ति, ग्राम पंचायतों/ वीडब्ल्यूएससी की भूमिकाएँ तथा प्रतिवेदन प्रारूपों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए।***

अध्याय–3

आयोजना एवं निगरानी

अध्याय-3

आयोजना एवं निगरानी

यह अध्याय जेजेएम की निगरानी एवं क्रियान्वयन हेतु विभिन्न स्तरों पर स्थापित संस्थागत तंत्र एवं बॉटम-अप आयोजना पद्धति को अपनाने की समीक्षा से सम्बंधित है।

3.1 ग्रामों में जेजेएम योजनाओं के नियोजन में बॉटम-अप पद्धति को नहीं अपनाया जाना

जेजेएम को सामुदायिक सहभागिता आधारित योजना के रूप में बॉटम-अप पद्धति को अपनाते हुए तैयार किया गया था। इस उद्देश्य से, ग्राम कार्ययोजना (वीएपी) को अगले 30 वर्षों के लिए किसी ग्राम की पेयजल समस्या के व्यापक एवं समग्र समाधान के रूप में परिकल्पित किया गया था। वीएपी को ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी द्वारा क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) के सहयोग से आधारभूत सर्वेक्षण, संसाधन मानचित्रण एवं ग्रामीण समुदाय द्वारा महसूस की गयी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार किया जाना था। जिले के सभी ग्रामों की वीएपी को समेकित कर डीडब्ल्यूएसएम द्वारा जिला कार्य योजना (डीएपी) तैयार की जानी थी तथा सभी डीएपी को समेकित कर राज्य कार्य योजना तैयार की जानी थी।

जेजेएम के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय, ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी के माध्यम से, पीएचईडी द्वारा निर्मित की जाने वाली ग्राम-स्तरीय अवसंरचना की आयोजना, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए तथा उसके संचालन पश्चात् प्रबंधन के लिए भी उत्तरदायी था।

लेखापरीक्षा में चयनित 28 ग्रामों के अभिलेखों की जाँच में यह पाया गया कि 24 ग्राम कार्य योजनाएँ, एसएलएसएससी द्वारा जलापूर्ति योजनाओं की स्वीकृति की तिथि से 19 दिवस से 17 माह के विलम्ब से तैयार की गयी, इससे बॉटम-अप योजना निर्माण के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। यह समयांतराल दर्शाता है कि योजना की परिकल्पना के अनुसार ग्राम समुदाय स्तर पर योजना निर्माण का अभाव रहा।

सहभागिता से योजना निर्माण तथा सूचित विकल्प के अभाव से जेजेएम के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन होता है, जिसके परिणामस्वरूप अव्यवस्थित अवसंरचना, समुदाय का कम स्वामित्व तथा दीर्घकालिक स्थिरता पर जोखिम उत्पन्न हो सकता है।

इसके अतिरिक्त, परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xxvii) के अनुसार, पीएचईडी द्वारा ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी के समक्ष पूर्ण तकनीकी-आर्थिक एवं सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण सहित न्यूनतम संभावित लागत वाली जलापूर्ति प्रणाली के तीन विकल्प विचारार्थ प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित थे, जिससे ग्राम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन किया जा सके।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित किसी भी ग्राम में पीएचईडी द्वारा ग्राम पंचायत/वीडब्ल्यूएससी को कोई विकल्प प्रस्तुत नहीं किए गए। तथ्य यह भी इंगित करता है कि बॉटम-अप योजना पद्धति को नहीं अपनाया गया तथा ग्राम के लिए जलापूर्ति योजनाओं के डिजाईन के समय ग्राम समुदाय के सुझावों पर विचार नहीं किया गया।

इसके अतिरिक्त, एसडब्ल्यूएसएम/डीडब्ल्यूएसएम द्वारा भी अपने ग्रामों की योजनाओं के डिजाईन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई, जबकि यह जेजेएम का एक प्रमुख सिद्धांत है। क्षेत्रीय अध्ययन के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा प्रत्येक जिले में एक फोकस समूह चर्चा (एफजीडी) आयोजित की गई, जिसमें लाभार्थी समुदाय, वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया। सात में से पाँच एफजीडी में यह पाया गया कि पीएचईडी द्वारा ग्राम पंचायतों के अनुमोदन हेतु ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजना का विकल्प प्रस्तुत नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि अब वीएपी को समय पर, अर्थात् डीपीआर के अंतिम रूप दिए जाने से पूर्व, तैयार करने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को, जहाँ लागू हो, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुपालन में वीडब्ल्यूएससी के समक्ष वैकल्पिक डिजाईन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है।

3.2 तीन वितरण बिंदुओं पर नल कनेक्शनों हेतु अपर्याप्त आयोजना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5(ii) के अनुसार, ग्रामो के लिए जलापूर्ति योजनाओं का आयोजन इस प्रकार की जानी थी कि प्रत्येक परिवार को तीन जल वितरण बिंदु, यथा रसोई, धोने एवं स्नान का क्षेत्र तथा शौचालय में, उपलब्ध करवाए जाए। तथापि, तीन नल कनेक्शनों में से मात्र एक नल कनेक्शन का वित्त-पोषण जेजेएम के अंतर्गत किया जाना था, जबकि शेष दो नल कनेक्शनो की स्थापना, अभिसरण या घरेलू सहयोग के माध्यम से की जानी अपेक्षित थी।

चयनित 28 ग्रामों के 560 परिवारों के सर्वेक्षण के दौरान लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मात्र आठ ग्रामों के 36 परिवारों को ही तीनों वितरण बिंदुओं की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। शेष परिवारों तक यह प्रावधान विस्तारित करने में क्रियान्वयन एजेंसियाँ विफल रहीं, जिससे वे स्वच्छता, सुविधा एवं कार्यक्षमता के अभिप्रेत लाभों से वंचित रह गए।

इसके अतिरिक्त, दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वच्छ उपयोग सुनिश्चित करने तथा जल अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए कम से कम एक नल कनेक्शन को ऊर्ध्वाधर आधार पर प्लेटफॉर्म सहित स्थापित किया जाना अनिवार्य था। तथापि, यह व्यवस्था केवल तीन ग्रामों[1] में ही निर्मित पाई गई, जिससे योजना के स्वच्छता एवं संचालन संबंधी उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

यह कमियाँ जेजेएम के घरेलू सेवा प्रदाय मानकों से महत्वपूर्ण विचलन को परिलक्षित करती हैं, जिससे योजना के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रभावो में कमी आने एवं ग्रामीण परिवारों के लिए दैनिक असुविधा की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका है।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि क्षेत्रीय कार्मिकों को भविष्य में स्वच्छता एवं डिजाईन मानकों का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है, जिसमें भावी स्थापनाओं में कार्यक्षमता बढ़ाने तथा जल अपव्यय को न्यूनतम करने के लिए ऊर्ध्वाधर आधार एवं प्लेटफॉर्म की व्यवस्था भी सम्मिलित है।

1. रतनपुरा, प्रेमपुरा एवं 13 एचएमएच।

3.3 राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन एवं कार्यप्रणाली

राज्य स्तर पर पेयजल आपूर्ति से सम्बंधित समन्वय, अभिसरण एवं नीतिगत मार्गदर्शन हेतु राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की अवधारणा वर्ष 1999 में प्रारंभ की गई थी। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों में एसडब्ल्यूएसएम को राज्य में जेजेएम के क्रियान्वयन हेतु समग्र नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने वाले शीर्ष संस्थागत निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है। एसडब्ल्यूएसएम की अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा की जाती है एवं प्रमुख शासन सचिव, पीएचईडी, मिशन निदेशक के रूप में कार्य करते हैं। एसडब्ल्यूएसएम में दो समितियाँ सम्मिलित हैं, नामतः शीर्ष, समिति जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है, एवं कार्यकारी समिति, जिसकी अध्यक्षता मिशन निदेशक (जेजेएम) द्वारा की जाती है। शीर्ष समिति का कार्य राज्य में जेजेएम के समग्र क्रियान्वयन हेतु नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करना है, जबकि कार्यकारी समिति का गठन जलापूर्ति परियोजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रदर्शन की निगरानी एवं प्रबंधन के उद्देश्य से किया गया है। अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सहायक गतिविधियाँ) के अभिलेखों की जाँच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गयीः

3.3.1 एसडब्ल्यूएसएम बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन न किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, शीर्ष समिति की बैठक कम से कम वर्ष में दो बार आयोजित किया जाना अनिवार्य था। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान शीर्ष समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। इसके पश्चात वर्ष 2021 से 2024 की अवधि में मात्र चार बैठकें आयोजित की गईं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2019-20 से 2023-24 की अवधि में शीर्ष समिति के द्वारा कम से कम दस बैठकें आयोजित किया जाना अपेक्षित था।

इस प्रकार, कार्यकारी समिति द्वारा भी वर्ष 2019-20 में बैठकों का आयोजन नहीं किया गया। यद्यपि 25 फरवरी 2021 को आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में समस्त महत्वपूर्ण कार्यों की निगरानी हेतु मासिक आधार पर बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया था, तथापि इस निर्णय का क्रियान्वयन नहीं किया गया।

शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति के द्वारा नियमित बैठकें आयोजित न किए जाने के कारण, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति, जलापूर्ति परियोजनाओं का प्रबंधन, नवीन नवाचारों/प्रौद्योगिकियों के प्रोत्साहन इत्यादि महत्वपूर्ण कार्यों की समुचित निगरानी सुनिश्चित नहीं हो सकी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि दिशा-निर्देशों के अनुसार एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति की नियमित बैठकें आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

3.3.2 एसडब्ल्यूएसएम के लिए निर्धारित प्रमुख कार्य

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों में एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति तथा कार्यकारी समिति द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया गया है। लेखापरीक्षा में

एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति एवं कार्यकारी समिति के कार्य निष्पादन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईः

3.3.2.1 प्रोत्साहन तंत्र हेतु नीति का अभाव

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 7.13 के अनुसार, जीपी/वीडब्ल्यूएससी को योजना के एक वर्ष तक सफलतापूर्वक संचालन एवं प्रबंधन करने के उपरांत प्रोत्साहन दिए जाने का प्रावधान किया गया था। इस हेतु यह आवश्यक था कि योजना के अंतर्गत सम्मिलित सभी ग्रामीण परिवारों को निर्धारित गुणवत्ता का पर्याप्त जल नियमित रूप से उपलब्ध करवाया जाए एवं संचालन एवं रख-रखाव हेतु जल शुल्क की नियमित वसूली सुनिश्चित की जाए। एसडब्ल्यूएसएम द्वारा जीपी/वीडब्ल्यूएससी को प्रोत्साहित करने हेतु ठोस एवं पारदर्शी मानदंड विकसित करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सतत जलापूर्ति प्रणालियों एवं प्रभावी संचालन तथा रख-रखाव को प्रोत्साहित करना था।

इस प्रोत्साहन के अंतर्गत, ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति अवसंरचना की लागत का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग, जेजेएम निधि से पाँच वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप से जीपी/वीडब्ल्यूएससी को वितरित किया जाना था। यह प्रोत्साहन निधि ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति से सम्बंधित तात्कालिक मरम्मत व्यय की पूर्ती हेतु एक रिवॉल्विंग निधि के रूप में प्रायोजित की जानी थी, जिससे जलापूर्ति बाधित न हो। रिवॉल्विंग फंड से ब्याज या प्रतिफल प्राप्त होना अपेक्षित है, जिसका उपयोग रख-रखाव कार्यों के लिए किया जा सकता है।

तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि एसडब्ल्यूएसएम द्वारा इस हेतु कोई मानदंड निर्धारित नहीं किए गए। परिणामस्वरूप, आदिनांक तक किसी भी जीपी/वीडब्ल्यूएससी को प्रोत्साहन राशि प्रदान नहीं की गयी है, जिससे स्थानीय प्रबंधन को सुदृढ़ करने एवं निर्बाध जलापूर्ति संचालन सुनिश्चित करने के प्रयास प्रभावित हुए।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि संचालन एवं प्रबंधन नीति, जिसमें जेजेएम योजनाओं के सफल संचालन हेतु जीपी/वीडब्ल्यूएससी को प्रोत्साहन हेतु प्रावधान सम्मिलित है, वर्तमान में अनुमोदन हेतु प्रक्रियाधीन है।

3.3.2.2 ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं हेतु संचालन एवं रख-रखाव (ओएंडएम) नीति के अन्तिमीकरण का अभाव

जेजेएम के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान है कि राज्य न्यूनतम उपभोक्ता शुल्क/जल शुल्क लागू करें, जिससे आवर्ती संचालन एवं रख-रखाव व्यय, उपयोगकर्ताओं द्वारा वहन किये जा सके एवं उनमें स्वामित्व की भावना विकसित हो।

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.2 (xvii) के अंतर्गत, संचालन एवं रख-रखाव रणनीति विकसित करने एवं मासिक टैरिफ/उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारित करने का उत्तरदायित्व, जिससे ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति प्रणाली की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति को सौंपा गया था।

इसी परिप्रेक्ष्य में, जीपी/वीडब्ल्यूएससी के माध्यम से स्थानीय समुदायों को जेजेएम के अंतर्गत पेयजल स्रोतों सहित ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति प्रणालियों की आयोजना, क्रियान्वयन, प्रबंधन, संचालन एवं रख-रखाव में केन्द्रीय भूमिका प्रदान की गई थी। जबकि, राज्य सरकार एवं पीएचईडी को सुगमकर्ता की वास्तविक भूमिका निभानी थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि अगस्त 2024 तक, योजना के प्रारम्भ के कई वर्ष पश्चात् भी, एसडब्ल्यूएसएम द्वारा कोई औपचारिक संचालन एवं रख-रखाव रणनीति अथवा टैरिफ संरचना का अंतिमीकरण नहीं किया गया था। यह विषय वर्तमान में भी विचाराधीन था एवं इसके निस्तारण हेतु कोई स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। परिभाषित टैरिफ नीति के अभाव में, अधिकांश जीपी एवं वीडब्ल्यूएससी, उपभोक्ता शुल्क के संकलन हेतु कोई सुसंगत तंत्र विकसित नहीं कर सके, जिससे नियमित रखरखाव एवं तात्कालिक मरम्मत की आवश्यकताओं के लिए निधि की व्यवस्था करना कठिन हो गया।

यह विलंब जेजेएम के उस मूल उद्देश्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, जिसके अंतर्गत स्थानीय निकायों को अपनी जलापूर्ति अवसंरचना का स्वतंत्र एवं सतत प्रबंधन करने हेतु सशक्त बनाना जाना था। राज्य-स्तरीय समिति से वित्तीय स्पष्टता एवं रणनीतिक मार्गदर्शन के अभाव में, जीपी/वीडब्ल्यूएससी जलापूर्ति प्रणालियों का प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव सुनिश्चित नहीं कर सके।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि ग्राम स्तर पर वीडब्ल्यूएससी को सशक्त बनाने एवं विभिन्न वित्तीय विकल्पों तथा टैरिफ संरचना को सम्मिलित करते हुए संचालन एवं रख-रखाव नीति वर्तमान में अनुमोदन किये जाने हेतु प्रक्रियाधीन है।

3.3.2.3 जल अपव्यय को हतोत्साहित करने हेतु नीति का अभाव

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.2 (xi) के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम की शीर्ष समिति जल अपव्यय को हतोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन तंत्र विकसित किये जाने हेतु उत्तरदायी थी, साथ ही उसे अधिक मात्रा में जल आपूर्ति, वितरण तंत्र एवं घरेलू स्तर की जलापूर्ति पर होने वाले आवर्ती व्यय की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दायित्व भी निर्धारित किया गया था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि अगस्त 2024 तक एसडब्ल्यूएसएम द्वारा इस सम्बन्ध में तंत्र विकसित नहीं किया गया था। जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं परिचालन व्यय की वसूली हेतु संरचित प्रणाली के अभाव में, योजना के अंतर्गत जल के अस्थिर उपभोग एवं ग्रामीण जलापूर्ति अवसंरचना के प्रबंधन में वित्तीय न्यूनता उत्पन्न होने का जोखिम बना रहता है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया गया (नवंबर 2025) कि जल अपव्यय को हतोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन/निरुत्साहन से संबंधित प्रावधान, प्रस्तावित संचालन एवं रख-रखाव नीति में समाविष्ट किए गए है एवं वर्तमान में राज्य में बाह्य प्रचार साधनों के माध्यम से जल अपव्यय को हतोत्साहित किया जा रहा है।

जल अपव्यय को बाह्य प्रचार अभियान के माध्यम से हतोत्साहित किए जाने का औचित्य संतोषजनक नहीं पाया गया, क्योंकि जल के कुशल उपयोग को प्रोत्साहित करने एवं जल अपव्यय को रोकने के महत्वपूर्ण पहलुओं के समाधान हेतु समुचित प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन तंत्र विकसित नहीं किया गया था। चयनित वीडब्ल्यूएससी के सदस्यों से की गई पूछताछ से यह भी प्रकट हुआ

कि जल अपव्यय को हतोत्साहित करने के मुद्दे के समाधान हेतु सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी थी।

3.4 जिला जल एवं स्वच्छता मिशन का गठन एवं कार्यप्रणाली

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में मिशन के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डीडब्ल्यूएसएम) का गठन किया जाना था। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित डीडब्ल्यूएसएम में स्वास्थ्य, वन, शिक्षा, कृषि तथा जनसंपर्क विभागों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाना था। अधिशाषी अभियंता (पीएचईडी) को सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करना था, जबकि स्थानीय सांसदों एवं जल प्रबंधन, सामुदायिक विकास एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में सह-नामित किया जाना था।

डीडब्ल्यूएसएम को ग्रामस्तरीय जलापूर्ति योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने, ग्राम जल स्रोतों के संरक्षण एवं सुरक्षा योजना तैयार करने, ग्रे-वॉटर प्रबंधन सुनिश्चित करने तथा जल निकायों/स्रोतों को प्रदूषित होने से रोकने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करना अनिवार्य था। । इसे जिला परियोजना प्रबंधन इकाई (डीपीएमयू) द्वारा सहयोग प्रदान किया जाना था, जिसमें मानव संसाधन अर्थात एक परियोजना प्रबंधक एवं आईएसए, आईईसी, क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, एमआईएस एवं डब्ल्यूक्यूएमएंडएस हेतु समन्वयक सम्मिलित थे। चयनित जिलों के अधीक्षण अभियंता (वृत्त) के अभिलेखों की जाँच से निम्नलिखित अनियमितताएँ प्रकट हुईः

3.4.1 डीडब्ल्यूएसएम बैठकों के आयोजन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन न किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक डीडब्ल्यूएसएम द्वारा जिला स्तर पर जेजेएम कार्यों की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु मासिक बैठकें आयोजित किया जाना अपेक्षित था।

नियमानुसार अपेक्षित एवं वास्तविक आयोजित बैठकों का विवरण निम्न **तालिका 3.1** में प्रदर्शित किया गया है:

तालिका 3.1ः राजस्थान में डीडब्ल्यूएसएम द्वारा आयोजित बैठकें

चयनित ज़िले का नाम	डीडब्ल्यूएसएम के गठन की दिनांक	2019-24 की अवधि में बैठकें जिनका आयोजन अपेक्षित था	2019-24 के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों के आयोजन में कमी (प्रतिशत में)
अलवर	01 अक्टूबर 2020	42	25	17 (*40.48*)
हनुमानगढ़	27 नवंबर 2020	40	30	10 (*25.00*)
बारां	31 जुलाई 2020	44	33	11 (*25.00*)
जैसलमेर	20 नवंबर 2020	40	29	11 (27.50)
जोधपुर	26 अक्टूबर 2020	41	20	21 (*51.21*)
पाली	27 नवंबर 2020	40	30	10 (*25.00*)
सिरोही	27 नवंबर 2020	40	22	18 (*45.00*)
कुल		**287**	**189**	**98 (*34.15*)**

स्रोतः लेखापरीक्षा के दौरान चयनित जिलों में सचिव, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा प्रदान की गई सूचना।

लेखापरीक्षा में चयनित सात जिलों के अभिलेखों की समीक्षा से यह पाया गया कि वर्ष 2019-2024 की अवधि में अपेक्षित कुल 287 बैठकों के स्थान पर मात्र 189 बैठकें ही आयोजित की गईं।

निर्धारित बैठकों के आयोजन में कमी के कारण जेजेएम के क्रियान्वयन की प्रभावी निगरानी बाधित हुई। पर्यवेक्षण में इस अंतर के परिणामस्वरूप चयनित ग्राम योजनाओं में विभिन्न अनियमितताएँ उत्पन्न हुई, जैसे आरडब्ल्यूएसएस के पूर्ण होने में विलम्ब, संवेदकों को अनियमित/अधिक भुगतान, तकनीकी हस्तक्षेपों/नवाचारों का अभाव, स्रोत सततता संबंधी उपायों के क्रियान्वयन का अभाव, पूर्ण जलापूर्ति योजनाओं का वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरण ना किया जाना इत्यादि, जिनकी आगामी अध्यायों में विस्तृत रूप से चर्चा की गई हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुरूप मासिक बैठकें आयोजित किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

3.4.2 डीडब्ल्यूएसएम के लिए निर्धारित प्रमुख कार्य

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.3(iv) के अनुसार, डीडब्ल्यूएसएम द्वारा अभिसरण के माध्यम से ग्रामों में स्रोत सततता संबंधी कार्यों एवं ग्रे-वॉटर प्रबंधन[2] हेतु निधियो की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी थी एवं परियोजनाओं को तभी स्वीकृति प्रदान की जानी थी, जबकि ये घटक डीपीआर का हिस्सा हों।

चयनित 28 ग्रामों से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

(i) नौ ग्रामों में स्रोत सततता से संबंधित प्रावधान अपेक्षित थे, तथापि नौ ग्रामों में से सात ग्रामों में ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति के क्रियान्वयन में इससे सम्बंधित उपाय सम्मिलित नहीं किए गए।

(ii) इसके अतिरिक्त, चयनित ग्रामों की किसी भी योजना में ग्रे-वॉटर प्रबंधन को सम्मिलित नहीं किया गया।

यह चूक क्रियान्वित योजनाओं की दीर्घकालिक स्थायित्व एवं पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों को क्षीण करती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि वर्तमान में ग्रे-वॉटर से संबंधित विषय को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निस्तारित किया जा रहा है एवं आवश्यकतानुसार अभिसरण से संबंधित प्रकरणों के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को समय-समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। यह भी अवगत करवाया गया कि भविष्य में डीडब्ल्यूएसएम/एसडब्ल्यूएसएम स्तर पर समन्वय एवं अभिसरण सुनिश्चित किया जाएगा। स्रोत सततता हेतु निधियों के प्रावधान के अभाव के संबंध में कोई उत्तर नहीं दिया गया।

---

[2] ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ जल संसाधनों का संरक्षण तथा स्वच्छता में सुधार के उद्देश्य से स्नान, कपड़े धोने एवं खाना पकाने जैसी घरेलू गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्ट जल के संग्रहण, उपचार एवं पुनः उपयोग की प्रक्रिया।

3.5 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन एवं कार्यप्रणाली

परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 5.4 के अनुसार, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) की अध्यक्षता सरपंच/उप-सरपंच द्वारा की जानी थी। समिति में 10 से 15 सदस्य होने थे, जिनमें 25 प्रतिशत पंचायत के निर्वाचित सदस्य, 50 प्रतिशत महिला सदस्य एवं शेष 25 प्रतिशत ग्रामों के कमजोर वर्गों (एससी/एसटी) के प्रतिनिधि सम्मिलित किये जाने थे। सचिव, पंचायत समिति द्वारा इस समिति के सचिव के रूप में कार्य किया जाना था।

वीडब्ल्यूएससी ग्राम-स्तरीय जल आपूर्ति योजना एवं स्थानीय जल स्रोतों के प्रबंधन तथा नियमित संचालन एवं रख-रखाव हेतु उत्तरदायी थी। समिति को योजना की रूपरेखा तैयार करना, डिजाईन, क्रियान्वयन, ऋतु अनुसार जलापूर्ति का समय निर्धारित करना, ग्रामीण समुदाय को ग्राम-स्तरीय अवसंरचना लागत के 5/10 प्रतिशत योगदान हेतु प्रेरित एवं संगठित करना, जल शुल्क/उपभोग शुल्क का निर्धारण एवं संकलन, फील्ड टेस्ट किट्स के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण इत्यादि दायित्वों का निर्वहन करना था। वीडब्ल्यूएससी को न्यूनतम चार बैठकें प्रतिवर्ष आयोजित करना भी अपेक्षित था।

जेजेएम आईएमआईएस प्रतिवेदनों (22 अप्रैल 2024) के अनुसार, कुल 41,967 ग्रामों में से 38,057 ग्रामों में वीडब्ल्यूएससी का गठन किया गया था, जबकि शेष 3,910 ग्रामों में गठन नहीं किया गया था। सात जिलों के 28 चयनित ग्रामों में वीडब्ल्यूएससी से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गयाः

(अ) योजना हस्तांतरण-ग्रहण एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रकरण

(i) पूर्ण की जा चुकी 12 ग्राम जलापूर्ति परियोजनाओं में से मात्र दो परियोजनाओं को आगामी संचालन एवं रख-रखाव हेतु वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित किया गया था। केंद्रित समूह परिचर्चा (एफजीडी) के दौरान आयोजित सात में से दो एफजीडी में समुदाय द्वारा योजना के क्रियान्वयन एवं निगरानी में भाग लेने हेतु अनिच्छा व्यक्त की गई।

(ii) मात्र 10 ग्राम (35.71 प्रतिशत) निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर 55 लीटर एलपीसीडी प्राप्त कर सके, जबकि 18 ग्रामों (64.29 प्रतिशत) में निर्धारित स्तर से कम जलापूर्ति सूचित की गयी। अवसंरचना पूर्ण होने एवं एचजीजे प्रमाणीकरण के उपरांत भी (फरवरी 2024 तक) धाकरी ग्राम में जलापूर्ति प्रारंभ नहीं की गई।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के हस्तांतरण का निर्णय ग्राम सभा में लिया जाता है एवं ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करना पंचायती राज विभाग का उत्तरदायित्व है, जबकि पीएचईडी द्वारा आरडब्ल्यूएसएस के समयबद्ध हस्तांतरण हेतु कार्यवाही की जा रही है। यह भी अवगत करवाया गया कि कुछ क्षेत्रों में स्रोत सततता, जल उपलब्धता एवं अन्य स्थानीय कारकों से सम्बंधित कारणों से निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर के अनुरूप आपूर्ति नहीं की जा सकी। इन चुनौतियों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा स्रोत सततता संबंधी पहल की जा रही है । इसके अतिरिक्त, स्रोत सततता वीएपी/डीएपी का भी एक अंग है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि योजनाओं का हस्तांतरण एवं निर्धारित न्यूनतम सेवा स्तर सुनिश्चित करने का समग्र उत्तरदायित्व जेजेएम के नोडल विभाग पीएचईडी में निहित है। साथ ही, स्रोत सततता के उपायों को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा था, जैसाकि ***अनुच्छेद 4.2 से 4.8*** में उल्लेखित है।

(ब) सामुदायिक सहभागिता एवं जागरूकता

(i) तीन ग्रामों में जेजेएम के अंतर्गत जलापूर्ति योजनाएँ लेने का निर्णय खुली ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव पारित करके नहीं लिया गया।

(ii) क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (आईएसए) द्वारा मात्र 22 चयनित ग्रामों (78.57 प्रतिशत) में ग्राम सभा की खुली बैठकों के माध्यम से जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं, जबकि शेष छह ग्रामों (21.43 प्रतिशत) में इस प्रकार की किसी गतिविधि का संचालन नहीं किया गया।

(iii) किसी भी ग्राम में सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि जलापूर्ति योजनाएँ प्रारम्भ करने के निर्णय खुली ग्राम सभाओं में लिए जाते हैं एवं यदि किसी कारणवश ग्राम सभा की बैठके निर्धारित समय पर नहीं हो पाती है, ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय आगामी ग्राम सभा की बैठक में अनुमोदित किया जाता है। यह भी उल्लेख किया गया कि जागरूकता गतिविधियाँ आईएसए द्वारा क्लस्टर स्तर पर डीडब्ल्यूएसएम की निगरानी में संचालित की जा रही हैं एवं जेजेएम योजनाओं के पूर्ण होने के उपरांत सामाजिक लेखापरीक्षा का क्रियान्वयन किया जाएगा।

उत्तर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इसमें, इंगित ग्रामों में अगली ग्राम सभाओं में जलापूर्ति कार्य आरम्भ करने के निर्णय के अनुमोदन के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही, इंगित ग्रामो में, आईएसए द्वारा जागरूकता गतिविधियों में पाई गई कमियों के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट टिप्पणी भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

(स) वित्तीय प्रबंधन एवं निधि का उपयोग

(i) समस्त 28 ग्रामों में सामुदायिक अंशदान[3] संग्रहण हेतु बैंक खाते खोले गए थे। तथापिः

- 13 ग्रामों में अंशदान संग्रहण नहीं किया गया।
- अन्य 13 ग्रामों में ₹ 0.29 करोड़ के सामुदायिक अंशदान का संग्रहण किया गया, जिसमें से ₹ 0.25 करोड़ की राशि बैंक खाते में जमा की गई। तथापि, संचालन एवं रख-रखाव हेतु दिशा-निर्देश/नीति एवं निधियों के उपयोग सम्बन्धी निर्देशों के अभाव में जमा राशि का उपयोग नहीं किया गया। जबकि शेष सामुदायिक अंशदान की ₹ 0.04 करोड़ की राशि तीन वीडब्ल्यूएससी द्वारा जमा नहीं की गई अथवा आंशिक रूप से जमा की गई।
- दो वीडब्ल्यूएससी के अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाए गए।

[3] ग्राम-स्तरीय जल आपूर्ति अवसंरचना की पूंजीगत लागत का 5/10 प्रतिशत।

(ii) ग्राम स्तरीय अवसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु उपयोगकर्ता शुल्क/जल शुल्क 27 ग्रामों (96.43 प्रतिशत) में न तो निर्धारित किए गए एवं न ही उनका संग्रहण किया गया। मात्र एक ग्राम में उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण एवं संग्रहण की सूचना प्राप्त हुई।

(iii) यद्यपि 10 वीडब्ल्यूएससी (35.71 प्रतिशत) में रोकड़ बही खोली गई थीं, किन्तु मात्र सात वीडब्ल्यूएससी द्वारा नियमित प्रविष्टियाँ की गईं। मात्र 12 वीडब्ल्यूएससी (42.86 प्रतिशत) द्वारा रोकड़ बही, परिसंपत्ति रजिस्टर, वीडब्ल्यूएससी बैठकों के अभिलेख, सामग्री/भण्डार पंजिका इत्यादी मूल अभिलेख संधारित किए जा रहे थे।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि आईएसए द्वारा सामुदायिक अंशदान के रूप में ₹ 128.24 करोड़ की राशि संकलित की गयी थी, लेकिन राज्य सरकार ने फरवरी 2023 में विधानसभा में सामुदायिक अंशदान माफ करने की घोषणा की। राज्य सरकार द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि सूचीबद्ध एजेंसियों के सहयोग से वीडब्ल्यूएससी को रोकड़ बही संधारण तथा संचालन एवं रख-रखाव के प्रबंधन में प्रशिक्षित किये जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(द) संस्थागत संरचना एवं सुशासन

(i) नौ वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया, क्योंकि इनमें महिलाओं (50 प्रतिशत) तथा एससी/एसटी अथवा कमजोर वर्गों (25 प्रतिशत) का अनिवार्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं किया गया था।

(ii) किसी भी ग्राम में वर्ष के दौरान वीडब्ल्यूएससी की न्यूनतम आवश्यक चार बैठकों का आयोजन नहीं किया गया।

राज्य सरकार द्वारा अपने प्रत्युत्तर में (नवंबर 2025) संस्थागत संरचना एवं सुशासन से संबंधित उपर्युक्त प्रकरणों पर कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की।

(य) प्रशिक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं सूचना प्रसार

(i) 21 ग्रामों (75 प्रतिशत) में महिलाओं को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्ट किट्स के उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया। पाँच ग्रामों में फील्ड टेस्ट किट्स उपलब्ध नहीं करवाए गए।

(ii) 17 ग्रामों (60.71 प्रतिशत) में जल स्रोतों का जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। नौ ग्रामों में परीक्षण किया गया, परंतु प्रति माह एक बार परीक्षण किये जाने के प्रावधान के विरुद्ध वर्ष में मात्र 2-3 बार ही परीक्षण किया गया।

(iii) 21 ग्रामों में जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणाम न तो ग्राम सभा के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किए गए एवं न ही ग्राम पंचायत को संप्रेषित किए गए।

राज्य सरकार द्वारा अपने उत्तर (नवंबर 2025) में प्रशिक्षण, जल गुणवत्ता परीक्षण एवं सूचना प्रसार से संबंधित उपर्युक्त प्रकरणों पर कोई विशिष्ट टिप्पणी प्रस्तुत नहीं की गयी।

इस प्रकार, वीडब्ल्यूएससी के गठन एवं कार्यप्रणाली में पाई गई कमियाँ, जेजेएम के अंतर्गत ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं की आयोजना, क्रियान्वयन, निगरानी तथा वित्तीय प्रबंधन में प्रणालीगत त्रुटियों को परिलक्षित करती हैं, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यक्रम के स्थायित्व एवं प्रभावशीलता पर असर पड़ा है।

3.6 निष्कर्षों का सारांश

यह अध्याय सभी संस्थागत स्तरों पर प्रणालीगत कमजोरियों को उजागर करता है। अनिवार्य बॉटम-अप दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं किया गया, क्योंकि अधिकांश ग्राम कार्य योजनाएँ, परियोजना की स्वीकृति के उपरांत तैयार की गईं, जिससे वास्तविक सामुदायिक सहभागिता सीमित रही। अधिकांश परिवारों को जल वितरण हेतु अनिवार्य तीन बिंदु एवं उचित स्वच्छतापूर्ण स्थापनाएँ उपलब्ध नहीं करवाई गईं, जिससे स्वास्थ्य लाभ एवं सुविधाओं से समझौता हुआ। राज्य एवं जिला स्तर पर क्रमशः एसडब्ल्यूएसएम तथा डीडब्ल्यूएसएम द्वारा नियमित रूप से अपेक्षित बैठकें आयोजित नहीं की गयी तथा संचालन एवं रख-रखाव और प्रोत्साहन/निरुत्साहन तंत्र से संबंधित प्रमुख नीतियां तैयार नहीं की गयी । इसी प्रकार, डीडब्ल्यूएसएम स्तर पर निगरानी में कमी के कारण स्रोत सततता एवं ग्रे-वाटर प्रबंधन उपायों का अभाव रहा। वीडब्ल्यूएससी का गठन या तो निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं किया गया अथवा वे दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्यरत नहीं थीं, जिससे सामुदायिक सहभागिता, सामाजिक लेखापरीक्षा, वित्तीय प्रबंधन, प्रशिक्षण तथा जल गुणवत्ता निगरानी से संबंधित कमियाँ पाई गईं। समग्र रूप से, इन कमियों के कारण राज्य में जेजेएम योजनाओं की पारदर्शिता, जवाबदेही तथा दीर्घकालिक स्थायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

3.7 *सिफारिशें*

- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि डीपीआर के अनुमोदन से पूर्व ग्राम कार्य योजनाएँ समयबद्ध रूप से तैयार की जाए एवं योजना की डिजाईन एवं क्रियान्वयन में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।***

- ***राज्य सरकार यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि संचालन एवं रख-रखाव, उपभोक्ता शुल्क तथा प्रोत्साहन/निरुत्साहन तंत्र से संबंधित प्रमुख नीतियों को अविलंब अंतिम रूप प्रदान किया जाए।***

- ***राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि वीडब्ल्यूएससी का गठन निर्धारित प्रतिनिधित्व के अनुरूप किया जाए, उन्हें वित्तीय प्रबंधन एवं जल गुणवत्ता परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किया जाए तथा नियमित सामाजिक लेखापरीक्षा सम्पादित करने हेतु सशक्त बनाया जाए।***

अध्याय–4

परिचालन–उपरांत प्रबंधन एवं सततता

अध्याय-4

परिचालन-उपरांत प्रबंधन एवं सततता

यह अध्याय दीर्घकालिक ग्रामीण जल सततता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक प्रमुख पहलुओं को समाहित करता है, जिनमें स्रोतों का पुनर्भरण, योजनाओं का समयबद्ध हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, जल लेखापरीक्षा, जल मूल्य निर्धारण तंत्र तथा प्रौद्योगिकी के उन्नत उपयोग सम्मिलित हैं।

4.1 राज्य में भू-जल स्तर में गिरावट की स्थिति

राज्य के ब्लॉकों को भूजल के वार्षिक पुनर्भरण के आधार पर पाँच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, जिनमें अतिदोहित, संकटग्रस्त, अर्ध-संकटग्रस्त, सुरक्षित तथा लवणीय श्रेणियाँ शामिल हैं। इन श्रेणियों का वर्ष-वार विवरण नीचे **तालिका 4.1 में** प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 4.1: राजस्थान में भूजल संसाधनों की वर्ष-वार स्थिति

विवरण	2017	2020	2022	2023	2024
अतिदोहित ब्लॉक	185	203	219	216	214
संकटग्रस्त ब्लॉक	33	23	22	23	27
अर्ध-संकटग्रस्त ब्लॉक	29	29	20	22	21
सुरक्षित ब्लॉक	45	37	38	38	37
खारे (लवणीय) ब्लॉक	3	3	3	3	3
कुल	**295**	**295**	**302**	**302**	**302**

स्रोतः गतिशील भूजल संसाधनों पर रिपोर्ट-2017, 2020, 2022, 2023 और 2024

उपरोक्त तालिका के आँकड़े यह इंगित करते हैं कि पिछले वर्षों के दौरान राज्य में भूजल की स्थिति में उल्लेखनीय गिरावट आई है। वर्ष 2017 में अतिदोहित ब्लॉकों की संख्या 185 (62.71 प्रतिशत) थी, जो वर्ष 2024 में बढ़कर 214 (70.86 प्रतिशत) हो गई, जो एक गंभीर एवं चिंताजनक रुझान को दर्शाती है। इसी अवधि में सुरक्षित श्रेणी के ब्लॉकों की संख्या 45 (15.25 प्रतिशत) से घटकर 37 (12.25 प्रतिशत) रह गई, जिससे सतत भूजल स्रोतों की उपलब्धता में निरंतर कमी स्पष्ट होती है।

यद्यपि, इस अवधि के दौरान संकटग्रस्त एवं अर्ध-संकटग्रस्त ब्लॉकों की संख्या में मध्यम स्तर की कमी दर्ज की गई, तथापि यह कमी अतिदोहित क्षेत्रों में हुई वृद्धि की क्षतिपूर्ति नहीं कर सकी। यह स्थिति राज्य के भूजल स्तर के संदर्भ में अत्यंत गंभीर एवं चिंताजनक परिदृश्य को दर्शाती है। वर्ष 2024 तक केवल 12.25 प्रतिशत ब्लॉक ही सुरक्षित श्रेणी में शेष रहने के कारण राज्य की दीर्घकालिक जल सुरक्षा पर गंभीर जोखिम उत्पन्न हो गया है, जो सतत जल उपयोग सुनिश्चित करने हेतु सुदृढ़ भूजल पुनर्भरण, विनियमित दोहन एवं व्यवस्थित निगरानी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपने उत्तरों (अगस्त एवं नवंबर 2025) में भूजल स्तर की स्थिति में सुधार हेतु किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया है, जिनमें अटल भूजल योजना के माध्यम से प्रबंधन एवं निगरानी, सूचना-शिक्षा-संचार गतिविधियाँ, क्षमता विकास

कार्यक्रम तथा राजस्थान भूजल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक 2025 का प्रस्तुतीकरण सम्मिलित है।

4.2 जेजेएम के क्रियान्वयन में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xv) में मिशन के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु जल के समान वितरण को सुनिश्चित करने की रणनीति के रूप में नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने का सुझाव दिया गया है। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 8 में सुरक्षित जल उपलब्धता तथा जलापूर्ति प्रणालियों की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा एनालिटिक्स, ब्लॉक-चेन प्रौद्योगिकी, मशीन लर्निंग, नैनो-प्रौद्योगिकी इत्यादि जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों के उपयोग का प्रावधान किया गया है।

तथापि, नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों के उपयोग से सम्बंधित विभागीय अभिलेखों की लेखापरीक्षा में इनके अपनाने एवं क्रियान्वयन में कई कमियां प्रकट हुईं, जो निम्न प्रकार से हैं:

- वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्य-योजना के अंतिमीकरण के दौरान, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) द्वारा जेजेएम के अंतर्गत घरेलू स्तर पर सेवा वितरण की निगरानी हेतु इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) आधारित सेंसर एवं आई-क्लाउड को सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए थे। राज्य द्वारा वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य-योजना में नवाचार/आईओटी के अंतर्गत ₹ 301 करोड़ के व्यय की योजना बनाई गई। तथापि, लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा 'जेजेएम नवाचार चुनौती-2023' नामक हैकाथॉन का प्रस्ताव किया गया था, परंतु संबंधित एजेंसी द्वारा समय पर प्रत्युत्तर नहीं दिए जाने के कारण यह गतिविधि प्रारंभ नहीं हो सकी। इसके पश्चात, वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्य-योजना में नवाचार/अनुसंधान एवं विकास गतिविधि हेतु प्रावधान को भारत सरकार द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.4 के अनुसार, भू-जल स्रोतों की अवस्थिति हेतु हाइड्रो-जियो-मॉर्फोलॉजिकल मानचित्रों का उपयोग, पेयजल अवसंरचना की अवस्थिति हेतु ग्रामस्तरीय डिजिटल कन्टूर मानचित्रों का उपयोग तथा अतिरिक्त अवसंरचना की योजना हेतु उपलब्ध परिसंपत्तियों की डिजिटल सूची तैयार करने का सुझाव भी दिया गया था, जिससे स्मार्ट प्रबंधन एवं बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें। लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य में जेजेएम की किसी भी योजना में उपर्युक्त तीन उपयोगिताओं का प्रयोग नहीं किया गया।

- ग्राम में स्थापित रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) उपचार संयंत्र से निष्कासित अपशिष्ट जल की पर्याप्त मात्रा होती है, जो संयंत्र के रिकवरी अनुपात के आधार पर, प्रविष्ट जल का लगभग 60 प्रतिशत आंकी गई है। यह निष्कासित जल प्रायः खुले नाले में अथवा आसपास फेंक दिया जाता है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.2.1 के अनुसार, इस निष्कासित जल का समुचित प्रबंधन आवश्यक है तथा इसे पृथक रूप से विशेष रूप से डिज़ाईन की गई संरचनाओं में संग्रहित कर गैर-पेय एवं गैर-कृषि उपयोगों हेतु प्रयोग किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि राजस्थान में जेजेएम के अंतर्गत बाड़मेर जिले को छोड़कर अन्य किसी भी जिले में आरओ संयंत्र स्वीकृत नहीं किए गए। साथ ही, निष्कासित जल के समुचित उपयोग हेतु राज्य द्वारा कोई निष्कासित जल प्रबंधन नीति भी तैयार नहीं की गई।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.1 में बिखरे/अलग-थलग/जनजातीय/पर्वतीय गांवों में न्यूनतम संचालन एवं रखरखाव (ओएंडएम) लागत वाले सौर ऊर्जा आधारित स्वतंत्र जलापूर्ति प्रणालियों की संभावना तलाशने का प्रावधान किया गया था। लेखापरीक्षा ने, नमूना-जांच किये गये सात जिलों में से छह[1] में ऐसे किसी भी तंत्र को स्वीकृत किया हुआ नही पाया। पीएचईडी खण्ड राजगढ़ (जिला अलवर) में यद्यपि वर्ष 2021-22 के दौरान नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों पर आधारित 19 स्वतंत्र जलापूर्ति प्रणालियां स्वीकृत की गई थीं, किंतु इनमें से एक भी प्रणाली स्थापित नहीं की गई।

- जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.2 के अंतर्गत आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन एवं अन्य भारी धातुओं से प्रभावित बस्तियों में तात्कालिक राहत प्रदान करने हेतु सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) की स्थापना को अल्पकालिक उपाय के रूप में सुझाया गया था, जिससे पीने एवं भोजन पकाने हेतु प्रति व्यक्ति प्रति दिन 8-10 लीटर जल उपलब्ध कराया जा सके। तथापि, यह पाया गया कि चयनित जिलों में से किसी भी जिले में सीडब्ल्यूपीपी की ना तो कोई योजना बनाई गई और ना ही स्वीकृति दी गई, केवल अलवर जिले में तीन सीडब्ल्यूपीपी स्थापित किए गए।

स्पष्ट दिशा-निर्देशों के बावजूद, राज्य द्वारा जेजेएम के अंतर्गत जलापूर्ति प्रणालियों की दक्षता, निगरानी एवं सततता में सुधार हेतु तकनीकी प्रगति का समुचित उपयोग नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, ग्रामीण राजस्थान में समान एवं विश्वसनीय जल सेवायें प्रदान करने की मिशन की क्षमता सीमित रह गई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है तथा एक आईओटी आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों को अपनाने के संबंध में कोई विवरण अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.3 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का अभाव

भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा जारी ग्रामीण जलापूर्ति प्रणालियों हेतु संचालन एवं रखरखाव पुस्तिका (मई 2013) में ग्रामीण जल वितरण प्रणाली की नियमित जल लेखापरीक्षा तथा जल लेखांकन पद्धतियों की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 8.7 के अनुसार, जलापूर्ति प्रणालियों की दक्षता में सुधार हेतु राज्यों को चिन्हित प्रणालियों की नियमित जल लेखापरीक्षा करने की सलाह दी गई है, ताकि प्रभावी सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

[1] बारां, पाली, जोधपुर-ग्रामीण, जैसलमेर, सिरोही एवं हनुमानगढ़।

इसी प्रकार, ऊर्जा लेखापरीक्षा को एक व्यवस्थित प्रक्रिया के रूप में निष्पादित किया जाना था, जिसमें वास्तविक ऊर्जा खपत और संगणित ऊर्जा आवश्यकताओं के बीच लेखांकन एवं मिलान किया जाता है, तथा सभी ऊर्जा उपयोग करने वाले उपकरणों एवं विद्युत संचरण प्रणालियों में रेटेड दक्षता और ऊर्जा हानियों को ध्यान में रखा जाता है।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग द्वारा किसी भी ग्रामीण जलापूर्ति योजना में जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा नहीं कराई गई। परिणामस्वरूप, रिसाव के कारण जल हानि, अनाधिकृत अथवा अवैध जल निकासी तथा ऊर्जा उपयोग में अक्षमताओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों की पहचान एवं रोकथाम नहीं की जा सकी।

इससे परिचालन प्रदर्शन में सुधार एवं जल आपूर्ति अवसंरचना की सततता की सुनिश्चितता के प्रयास बाधित हुए।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग की संचालन एवं रखरखाव नीति के अनुसार, योजनाओं की पूर्णता के पश्चात जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा का कार्य किया जाएगा।

4.4 ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में जल मूल्य/टैरिफ निर्धारित किए जाने तथा जल राजस्व वसूल किये जाने का अभाव

राज्य जल नीति के क्लॉज 8.1.1 के अनुसार, सभी जल दरें इस प्रकार निर्धारित की जानी थीं कि वे जल की न्यूनता के महत्त्व को प्रतिबिंबित करें तथा जल के मितव्ययी उपयोग को प्रोत्साहित करें। इसके अतिरिक्त, क्लॉज 8.1.2 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जल शुल्क (टैरिफ) को क्रमिक रूप से संचालन एवं रख-रखाव की पूर्ण लागत की ओर अग्रसर करने के उद्देश्य से निर्धारित किया जाएगा। साथ ही, स्रोत अथवा स्वामित्व की परवाह किए बिना, जल के सभी प्रमुख उपयोगों हेतु मीटरिंग कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश भी की गई थी।

इसके अतिरिक्त, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xxvi) में जल की बर्बादी को हतोत्साहित करने तथा थोक जल हस्तांतरण, शोधन, वितरण नेटवर्क एवं घरेलू स्तर पर जलापूर्ति से संबंधित आवर्ती व्यय को वहन करने हेतु नीति में प्रोत्साहन एवं निरुत्साहन तंत्र को सम्मिलित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। राज्य सरकार को घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने तथा जल आपूर्ति के लिए उपयोगकर्ता शुल्क निर्धारण संबंधी निर्णय लेने हेतु ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को सुविधा प्रदान करनी थी।

तथापि, मुख्य अभियंता (जेजेएम) के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ पाई गईं:

- ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं में संचालन एवं रखरखाव लागत की वसूली हेतु कोई जल टैरिफ संरचना एवं बिलिंग प्रणाली स्थापित नहीं की गई।
- योजनाओं की डिज़ाईन में मीटरयुक्त कनेक्शनों को सम्मिलित नहीं किया गया।
- विभाग द्वारा जलापूर्ति योजनाओं से राजस्व संग्रहण हेतु कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया।

इस प्रकार की वित्तीय योजना के अभाव ने योजनाओं की कमीशनिंग के पश्चात वीडब्ल्यूएससी की ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति प्रणालियों के प्रभावी प्रबंधन एवं रखरखाव की क्षमता को प्रभावित किया। परिणामस्वरूप, सुनिश्चित परिचालन निधि के अभाव में नियमित जलापूर्ति की स्थिरता जोखिमग्रस्त बनी रहती है। चयनित ग्रामों के 560 लाभार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान 407 लाभार्थियों (72.68 प्रतिशत) ने ग्राम-स्तरीय अवसंरचना के संचालन एवं रख-रखाव हेतु मासिक उपभोक्ता शुल्क देने पर सहमति व्यक्त की, जबकि 153 लाभार्थियों (27.32 प्रतिशत) ने भुगतान करने से इंकार किया।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि जल टैरिफ निर्धारण तथा जल राजस्व संग्रहण का विषय, आगामी संचालन एवं रख-रखाव नीति में सम्मिलित किया जाएगा।

4.5 जेजेएम के क्रियान्वयन में स्रोत सततता उपायों को न अपनाया जाना

जेजेएम के प्रमुख उद्देश्यों में से एक जल आपूर्ति प्रणालियों की सततता सुनिश्चित करना है, जिसमें जल स्रोतों की स्थिरता भी सम्मिलित है। जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 3.5 (xvi) के अनुसार, जल स्रोत पुनर्भरण के उपाय, जैसे बोरवेल रिचार्ज हेतु विशिष्ट संरचनाएँ, वर्षा जल पुनर्भरण आदि को वाटरशेड/स्प्रिंगशेड सिद्धांतों के आधार पर अपनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, एनजेजेएम द्वारा मार्च 2023 में भू-जल आधारित योजनाओं में प्रत्यक्ष स्रोत पुनर्भरण की योजना बनाने की भी सलाह दी गई थी।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि विभाग ने वर्ष 2019-24 के दौरान प्रत्यक्ष स्रोत पुनर्भरण हेतु वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) के अंतर्गत कोई भी योजना नहीं बनाई।

चयनित 28 ग्रामों में ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति अवसंरचना से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा में निम्नलिखित तथ्य सामने आए:

- 19 ग्रामों में अवसंरचना सतही जल स्रोतों पर आधारित थी। अतः इन ग्रामों में स्रोत सततता उपायों की आवश्यकता नहीं थी।
- शेष नौ ग्राम भू-जल (ट्यूबवेल) पर निर्भर थे।
  - ➢ इनमें से सात ग्रामों में पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
  - ➢ दो ग्रामों (जावली तथा रतावली) में यद्यपि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में पुनर्भरण संरचनाओं का प्रावधान किया गया था, किंतु इनका क्रियान्वयन नहीं किया गया।

जेजेएम के अंतर्गत स्रोत सततता उपायों की योजना एवं क्रियान्वयन का अभाव, विशेषकर भू-जल आधारित योजनाओं के लिए, निर्धारित दिशा-निर्देशों का अनुपालन न होने को दर्शाता है। ट्यूबवेल पर निर्भर गांवों में पुनर्भरण संरचनाएँ उपलब्ध न कराना, तथा स्वीकृत प्रावधानों का निष्पादन न किया जाना, जल स्रोतों के क्षरण के जोखिम को बढ़ाता है। इससे पेयजल आपूर्ति की

दीर्घकालिक विश्वसनीयता प्रभावित होती है, मौसमी जल संकट की आशंका बढ़ती है तथा मिशन के सततता संबंधी उद्देश्यों से समझौता होता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जहाँ भी संभव था, जेजेएम के अंतर्गत पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया गया है तथा संबंधित कार्य भू-जल विभाग एवं जल-ग्रहण (वाटरशेड) विभाग द्वारा भी किया जा रहा है। आगे यह भी बताया गया (नवंबर 2025) कि भू-जल के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु राजस्थान भू-जल (संरक्षण एवं प्रबंधन) प्राधिकरण विधेयक, 2025 प्रस्तुत किया गया है। उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान भू-जल पर निर्भर किसी भी चयनित गांव में पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण नहीं पाया गया।

4.6 पूर्ण जल आपूर्ति योजनाओं को ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को हस्तांतरित न किया जाना

जेजेएम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिशन के अंतर्गत निर्मित ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं को संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों (वीडब्ल्यूएससी) को हस्तांतरित किया जाना था।

तथापि, जेजेएम-आईएमआईएस प्रतिवेदन (2019-2024) से प्राप्त आंकड़ों से यह प्रकट हुआ कि राज्य में जेजेएम के अंतर्गत निर्मित कुल 2,785 ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति योजनाओं में से केवल 858 योजनाएँ (30.81 प्रतिशत) ही आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु संबंधित वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित की गई थी। चयनित सात जिलों में स्थिति और भी चिंताजनक रही, जहाँ 682 योजनाओं में से मात्र 39 योजनाएँ (5.72 प्रतिशत) ही संबंधित वीडब्ल्यूएससी को सौंपी गईं। शेष 643 योजनाएँ, पूर्ण होने के पश्चात् नौ से 57 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के बावजूद, वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित नहीं की गईं।

चयनित जिलों में निम्न विशिष्ट कमियाँ सम्मिलित हैं:

- जैसलमेर जिले में 12 पूर्ण योजनाओं के प्रकरण में संबंधित वीडब्ल्यूएससी ने आगे के संचालन एवं रख-रखाव हेतु योजनाएँ ग्रहण करने से इंकार कर दिया, क्योंकि जिला सरपंच संघ, जैसलमेर द्वारा जेजेएम के अंतर्गत किसी भी पूर्ण योजना को अपने अधीन न लेने का निर्णय किया गया था।
- सिरोही जिले में 42 पूर्ण योजनाएँ हस्तांतरित नहीं किए जाने का कारण वीडब्ल्यूएससी द्वारा प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी तथा संचालन एवं रख-रखाव हेतु बजट की अनुपलब्धता बताया गया।

इसके अतिरिक्त, बारां जिले में यह भी पाया गया कि वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित की गई योजनाओं से संबंधित 71 विद्युत कनेक्शनों के लगभग ₹ एक करोड़ के विद्युत बिलों का भुगतान लंबित था।

ये निष्कर्ष जेजेएम की परिचालन-उपरांत व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कमी को दर्शाते हैं। एक स्पष्ट एवं प्रभावी संचालन एवं रख-रखाव नीति के अभाव में तथा वीडब्ल्यूएससी स्तर पर अपर्याप्त

तैयारी के कारण, जेजेएम का विकेंद्रीकृत, समुदाय-प्रबंधित एवं मांग-आधारित कार्यक्रम होने का मूल उद्देश्य प्रभावित हुआ।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि स्पष्ट संचालन एवं रख-रखाव नीति के अभाव में ग्राम-स्तर पर अनिश्चितता एवं अनिच्छा उत्पन्न हुई, जिसके परिणामस्वरूप वीडब्ल्यूएससी ने योजनाएँ ग्रहण करने से इंकार किया। तथापि, संचालन एवं रख-रखाव नीति, स्वीकृति की प्रक्रिया में है तथा स्वीकृति उपरांत योजनाओं को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित किया जाएगा एवं योजना हस्तांतरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से किया जाएगा।

4.7 'हर घर जल' स्थिति वाले ग्रामों की रिपोर्टिंग/प्रमाणीकरण न किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों में 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणन की परिकल्पना इस उद्देश्य से की गई थी कि मिशन के अंतर्गत प्रदान किए गए कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों (एफएचटीसी) के समावेशन एवं कार्यक्षमता के संबंध में ग्राम समुदाय से पुष्टि प्राप्त की जा सके।

एचजीजे का प्रमाणीकरण निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के पश्चात् ही किया जाना था:

- ग्राम के सभी परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किए गए हों,
- सभी विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में नल कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हों,
- योजना सभी दृष्टियों से पूर्ण हो,
- सामुदायिक अंशदान जमा करा दिया गया हो,
- पंचायत द्वारा योजना को अपने अधीन लेने की सहमति व्यक्त की गई हो,
- संचालन एवं रख-रखाव हेतु प्रशिक्षण पूर्ण किया गया हो, तथा
- योजना का वित्तीय समापन किया जा चुका हो।

निदेशक, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस), एनजेजेएम द्वारा मई 2023 में राज्यों को एक परामर्श जारी किया गया, जिसमें 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन प्राप्त कर चुके ग्रामों के एचजीजे प्रमाणीकरण में तेजी लाने का आग्रह किया गया। इसके अतिरिक्त, सचिव, डीडीडब्ल्यूएस ने अक्टूबर 2023 में प्रमाणीकरण की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की तथा समीक्षा करने, 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन वाले ग्रामों को एचजीजे प्रमाणित के रूप में प्रतिवेदित करने तथा एचजीजे के रूप में प्रतिवेदित किए गए ग्रामों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए।

सात चयनित जिलों (कुल 6,485 ग्रामों) की लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि:

- 100 प्रतिशत एफएचटीसी समावेशन वाले 890 ग्रामों में से केवल 661 ग्रामों (74.27 प्रतिशत) को ही एचजीजे प्रमाणीकरण हेतु प्रतिवेदित किया गया, तथा

- 01 अप्रैल 2024 तक मात्र 306 ग्रामों (34.38 प्रतिशत) को ही वास्तव में एचजीजे स्थिति से प्रमाणित किया गया था।

यह स्थिति दर्शाती है कि भौतिक अवसंरचना उपलब्ध होने के बावजूद एचजीजे प्रमाणीकरण प्राप्त करने में उल्लेखनीय कमी रही, जिससे जेजेएम के अंतर्गत परिकल्पित प्रमाणीकरण प्रक्रिया को पूर्ण करने हेतु प्रशासनिक अनुवर्ती कार्रवाई एवं समुदाय की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता स्पष्ट होती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि विभाग के सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को नियमित निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे सरपंचों एवं पंचायती राज संस्थाओं के कर्मियों के समन्वय से प्रमाणीकरण में अंतर को पूर्ण करें, तथा संचालन एवं रख-रखाव नीति के क्रियान्वयन के पश्चात् एचजीजे प्रमाणीकरण की प्रक्रिया में सुधार की अपेक्षा है।

तथ्य यह है कि एचजीजे प्रमाणीकरण केवल पीएचईडी एवं ग्राम समुदाय के बीच औपचारिक प्रक्रिया मात्र नहीं है, बल्कि यह ग्राम-स्तरीय जलापूर्ति अवसंरचना के समावेशन एवं कार्यक्षमता के संबंध में सभी दृष्टियों से आश्वासन भी प्रदान करता है।

4.8 आवश्यक शर्तों की पूर्ति किए बिना ग्रामों का प्रमाणीकरण

एनजेजेएम द्वारा मई 2023 में जारी निर्देशों के अनुसार, किसी ग्राम को 'हर घर जल' स्थिति से प्रमाणित किए जाने से पूर्व कुछ अनिवार्य शर्तों की पूर्ति किया जाना आवश्यक था। इनमें सभी परिवारों एवं सार्वजनिक संस्थानों (जैसे विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों) को एफएचटीसी उपलब्ध कराना तथा योजना को सभी दृष्टियों से पूर्ण करना सम्मिलित था।

तथापि, चयनित 28 ग्रामों में अभिलेखों की समीक्षा, संयुक्त भौतिक निरीक्षण, लाभार्थी सर्वेक्षण, वीडब्ल्यूएससी सर्वेक्षण तथा फोकस ग्रुप चर्चाओं के दौरान महत्वपूर्ण विचलन पाए गए।

चयनित ग्रामों में से 11 ग्रामों में एक या अधिक अनिवार्य शर्तों की पूर्ति नहीं की गई थी, इसके बावजूद इन ग्रामों को एचजीजे स्थिति से प्रमाणित दर्शाया गया ***(विवरण परिशिष्ट-2 में दिया गया है)***।

यह प्रमाणन प्रक्रिया में गंभीर चूक को दर्शाता है तथा जेजेएम ढांचे के अंतर्गत प्रदान की गई एचजीजे स्थिति की विश्वसनीयता एवं प्रामाणिकता पर प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है।

राज्य सरकार द्वारा (अगस्त 2025) अनिवार्य शर्तों की पूर्ति किए बिना ग्रामों को प्रमाणित किए जाने के कारणों के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया।

4.9 जेजेएम के अंतर्गत 'नल जल मित्र' कार्यक्रम का आंशिक क्रियान्वयन

जेजेएम के अंतर्गत सृजित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव का ग्राम पंचायतों/वीडब्ल्यूएससी द्वारा दक्षतापूर्वक प्रबंधन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 9.4 में प्रशिक्षण प्रयासों पर विशेष बल दिया गया है।

इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के सहयोग से 'नल जल मित्र कार्यक्रम' (एनजेएमपी) प्रारंभ किया गया। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीण निवासियों को प्लंबिंग, विद्युत कार्य, राजमिस्त्री कार्य, पंप संचालन तथा अन्य सहायक कौशलों में बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना था।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का निर्माण, जल प्रबंधन एवं प्लंबिंग कौशल परिषद (डब्ल्यूएमपीएससी) तथा एनजेजेएम द्वारा किया गया था। इसका क्रियान्वयन राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) तथा राज्य कौशल विकास मिशन (एसकेडीएम) के समन्वित प्रयासों से किया जाना था। एनजेएमपी के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए कम से कम एक तथा अधिमानतः दो व्यक्तियों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित था। राज्य के 45,000 व्यक्तियों को बहु-कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु जून 2020 में राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम (आरएसएलडीसी) के साथ एक एमओयू संपादित किया गया।

लेखापरीक्षा में यह पाया गया किः

- जून 2024 तक राज्य की कुल 11,208 ग्राम पंचायतों में से केवल 8,842 ग्राम पंचायतों (78.89 प्रतिशत) में ही विभाग द्वारा नल जल मित्रों का चयन किया गया।
- कुल 45,000 के लक्ष्य की तुलना में केवल 25,890 व्यक्तियों (57.53 प्रतिशत) का ही नल जल मित्र के रूप में चयन किया गया।
- इसके अतिरिक्त, चयनित बारां एवं हनुमानगढ़ जिलों में किसी भी व्यक्ति को नल जल मित्र के रूप में प्रशिक्षित नहीं किया गया।

शेष पाँच चयनित जिलों के संबंध में विभाग द्वारा कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। प्रशिक्षित मानव संसाधन की इस कमी से ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रख-रखाव की सततता प्रभावित करता है तथा ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की पूर्ति भी बाधित करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि पात्र अभ्यर्थियों के चयन एवं नामांकन को अंतिम रूप देने हेतु पंचायती राज विभाग के साथ नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है तथा सूची प्राप्त होने के पश्चात् कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से उनका प्रशिक्षण कराया जाएगा।

4.10 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय से यह उजागर होता है कि भू-जल का चिंताजनक दर से दोहन निरंतर जारी है तथा 70 प्रतिशत से अधिक ब्लॉक अतिदोहन की श्रेणी में हैं, इसके बावजूद योजनाओं में स्रोत सततता उपायों का व्यापक रूप से अभाव पाया गया। अधिकांश मामलों में नीति संबंधी अस्पष्टता, वित्तीय प्रावधानों की कमी तथा प्रशिक्षित मानव संसाधनों के अभाव के कारण पूर्ण हुई योजनाओं को वीडब्ल्यूएससी को हस्तांतरित नहीं किया गया। हर घर जल प्रमाणन प्रक्रिया भी कमजोर पाई गई, जिसमें विलंब, आंशिक प्रतिवेदन तथा आवश्यक शर्तों की पूर्ति के बिना प्रमाणन किए जाने के उदाहरण मिले, जिससे इसकी विश्वसनीयता प्रभावित हुई। इसके अतिरिक्त, जल एवं ऊर्जा

लेखापरीक्षा का अभाव, जल दरों के निर्धारण का अभाव तथा नवोन्मेषी प्रौद्योगिकियों का सीमित उपयोग, योजना की संचालन संबंधी कमजोरी को दर्शाता है। नल जल मित्र प्रशिक्षण के आंशिक क्रियान्वयन ने भी योजनाओं की स्थिरता संबंधी चिंताओं को और बढ़ाया है। समग्र रूप से, ये कमियाँ राज्य में जेजेएम योजनाओं की दीर्घकालिक विश्वसनीयता, कार्यक्षमता तथा वित्तीय व्यवहार्यता के लिए गंभीर जोखिम उत्पन्न करती हैं।

4.11 सिफारिशें

- *हर घर जल प्रमाणन की सततता एवं स्वीकार्यता में सुधार हेतु राज्य सरकार ग्राम पंचायतों तथा वीडब्ल्यूएससी को योजना निर्माण, प्रमाणन तथा क्रियान्वयन पश्चात संचालन एवं रख-रखाव में व्यवस्थित रूप से सम्मिलित कर सकती है। इसके लिए संरचित क्षमता-विकास कार्यक्रम, भूमिकाओं एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण तथा सामुदायिक प्रबंधन आधारित प्रणाली में संक्रमण के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान किया जाना चाहिए।*

- *राज्य सरकार सभी भूजल-आधारित जेजेएम योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं तथा वर्षा जल संचयन सहित स्रोत सततता उपायों को अनिवार्य एवं वित्तपोषित कर सकती है। साथ ही, इनकी भौतिक पूर्णता को योजना की कमीशनिंग से जोड़ा जाए और इसकी प्रविष्टि आईएमआईएस में अभिलेखित किया जाये।*

- *राज्य सरकार स्पष्ट भूमिकाओं, वित्तीय व्यवस्थाओं एवं समय-सीमाओं सहित एक व्यापक संचालन एवं रख-रखाव नीति को अंतिम रूप देकर अधिसूचित कर सकती है तथा मानव संसाधन, वित्त एवं प्रशिक्षण की तत्परता के प्रमाणीकरण के पश्चात् पूर्ण योजनाओं का वीडब्ल्यूएससी को समयबद्ध हस्तांतरण सुनिश्चित कर सकती है।*

- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए आवधिक जल एवं ऊर्जा लेखापरीक्षा को संस्थागत रूप प्रदान कर सकती है, जिसका प्रारंभ उच्च खपत वाली तथा भू-जल आधारित योजनाओं से की जाए, तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों का उपयोग, हानियों को कम करने एवं परिचालन लागत के अनुकूलन हेतु किया जाए।*

- *राज्य सरकार ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं के लिए, मीटरिंग अथवा वैकल्पिक मापन तंत्रों की सहायता से एक श्रेणीबद्ध जल टैरिफ ढाँचा लागू कर सकती है तथा वीडब्ल्यूएससी द्वारा संचालन एवं रख-रखाव शुल्क संग्रहण हेतु वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर सकती है।*

- *राज्य सरकार सभी ग्राम पंचायतों को आच्छादित करने हेतु नल जल मित्रों के प्रशिक्षण एवं प्रमाणन की प्रक्रिया में तेजी ला सकती है तथा उनके नियोजन को योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं रख-रखाव सहायता से जोड़ सकती है, ताकि निर्बाध एवं सतत जलापूर्ति सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकें।*

अध्याय–5

वित्तीय प्रबंधन

अध्याय-5

वित्तीय प्रबंधन

यह अध्याय मिशन के वित्तीय प्रबंधन का विश्लेषण करता है, जिसमें निधियों के उपयोग, संवेदकों को भुगतान एवं व्यय मानदंडों के अनुपालन से संबंधित चिंताओं की पहचान की गई है।

5.1 राज्य में जेजेएम के अन्तर्गत उपलब्ध निधियों के उपयोग की धीमी गति के कारण कम केंद्रीयांश जारी होना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्यों को वार्षिक निधि का आवंटन, आईएमआईएस में दर्ज ग्रामीण परिवारों, जिन्हें अभी तक एफएचटीसी प्राप्त नहीं हुआ है, की संख्या पर आधारित होता है। दिशा-निर्देशों में आगे कहा गया है कि निधियाँ प्रत्येक वर्ष दो समान किस्तों में जारी की जाएंगी, एवं पहली किस्त में जारी की गई धनराशि, पिछले वर्ष की शेष राशि में से 10 प्रतिशत के अतिरिक्त शेष राशि को समायोजित करने के उपरांत बची हुई राशि होगी। इस प्रकार, एक वर्ष में उपयोग की प्रगति अगले वर्ष निधियों के जारी किए जाने से सीधे जुड़ी थी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक किस्त को दो हिस्सों में विभाजित किया गया है, एवं इन हिस्सों में जारी की जाने वाली निधि भी कुल उपलब्ध निधियों के उपयोग की प्रगति पर आधारित होती है।

तालिका 5.1: वर्ष 2019-25 के दौरान जारी केंद्रीय निधियां एवं उनका उपयोग

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आवंटन	जारी	कम जारी (प्रतिशत)	कुल उपलब्ध निधि	उपयोग	कम उपयोग (प्रतिशत)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	(6)=(2)+(4)	(7)	(8)=(6)-(7)
2019-20	313.67	1,301.71	1,301.71	0 (0)	1,615.38	620.31	995.07 (61.60)
2020-21	995.07	2,522.03	630.51	1,891.52 (75.00)	1,625.58	762.04	863.54 (53.12)
2021-22	863.54	10,180.50	2,345.08	7,835.42 (76.96)	3,208.62	1,919.83	1,288.79 (40.17)
2022-23	1,288.79	13,328.60	6,081.80	7,246.8 (54.37)	7,370.59	3,937.70	3,432.89 (46.58)
2023-24	3,432.89	3,019.94	250.00	2,769.94 (91.72)	3,682.89	2,898.54	784.35 (21.30)
2024-25 (फरवरी 2025 तक)	786.95	11,061.46	1,659.22	9,402.24 (85.00)	2,446.17	2,169.29	276.88 (11.32)
कुल		**41,414.24**	**12,268.32**	**29,145.92 (70.38)**		**12,307.71**	

स्रोतः** www.ejalshakti.gov.in **पर उपलब्ध जेजेएम रिपोर्ट्स

नोटः (i) कम राशि जारी किया जाना भारत सरकार द्वारा आवंटन तथा वास्तविक रूप से जारी राशि के बीच के अंतर को दर्शाती है। (ii) अप्रयुक्त निधि, उपलब्ध निधि एवं राज्य द्वारा वास्तविक व्यय के बीच के अंतर को दर्शाती है। (iii) अत्यधिक कम जारी किया जाना (कॉलम 5) एवं अत्यधिक कम उपयोग (कॉलम 7) संयुक्त रूप से निधि अवशोषण क्षमता की कमजोरी को इंगित करते हैं।

उपरोक्त **तालिका 5.1** से यह देखा जा सकता हैः

- वर्ष 2019-25 के दौरान वर्षवार अप्रयुक्त केंद्रीय निधि ₹ 276.88 करोड़ से लेकर ₹ 3,432.89 करोड़ तक रही। यह वर्ष 2019-25 के दौरान उपलब्ध केंद्रीय निधि

का 11.32 से 61.60 प्रतिशत था। कुछ वर्षों में राज्य द्वारा केंद्रीय निधि के कम उपयोग के कारण, अगले वर्षों में आवंटन की तुलना में कम केंद्रीय निधि जारी की गई। 2019-25 की अवधि के दौरान, केंद्रीय निधि के कम उपयोग के परिणामस्वरूप, कुल आवंटित निधि ₹ 41,414.24 करोड़ के समक्ष राज्य को ₹ 29,145.92 करोड़ (70.38 प्रतिशत) की कम केंद्रीय निधि जारी की गई।

- 2022-23 के अंत तक केन्द्रीय अंश से ₹ 3,432.89 करोड़ की बड़ी राशि अव्ययित रही। परिणामस्वरूप, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए ₹ 3,019.94 करोड़ के आवंटन के समक्ष केवल ₹ 250 करोड़ ही जारी किए, अर्थात 91.72 प्रतिशत कम राशि जारी की गई।

इन वर्षों में, बहुत कम निधि का जारी किया जाना, निविदा प्रक्रिया तथा आरडब्ल्यूएसएस के निष्पादन में देरी से जुडा हुआ था, जबकि निरंतर कम उपयोग ने परियोजना की कमजोर तैयारी, माइलस्टोन की अपर्याप्त निगरानी, तथा हस्तांतरण/संचालन एवं रखरखाव की धीमी तैयारी को परिलक्षित किया। यह प्रवृत्ति इंगित करती है कि निधि प्रवाह से संबंधित बाधाएँ मुख्यतः निष्पादन संबंधी अवरोधों का परिणाम थीं, न कि किसी बाहरी अड़चन का।

मई 2020 एवं जून 2022 में, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) ने 2019-22 के दौरान राज्य द्वारा निधियों के कम उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की। एनजेजेएम ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा प्रदत्त अनुदान सहायता का प्रभावी नियोजन, क्रियान्वयन तथा समयबद्ध उपयोग नहीं किया। भारत सरकार ने राज्य सरकार से पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देने और एनजेजेएम दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया।

तथापि, क्रियान्वयन धीमा रहा और अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप, राज्य प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहनों एवं अतिरिक्त बजटीय संसाधनों के रूप में अतिरिक्त धनराशि प्राप्त करने का अवसर चूक गया।

इस प्रकार, निधियों के कम उपयोग ने राज्य में जेजेएम के क्रियान्वयन की प्रगति में बाधा डाली। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी का लाभ, जो कि मिशन का अभिप्रेत उद्देश्य था, नहीं मिल सका।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) अवगत कराया कि पूर्व के वर्षों में, राज्य अंश की प्राप्ति में हमेशा देरी होती रही, जिसके कारण विभाग आगे की धनराशि प्राप्त करने के योग्य नहीं हो सका। यह भी अवगत करवाया गया कि प्रारम्भिक वर्षों में, कार्य आदेश जारी करने में देरी हुई एवं इसलिए, अपेक्षित प्रगति प्राप्त नहीं हो सकी।

तथ्य यह रहता है कि राज्य द्वारा निधियों के लगातार कम उपयोग ने जेजेएम की प्रगति में अत्यधिक बाधा उत्पन्न की। इससे न केवल निधि जारी करने में काफी कमी आई, बल्कि ग्रामीण परिवारों को समय पर नल जल कनेक्शन से भी वंचित होना पड़ा।

5.2 एसएनए का पीएफएमएस से मैपिंग नही होना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 7.15 के अनुसार, जेजेएम के अंतर्गत सभी वित्तीय लेन-देन, सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के माध्यम से किए जाने अनिवार्य हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत उचित निधि प्रवाह एवं उपयोग की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने मार्च 2021 में एक निर्देश जारी किया, जिसके अनुसार निम्नलिखित अनिवार्य था:

- राज्य नोडल एजेंसी (एसएनए) और सभी क्रियान्वयन एजेंसियों (खंडों) का पीएफएमएस पर पंजीकरण।
- एसएनए और क्रियान्वयन एजेंसियों को किए जाने वाले सभी भुगतानों के लिए उन्हें आवंटित विशिष्ट पीएफएमएस आईडी का उपयोग।
- एसएनए, क्रियान्वयन एजेंसियों, विक्रेताओं एवं अन्य निधि प्राप्त करने वाले संगठनों के बैंक खातों का पीएफएमएस से मैपिंग।

इसके अतिरिक्त, एसएनए और खंडो को, पीएफएमएस के 'व्यय, अग्रिम और हस्तांतरण (ईएटी)' मॉड्यूल का उपयोग करना या प्रणालियों को पीएफएमएस के साथ एकीकृत करना अनिवार्य था। इसके लिए प्रत्येक खंड द्वारा पीएफएमएस पर जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करना आवश्यक था। एसएनए की पीएफएमएस के साथ मैपिंग, जेजेएम निधियों के उपयोग की तत्काल समय आधार पर सुचारू वित्तीय निगरानी में भी सहायक थी।

तथापि, लेखापरीक्षा अवलोकन ने राज्य में निम्नलिखित विचलन प्रकट किए:

- भुगतान सीधे पीएफएमएस के बजाय राज्य सरकार के संचालन पोर्टल के माध्यम से संसाधित किए गए। इसके अलावा, लेन-देन का विवरण बाद में पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड किया गया, जिससे तत्काल समय की निगरानी बाधित हुई।
- एसएनए खाता पीएफएमएस से संबद्ध नहीं था।
- राज्य में पीएफएमएस के ईएटी मॉड्यूल का भी उपयोग नहीं किया गया।

इन अनियमितताओं के कारण, पीएफएमएस और जेजेएम-आईएमआईएस में दर्शाए गए व्यय में ₹ 929.72 करोड़ का अंतर पाया गया (14 फरवरी 2025)।

परिणामस्वरूप, पीएफएमएस के माध्यम से नकदी प्रबंधन एवं सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में प्रभावशीलता तथा दक्षता बढ़ाने के भारत सरकार के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हुई।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि वित्त विभाग ने अगस्त 2021 और मार्च 2022 में एसएनए खाता खोलने एवं इसे पीएफएमएस और आईएमआईएस के साथ एकीकृत करने के निर्देश जारी किए थे। उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में, एसएनए खाता खोला गया तथा वित्त वर्ष 2021-22 में ही इसका पीएफएमएस के साथ मैपिंग का कार्य पूरा किया गया। 31 मार्च 2025 तक, एसएनए पोर्टल पीएफएमएस एवं आईएमआईएस के साथ मैप हो चुका

था। तथापि, एनआईसी की ओर से तकनीकी समस्याओं के कारण, ₹ 198 करोड़ के पीएफएमएस वाउचर दर्शाये जाने अभी भी लंबित हैं।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जेजेएम योजनाओं में भुगतान, संचालन पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा था, एवं उसके बाद, व्यय का विवरण पीएफएमएस के साथ साझा किया जा रहा था, जिसकी पुष्टि मई 2024 में मुख्य अभियंता (जेजेएम) द्वारा की गई थी। इसलिए, वास्तव में, एसएनए को पीएफएमएस एवं आईएमआईएस के साथ मैप नहीं किया गया था।

5.3 खण्डों द्वारा किए गए ₹ 133.22 करोड़ के विफल भुगतान लेन-देन

एसएनए के बैंक स्टेटमेंट की जांच में प्रकट हुआ कि 2021-24 के दौरान विभिन्न पीएचईडी खण्डों में किए गए ₹ 133.22 करोड़[1] के 511 भुगतान विफल रहे। विफलता के कारण निम्न थे:

- लाभार्थियों के नामों में विसंगतियां,
- बैंक खातों का अस्तित्व में न होना या बंद होना,
- बैंक खातों में गलत या पुराना विवरण।

ये निष्कर्ष संबंधित विभागों द्वारा लाभार्थियों के बैंक विवरण दर्ज करने या अद्यतन करने में आवश्यक सावधानी की कमी को दर्शाते हैं।

इन विफल लेन-देनों के कारण विक्रेताओं एवं संवेदकों को भुगतान में देरी हुई, जिससे परियोजना निष्पादन की समय-सीमा बाधित हुई तथा विभाग की विश्वसनीयता कम हुई।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि तकनीकी खराबी के कारण भुगतान विफल रहे। विभाग ने लाभार्थियों के सही डेटा का मिलान कर लिया है एवं इन विफल लेन-देनों के लिए देय राशि का भुगतान कर दिया गया है।

5.4 राज्य जल स्वच्छता मिशन (एसडब्ल्यूएसएम) की सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा लेखापरीक्षा नही किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 7.16 (i) के अनुसार, एसडब्ल्यूएसएम के खातों की लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक द्वारा सूचीबद्ध सीए द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः महीने के भीतर की जानी अनिवार्य थी। लेखापरीक्षा के साथ ही, क्रियान्वयन एजेंसियों (खण्डों) के खातों का मिलान विवरण और सीए द्वारा खातों की सटीकता की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत किया जाना था।

[1] वर्ष 2021-22: ₹ 31.21 करोड़ (50 भुगतान), वर्ष 2022-23: ₹ 58.20 करोड़ (155 भुगतान) एवं वर्ष 2023-24: ₹ 43.81 करोड़ (306 भुगतान)।

तथापि, राज्य में निम्नलिखित कमियां पाई गईं:

- एसएनए की स्थापना नवंबर 2021 में ही हुई थी, और परिणामस्वरूप, सीए द्वारा एसडब्ल्यूएसएम के खातों की लेखापरीक्षा केवल नवंबर 2021 से मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ही आयोजित की गई। वर्ष 2023-24 के लिए कोई सीए लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई।

- इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए छः[2] खण्ड कार्यालयों के खातों की सीए द्वारा लेखापरीक्षा नहीं की गयी।

- साथ ही, वर्ष 2022-23 की सीए लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, सीए ₹ 9.14 करोड़ के व्यय का पता नहीं लगा सके, जिसे आय और व्यय खाते में डेबिट किया गया था एवं इसलिए, इसे बैलेंस शीट में 'अन्य व्यय' के रूप में दिखाया गया था। इस राशि को सीए द्वारा प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

ये कमियाँ लेखापरीक्षा प्रोटोकॉल के अपर्याप्त पालन को दर्शाती हैं और राज्य में जेजेएम के अन्तर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठाती हैं।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि एसएनए के खुलने के बाद से सीए लेखापरीक्षा नियमित रूप से आयोजित की गई है। लेखापरीक्षा में सामने आई कमियों को स्वीकार करते हुए, यह भी अवगत कराया गया कि 2021-22 में एसएनए पोर्टल के लॉन्च के समय, पोर्टल और रिपोर्ट तैयार करने में कई तकनीकी समस्याएं थीं। परिणामस्वरूप, वास्तविक भुगतानों के क्षेत्र में कुछ कमियां दिखाई दीं, जैसा कि एसएनए रिपोर्ट में दर्शाया गया है, और अब ₹ 9.14 करोड़ रुपये की प्रविष्टि का मिलान कर लिया गया है। यह भी कहा गया कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण, छः खण्डों के कर्मचारी निर्धारित लेखापरीक्षा तिथि पर मुख्यालय में उपस्थित नहीं हो सके, तथापि, बाद में पूर्ण खाते लेखापरीक्षक को प्रस्तुत कर दिए गए थे।

एसएनए के खुलने के बाद सीए लेखापरीक्षा के नियमित संचालन के संबंध में दिया गया उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि विभागीय अभिलेखों से पता चलता है कि वर्ष 2023-24 के लिए सीए लेखापरीक्षा आयोजित नहीं की गई थी।

5.5 अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ अभिसरण नही होना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 6.3 के अनुसार अभिसरण गतिविधियाँ, ग्राम-स्तरीय अवसंरचना के विकास के एक भाग के रूप में, अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ समन्वित रूप से, संचालित की जानी थीं जैसे कि:

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) आदि के साथ अभिसरण के माध्यम से उपलब्ध अवसंरचना का उपयोग करते हुए स्रोत सततता उपाय भी किए जाने थे। जेजेएम की पहलों का

[2] डूंगरपुर, सोजत सिटी, परियोजना जालोर, परियोजना उदयपुर, परियोजना टोडाभीम एवं जोधपुर।

इन योजनाओं के साथ अभिसरण न केवल वित्तीय आवरण को सुदृढ़ करता है, बल्कि गुणवत्ता, मात्रा तथा सततता के संदर्भ में जल संसाधनों की उपलब्धता में भी सुधार करता है।

यह देखते हुए कि राजस्थान, एमजीएनआरईजीएस निधियों के सर्वाधिक उपयोगकर्ता राज्यों में से एक है, स्रोत सततता उपायों तथा ग्रे-वॉटर प्रबंधन के लिए इन निधियों के उपयोग की पर्याप्त क्षमता विद्यमान थी।

जेजेएम के अन्तर्गत, ग्राम कार्य योजना (वीएपी) सहभागिता के साथ तैयार की जानी थी, जिसमें इन निधियों को एमजीएनआरईजीएस, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, क्षतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण, जिला खनिज विकास निधि, पंचायत राज संस्थाओं को 15वें वित्त आयोग के अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व निधि आदि के साथ संरेखित किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-24 के लिए वार्षिक कार्य-योजनाओं (एएपी) में अभिसरण-आधारित कार्यों को सम्मिलित नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन और निधि अनुकूलन के अवसर छूट गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि ग्राम-स्तर पर ग्राम जल स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न विभागों के सदस्य सम्मिलित हैं, और तदनुसार, जमीनी स्तर पर अभिसरण किया जा रहा है। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा की टिप्पणी अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं के साथ निधियों के अभिसरण के बारे में है, न कि वीडब्ल्यूएससी की बैठकों में अन्य विभागों के कार्मिकों की भागीदारी के बारे में।

5.6 सामुदायिक अंशदान

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 6.1.2 के अनुसार, ग्राम में जल आपूर्ति अवसंरचना एवं संबंधित स्रोत विकास के क्रियान्वयन हेतु, जो कि वीडब्ल्यूएससी द्वारा क्रियान्वित किया जाना था, पहाड़ी/वन क्षेत्रों में पूंजीगत लागत का पांच प्रतिशत और अन्य गांवों में 10 प्रतिशत सामुदायिक योगदान अनिवार्य था, जिसका भुगतान नकद, वस्तु या श्रम के रूप में किया जा सकता था।

एनजेजेएम ने अपनी बैठक (मार्च 2023) में और स्पष्ट किया कि जेजेएम के अंतर्गत केन्द्रीय अंश, ग्राम अवसंरचना के लिए सामुदायिक अंशदान और राज्य अंश को घटाने के बाद परियोजना लागत की सीमा तक ही स्वीकार्य होगा। सामुदायिक अंशदान में किसी भी प्रकार की कमी को राज्य सरकार को अपने संसाधनों से पूरा करना होगा।

लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि वार्षिक कार्य-योजना 2020-24 के अन्तर्गत सामुदायिक अंशदान के रूप में कुल ₹ 1,337.44 करोड़[3] एकत्रित करने की योजना थी, जिसके विरुद्ध 10 फरवरी 2023 तक केवल ₹ 129.13 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए थे। इसके बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 के बजट में सामुदायिक अंशदान माफ करने की घोषणा की। चयनित

[3] 2020-21: ₹ 283.24 करोड़, 2021-22: ₹ 529.20 करोड़, 2022-23: ₹ 305 करोड़ एवं 2023-24: ₹ 220 करोड़।

गांवों के 560 लाभार्थियों के सर्वेक्षण में 426 लाभार्थियों (76.07 प्रतिशत) ने सामुदायिक अंशदान[4] देने की इच्छा व्यक्त की। वहीं, सात में से आयोजित चार केंद्रित समूह चर्चाओं (एफजीडी) में समुदाय ने योजनाओं की पूंजीगत लागत तथा संचालन एवं रख रखाव लागत के लिए प्रारंभिक अंशदान देने के प्रति अपनी अनिच्छा व्यक्त की।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि वर्ष 2023-24 के बजट में यह घोषणा की गई थी कि ग्रामीण आबादी को वित्तीय राहत प्रदान करने के लिए ग्रामीणों द्वारा देय सामुदायिक अंशदान राज्य सरकार वहन करेगी।

उत्तर को ध्यान में लेते हुए, चूँकि ग्रामीण समुदाय जेजेएम के केंद्र में हैं, तथा भारत सरकार का सामुदायिक अंशदान के प्रावधान को सम्मिलित करने का उद्देश्य केवल पूंजीगत लागत में योगदान के लिए ही नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में अपनी जल आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधन, संचालन एवं रखरखाव के लिए 'स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना' पैदा करना भी था। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा सामुदायिक अंशदान माफ करने का निर्णय जेजेएम के आशय तथा शब्दांकन के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा के अनुसार नियोजित सामुदायिक अंशदान के विरुद्ध माफ की जाने वाली राशि की भरपाई करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया।

5.7 अस्वीकार्य व्यय

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 7.10 के अनुसार, राज्य सरकार/ एसडब्ल्यूएसएम को उन व्ययों के बारे में निर्णय लेना था, जो जेजेएम के केंद्रीय अंश से वित्तपोषित होने के योग्य नहीं थे, जैसे कि लागत वृद्धि, निविदा प्रीमियम और प्रतिशत शुल्क आदि। साथ ही नियमित कर्मचारियों को वेतन या मानदेय का भुगतान, बिजली बिलों का भुगतान आदि भी जेजेएम के केंद्रीय अंश से अनुमत्य नहीं थे। अस्वीकार्य व्ययों की एक सुझावात्मक सूची भी परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुलग्नक-IV के रूप में संलग्न थी, जिसके अनुसार भूमि, वाहन आदि की खरीद, प्रतिशत शुल्क, भवन निर्माण/नवीनीकरण/मरम्मत, निविदा प्रीमियम, योजनाओं की स्वीकृत लागत से अधिक व्यय एवं स्थायी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान स्वीकार्य नहीं थे।

तथापि, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह प्रकट हुआ कि उपर्युक्त दिशा-निर्देशों के विपरीत, निम्नलिखित प्रकरणों में अस्वीकार्य व्ययों को जेजेएम निधि के केंद्रीय अंश पर गलत तरीके से प्रभारित किया गया था।

5.7.1 नियमित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय

अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सपोर्ट) के अभिलेखों की जाँच (जून 2024) में प्रकट हुआ कि 2019-23 के दौरान उनके कार्यालय के नियमित/स्थायी कर्मचारियों को ₹ 2.61 करोड़[5] का

[4] ग्राम अवसंरचना की पूंजीगत लागत का 5/10 प्रतिशत।

[5] 2019-20: ₹ 0.58 करोड़, 2020-21: ₹ 0.68 करोड़, 2021-22: ₹ 1.01 करोड़ एवं 2022-23: ₹ 0.34 करोड़।

भुगतान किया गया था। यह भुगतान जेजेएम के अंतर्गत सहायता गतिविधियों के लिए आवंटित निधि से किया गया था, जो कि निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन है।

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार, नियमित कर्मचारियों को वेतन का भुगतान, केंद्रीय अंश या सहायता गतिविधि निधि से अस्वीकार्य व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अतः जेजेएम सहायता निधि से किया गया ₹ 2.61 करोड़ का भुगतान एक अनियमित और अस्वीकार्य व्यय को प्रदर्शित करता है ***(परिशिष्ट-3)***।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि 'जल आपूर्ति एवं स्वच्छता संगठन (डब्ल्यूएसएसओ) कार्यालय' का नाम अक्टूबर 2022 में बदलकर 'अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सहायक गतिविधि) कार्यालय' कर दिया गया था, और इस नाम परिवर्तन से पहले, नियमित कर्मचारियों का वेतन राष्ट्रीय ग्रामीण विकास पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार दिया जाता था। बाद में, राज्य सरकार ने अपने उत्तर में एक भिन्न तर्क दिया (नवंबर 2025), जिसमें कहा गया कि विभागीय इंजीनियर डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय में तैनात थे एवं संबंधित वित्तीय वर्ष की अनुमोदित वार्षिक कार्य-योजना के अन्तर्गत सहायक गतिविधियों के लिए टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी टीम लीडर और डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में कार्यरत थे। इसलिए, डब्ल्यूएसएसओ कार्यालय के नाम में परिवर्तन होने तक विभाग के नियमित कर्मचारियों का वेतन दिया जाता रहा।

उत्तर में उल्लिखित एनआरडीडब्ल्यूपी प्रावधानों का तर्क मान्य नहीं है क्योंकि दिसंबर 2019 में एनआरडीडब्ल्यूपी को जेजेएम में सम्मिलित किए जाने के पश्चात जेजेएम पूरे देश में प्रभावी हो गया था। तब से डब्ल्यूएसएसओ को जेजेएम से संबंधित सहायक गतिविधियों के लिए धनराशि प्राप्त होती रही है एवं उसी से व्यय होता रहा है, चाहे उसका नाम कुछ भी हो। इसलिए, जेजेएम के प्रावधानों के अनुसार, नियमित कर्मचारियों के वेतन पर व्यय स्वीकार्य नहीं था।

5.7.2 विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं (डब्ल्यूएसपी) के शिलान्यास समारोह पर व्यय

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 9 के अनुसार, सहायक गतिविधियों हेतु निधि का उपयोग प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की जाने वाली परिहार्य गतिविधियों के लिए नहीं किया जाना था। तथापि, जून 2024 में अतिरिक्त मुख्य अभियंता (सपोर्ट) के अभिलेखों की जांच से पता चला कि 2022-23 के दौरान, विभिन्न जल आपूर्ति परियोजनाओं के शिलान्यास समारोह (आधारशिला रखना) के आयोजन पर ₹ 3.28 करोड़[6] व्यय किए गए थे।

यह व्यय अस्वीकार्य था क्योंकि यह जेजेएम के अन्तर्गत सहायक गतिविधियों हेतु निधि के उचित उपयोग के संबंध में निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि शिलान्यास समारोहों पर व्यय, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, वित्त विभाग से सक्षम अनुमोदन प्राप्त करने तथा बाद में कार्यकारी समिति और शीर्ष समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद, किया गया था।

[6] हिंडोली-नैनवाः ₹ 0.90 करोड़, आरजीएलसी फेज-3ः ₹ 0.53 करोड़, नदबई (भरतपुर)ः ₹ 1.85 करोड़।

उत्तर मानी नहीं है क्योंकि जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 9 में स्पष्ट रूप से प्रचार-प्रसार उद्देश्यों के लिए अनावश्यक कार्यक्रमों के आयोजन पर सहायता निधि के उपयोग पर रोक लगाई गई है। साथ ही, वित्त विभाग की स्वीकृति, सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) गतिविधियों एवं स्थानीय समुदायों को संगठित करने के लिए उपलब्ध निधियों के अन्तर्गत प्रदान की गई थी, जिसके लिए प्रत्येक जिले में आईएसए नियुक्त किये जा चुके थे एवं ये गतिविधियाँ उनके कार्यक्षेत्र में सम्मिलित थीं।

इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीडब्ल्यूएफएंडएआर, भाग-II के परिशिष्ट-XIII[7] के क्रमांक 71 में उल्लिखित प्रावधान का भी उल्लंघन किया है, जिसके अनुसार इस उद्देश्य के लिए व्यय स्वीकृत करने की अधिकतम सीमा ₹ पाँच करोड़ से कम एवं ₹ पाँच करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए क्रमशः केवल ₹ 2.50 लाख और ₹ 10 लाख थी।

5.8 कार्य की गलत मात्रा एवं आधार सूचकांकों के आधार पर मूल्य विचलन की गणना

लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के क्लॉज 45 में यह प्रावधान है कि यदि संवेदक पहले या किसी अन्य टाइम-स्पान में आनुपातिक प्रगति करने में विफल रहता है और बाद की टाइम-स्पान में, मूल निर्धारित अवधि के भीतर कमी को पूर्ण कर लेता है, तो पिछले टाइम-स्पान में अपेक्षित कार्य का मूल्य विचलन, उस तिमाही के मूल्य सूचकांक के आधार पर काल्पनिक रूप से दिया जाएगा जिसमें वह कार्य किया जाना था।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त खण्ड में यह भी प्रावधान है कि हाई-स्पीड डीजल (पेट्रोलियम) के मूल्य विचलन की गणना के लिए, निविदाएँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के दिन के थोक मूल्य सूचकांकों को आधार सूचकांक के रूप में अपनाया जाएगा।

चयनित जिलों के खण्ड कार्यालयों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से पता चला कि 'बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना चरण-II, भाग-डी' का कार्य जैसलमेर के परियोजना खण्ड-प्रथम के अंतर्गत निष्पादित किया गया था। विभाग ने इस कार्य में मूल्य विचलन के मद में तीसरे मूल्य विचलन बिल तक ₹ 9.89 करोड़ का भुगतान किया।

संबंधित अधिशाषी अभियंता के अभिलेखों की लेखापरीक्षा जांच में प्रकट हुआ कि:

- संवेदक न तो निर्धारित समय सीमा के भीतर किसी परियोजना माइलस्टोन को प्राप्त कर सका एवं न ही बाद के माइलस्टोन्स में इस देरी की भरपाई कर पाया। इसके बावजूद, विभाग ने मूल्य विचलन की गणना करते समय, पहले एवं दूसरे स्पान के लिए क्रमशः ₹ 17.45 करोड़ एवं ₹ 35.40 करोड़ के कार्य को, काल्पनिक रूप से सम्मिलित किया।

- विभाग ने पेट्रोलियम (हाई-स्पीड डीज़ल) के मूल्य विचलन की गणना हेतु जनवरी 2022 के सही आधार सूचकांक (141.20) के स्थान पर जनवरी-मार्च 2022 के औसत सूचकांक (148.83) का उपयोग किया।

---

[7] निर्माण विभाग में विभागीय अधिकारियों को वितीय शक्तियों के प्रत्यायोजन की अनुसूची।

इससे क्लॉज 45 का उल्लंघन हुआ एवं यदि गणना सही तरीके से की गई होती, तो मूल्य विचलन की राशि ₹ 9.45 करोड़ होती। अतः संवेदक को ₹ 0.44 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया ***(परिशिष्ट-4)***।

राज्य सरकार ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अगस्त 2025) एवं अवगत कराया (नवंबर 2025) कि लेखापरीक्षा आपत्ति के दृष्टिगत, किए गए कार्य की वास्तविक मात्रा एवं पेट्रोलियम के सही आधार सूचकांक को ध्यान में रखते हुए मूल्य विचलन की गणना में आवश्यक संशोधन किया गया है, तथा अधिक भुगतान की गई राशि आगामी रनिंग अकाउंट बिल संख्या 25 में से वसूल की जाएगी।

5.9 निष्कर्षों का सारांश

यह अध्याय दर्शाता है कि केंद्रीय निधियों के निरंतर अल्प-उपयोग के परिणामस्वरूप कम आवंटन जारी हुए। एसएनए को पीएफएमएस से मैप न किए जाने, पीएफएमएस एवं आईएमआईएस के बीच विसंगतियों तथा लाभार्थियों के अपर्याप्त विवरण के कारण विफल लेन-देन से निधि प्रवाह प्रबंधन में कमजोरियाँ स्पष्ट हुईं। जेजेएम के अंतर्गत अनिवार्य सामुदायिक अंशदान को राज्य सरकार द्वारा माफ किए जाने से स्थानीय स्वामित्व एवं उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने का उद्देश्य कमजोर हुआ। अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण भी सुनिश्चित नहीं किया गया। समग्र रूप से, ये कमियाँ संसाधनों के अधिकतम उपयोग के अवसरों से चूकने, कमजोर वित्तीय नियंत्रण तथा जेजेएम दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कमी की ओर संकेत करती हैं।

5.10 सिफारिशें

- ***राज्य सरकार जेजेएम कार्यों के लिए एक माइलस्टोन आधारित व्यय योजना तैयार कर उसकी नियमित निगरानी कर सकती है, ताकि निधियों के अवशोषण में सुधार हो तथा केंद्र से प्राप्त अनुदानों का समयबद्ध उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।***

- ***राज्य सरकार जेजेएम के सभी वित्तीय लेन-देनों हेतु पीएफएमएस का एंड-टू-एंड उपयोग, जिसमें ईएटी मॉड्यूल भी सम्मिलित हो, अनिवार्य कर सकती है तथा रिपोर्टिंग में विसंगतियों को समाप्त करने के लिए पीएफएमएस, आईएमआईएस एवं बैंक अभिलेखों के मध्य मासिक मिलान सुनिश्चित कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार भुगतान प्रक्रिया से पूर्व लाभार्थियों एवं विक्रेताओं के बैंक विवरण का अनिवार्य सत्यापन सुनिश्चित कर भुगतान नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ कर सकती है, ताकि विफल लेन-देन तथा क्रियान्वयन में होने वाली देरी को रोका जा सके।***

- ***राज्य सरकार निर्धारित समय-सीमा के भीतर एसडब्ल्यूएसएम तथा सभी क्रियान्वयन खण्डों का चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा वार्षिक लेखापरीक्षण सुनिश्चित***

कर सकती है तथा लंबित/अनिर्णीत लेखापरीक्षा आपत्तियों को सुधारात्मक कार्रवाई हेतु कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है।

- *राज्य सरकार उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग हेतु, अस्वीकार्य व्ययों पर प्रतिबंध लगाकर, अधिक किए गए भुगतानों की शीघ्र वसूली कर तथा अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण का व्यवस्थित रूप से लाभ उठाकर, वित्तीय अनुशासन लागू कर सकती है।*

अध्याय–6

जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण

अध्याय-6

जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित आईएस-10500 (संशोधित) मानक[1] वर्ष 2012 के अनुसार पेयजल को सुरक्षित तभी माना जाता है, जब वह जैविक प्रदूषण जैसे गिनी कृमि, टाइफाइड आदि से पूर्णतः मुक्त हो एवं रासायनिक प्रदूषण जैसे अधिक फ्लोराइड, लवणता, लौह, आर्सेनिक, नाइट्रेट आदि की अनुमत्य सीमाओं के भीतर हो।

इस अध्याय में जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंन्तर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं सर्वेक्षण (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) गतिविधियों पर किए गए व्यय एवं प्रगति की समीक्षा प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रयोगशाला आधारित जल गुणवत्ता परीक्षण, सामुदायिक स्तर पर प्रशिक्षण, सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन एवं जल गुणवत्ता परीक्षण के विस्तार हेतु संसाधनों के उपयोग से सम्बंधित विवरण सम्मिलित है।

6.1 'जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण गतिविधियां' घटक पर व्यय

जेजेएम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को आवंटित कुल वार्षिक निधि का अधिकतम दो प्रतिशत हिस्सा डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों के लिए निर्धारित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों हेतु आवंटित राशि का उपयोग विभिन्न कार्यों जैसे प्रयोगशालाओं के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण, नियमित निगरानी एवं पर्यवेक्षण, सामुदायिक स्तर पर परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टिंग किट्स का उपापन एवं कार्मिकों को बहु-स्तरीय मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण, आदि के लिए किया जाना था।

वर्ष 2019 से 2025 (20 जनवरी, 2025 तक) की अवधि के दौरान विभाग को कुल ₹ 486.23 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। इसमें से मात्र ₹ 40.39 करोड़ (8.31 प्रतिशत) राशि डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों पर व्यय की गई, जबकि ₹445.84 करोड़ (91.69 प्रतिशत) की राशि अव्ययित रही। वर्ष 2019-24 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों तथा उनके विरुद्ध किए गए व्यय की स्थिति **तालिका 6.1** में दी गई है:

तालिका 6.1: राजस्थान में डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों हेतु प्राप्त निधि एवं किया गया व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय	अप्रयुक्त राशि (प्रतिशत)
2019-20	24.84	3.31	21.53 (86.67)
2020-21	104.84	6.53	98.31 (93.77)
2021-22	67.81	9.19	58.62 (86.45)
2022-23	173.66	6.45	167.21 (96.28)

[1] यह मानक, पेयजल के नमूना संग्रहण एवं परीक्षण से संबंधित आवश्यकताओं एवं विधियों को विनिर्दिष्ट करता है।

वर्ष	प्राप्त राशि	व्यय	अप्रयुक्त राशि (प्रतिशत)
2023-24	41.90	13.03	28.87 (68.90)
2024-25 (20 जनवरी 2025 तक)	73.18	1.88	71.30 (97.43)
कुल	**486.23**	**40.39**	**445.84 (91.69)**

स्रोतः मुख्य रसायनज्ञ, जेजेएम द्वारा प्रदान की गई सूचना

राज्य-स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएसएससी) द्वारा वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) 2020-21 की स्वीकृति के दौरान, भारत सरकार के अवर सचिव (एनजेजेएम) के द्वारा प्रयोगशाला परीक्षण में वृद्धि किये जाने की सलाह दी गयी। साथ ही, निदेशक (एनजेजेएम) द्वारा 2020-21 में डब्लूक्यूएमएंडएस योजना निधि के सात प्रतिशत से कम उपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की गयी थी। एनजेजेएम के द्वारा दिए गए निर्देशों के उपरान्त भी उपलब्ध निधियों के विरुद्ध डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों पर व्यय की गति अत्यंत धीमी रही।

लेखापरीक्षा द्वारा निधियों के न्यून उपयोग के लिए विभिन्न कारणों को उत्तरदायी माना गया, जिनमें अपर्याप्त जल गुणवत्ता परीक्षण, ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं (बीएलएल) की स्थापना न होना एवं महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कमी सम्मिलित हैं, जो कि डब्ल्यूक्यूएमएंडएस रूपरेखा की प्रमुख गतिविधियां हैं।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त एवं नवंबर 2025) कि मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) का कार्यालय फरवरी 2022 में स्थापित किया गया एवं मई 2022 में कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। कम व्यय का कारण प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों में विलंब, विधानसभा एवं लोकसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का लागू होना तथा एएपी 2024-25 की स्वीकृति न होना अवगत करवाया गया है। राज्य सरकार द्वारा यह भी अवगत करवाया गया कि एएपी 2025-26 के अंतर्गत 121 ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं राज्य में लक्ष्यित महिलाओं में से 90 प्रतिशत से अधिक को फील्ड टेस्ट किट्स परीक्षण का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। तथापि, तथ्य यह है कि जनवरी 2025 तक डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों हेतु प्राप्त निधि का मात्र 8.31 प्रतिशत ही राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लिया जा सका है।

6.2 जल गुणवत्ता परिदृश्य

अप्रैल 2024 तक राज्य की कुल 1,19,215 बस्तियों में से 9,002 बस्तियों को पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों के रूप में चिन्हित किया गया। इन पेयजल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में कुल 4,20,270 परिवार (24,52,582 कुल निवासी) थे।

जल प्रदूषण के प्रकार के आधार पर इन बस्तियों का वर्गीकरण (अप्रैल 2024 तक) नीचे दिए गए **चार्ट 6.1** में प्रस्तुत किया गया हैः

चार्ट 6.1: जल प्रदूषण की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत बस्तियों की संख्या

प्रभावित बस्तियों का विवरण

प्रदूषक	**प्रभावित बस्तियों की संख्या**
फ्लोराइड	110
लोहा	4
लवणता	8,467
नाइट्रेट	421
कुल	**9,002**

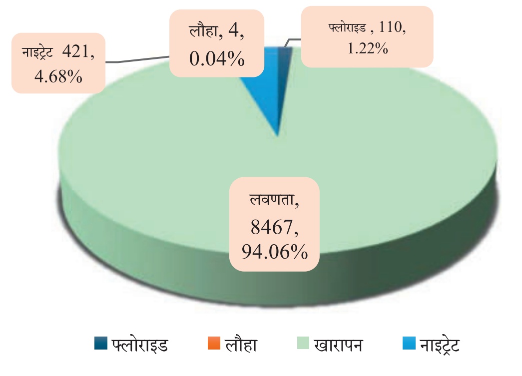

जून 2024 तक, राज्य में एक राज्य-स्तरीय प्रयोगशाला (एसएलएल) और 33 जिला-स्तरीय प्रयोगशालाएँ (डीएलएल) कार्यशील थीं। ये प्रयोगशालाएं रासायनिक मापदंडो के परिक्षण हेतु 'राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड' (एनएबीएल) द्वारा मान्यता प्राप्त है। नवगठित आठ जिलों में डीएलएल की स्थापना का कार्य प्रगतिरत है। जेजेएम के अंतर्गत डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों की समग्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) का कार्यालय स्थापित किया गया था (फरवरी 2022)। राज्य-स्तरीय प्रयोगशाला का नेतृत्व मुख्य रसायनज्ञ द्वारा किया जाता है एवं यह जेजेएम से सम्बंधित कार्यों का निष्पादन करती है।

मुख्य रसायनज्ञ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में पाया गया कि राज्य-स्तरीय प्रयोगशाला 'समान पेयजल गुणवत्ता निगरानी प्रोटोकॉल'[2] (यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी) के अंतर्गत निर्धारित 78 मापदंडों में से मात्र 41 मापदंडो का ही परीक्षण करने में सक्षम थीं। इसके अतिरिक्त, राज्य-स्तरीय प्रयोगशाला में रेडियोधर्मी एवं विषाणु सम्बन्धी मापदंडों के परीक्षण की सुविधा भी उपलब्ध नहीं थी। इसी प्रकार, यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अनुसार जिला-स्तरीय प्रयोगशाला को जल गुणवत्ता परीक्षण हेतु न्यूनतम 34 मापदंडो का परीक्षण करना अपेक्षित था, परन्तु चयनित जिलों में स्थित जिला-स्तरीय प्रयोगशालाएं मात्र 9 से 22[3] मापदंडों का ही परीक्षण करने हेतु सक्षम थी।

राज्य में बड़ी संख्या में बस्तियाँ जल गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से प्रभावित हैं, जिसका प्रमुख कारण लवणता है, जिससे ग्रामीण आबादी का एक बड़ा वर्ग स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। यद्यपि जेजेएम के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी हेतु राज्य एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना के माध्यम से संस्थागत व्यवस्थाएँ स्थापित की गई हैं, तथापि परीक्षण क्षमता अपर्याप्त बनी हुई है। यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट सभी मापदंडों, विशेषकर महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी एवं विषाणु संबंधी मापदंडो का परीक्षण करने में प्रयोगशालाओं

2 यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी को फरवरी 2013 में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय ने अलग-अलग स्तर पर प्रयोगशाला स्थापित करने और उनके कामकाज की आवश्यकताओं को मानकीकृत करने हेतु विकसित किया था।

3 अलवर (12), बारां (10), हनुमानगढ़ (17), जैसलमेर (9), जोधपुर (12), पाली (11) एवं सिरोही (22)।

की अक्षमता, पेयजल सुरक्षा के समग्र आंकलन को सीमित करती है। यह कमी प्रभावित बस्तियों में जल गुणवत्ता की विश्वसनीयता को क्षीण करता है एवं मिशन के अंतर्गत प्रभावी सुधारात्मक उपायों की योजना बनाने एवं उनके क्रियान्वयन की राज्य की क्षमता को भी बाधित करता है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त 2025) कि वर्तमान में राज्य-स्तरीय प्रयोगशालाओं एवं जिला-स्तरीय प्रयोगशालाओं में क्रमशः 69 एवं 22 मापदंडों के लिए परीक्षण की सुविधाएं उपलब्ध हैं। राज्य में जिलों की कुल संख्या बढ़कर 41 हो गई है एवं नवगठित आठ जिलों में जिला-स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित करने के प्रस्ताव वित्त विभाग को अनुमोदन हेतु भेजे गए हैं। तथापि, तथ्य यह रहता है कि राज्य वर्तमान में भी यूडीडब्ल्यूक्यूएमपी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट परीक्षण मापदंडों की संख्या के अनिवार्य लक्ष्यों से अत्यधिक नीचे है।

6.3 प्रयोगशालाओं में कार्मिकों की अपर्याप्तता

राज्य की समस्त प्रयोगशालाओं में तकनीकी पदों के लिए स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिकों का विवरण निम्न **तालिका 6.2** में प्रस्तुत किया गया है:

तालिका 6.2: राजस्थान की प्रयोगशालाओं में स्वीकृत एवं कार्यरत कार्मिको की स्थिति

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत कार्मिक	रिक्त पद (प्रतिशत)
अधीक्षण रसायनज्ञ	07	04	03 (42.86)
वरिष्ठ रसायनज्ञ	13	13	0 (0)
जीव विज्ञानी	01	0	01 (100)
कनिष्ठ रसायनज्ञ	37	20	17 (45.94)
वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	36	16	20 (55.55)
कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	56	50	6 (10.71)
प्रयोगशाला परिचारक	70	16	54 (77.14)
नमूना संग्रहकर्ता	03	02	01 (33.33)
कुल	**223**	**121**	**102 (45.73)**

स्रोतः पीएचईडी द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त **तालिका 6.2** से यह स्पष्ट है कि माह फरवरी 2024 तक, राज्य की समस्त प्रयोगशालाओं में 223 तकनीकी पद स्वीकृत थे, जिनमें से मात्र 121 पदों पर कार्मिक पदस्थापित थे, जिसके परिणामस्वरूप 102 पद (45.73 प्रतिशत) रिक्त पाए गए। विशेष रूप से प्रयोगशाला परिचारक (77.14 प्रतिशत), वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (55.55 प्रतिशत) एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ (45.94 प्रतिशत) के पदों में सर्वाधिक कमी पाई गयी।

'पेयजल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण ढांचा (डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ)' के अंतर्गत माह अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के उपरान्त भी, राज्य सरकार ने राज्य एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं में प्रभावी जल गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक सूक्ष्मजीव विज्ञानी अथवा जीवाणु विज्ञानी के पदों को स्वीकृति प्रदान नहीं की।

इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा निष्कर्षों से विदित होता है कि चयनित जिलों की जिला-स्तरीय प्रयोगशालाओं में स्वीकृत 43 तकनीकी पदों के विरुद्ध मात्र 24 तकनीकी कार्मिक ही पदस्थापित किये गए। विशेष रूप से चिंताजनक यह है कि पाली जिले में जिला प्रयोगशाला का प्रभार एक सहायक अभियंता (सिविल) को सौंपा गया था, जिन्हें जल गुणवत्ता परीक्षण के क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण प्राप्त नहीं था।

जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं में तकनीकी मानव संसाधन की गंभीर कमी तथा सूक्ष्मजीव विज्ञानी एवं जीवाणु विज्ञानी जैसे विशेषज्ञो के स्वीकृत पदों के अभाव के कारण, प्रभावी जल गुणवत्ता निगरानी हेतु राज्य की क्षमता उल्लेखनीय रूप से क्षीण हुई है। प्रमुख तकनीकी पदों पर अधिक संख्या में रिक्तियां एवं जिला प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु गैर-विशेषज्ञ कार्मिकों के पदस्थापन से परीक्षण की विश्वसनीयता, समयबद्धता एवं वैज्ञानिक सटीकता प्रभावित होती है। ये कमियां राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी ढाँचे के अनुपालन को क्षीण करती है एवं विशेषकर गुणवत्ता-प्रभावित बस्तियों में, जेजेएम के अंतर्गत आपूर्ति किए जा रहे पेयजल की सुरक्षा पर पर्याप्त आश्वासन को सीमित करती है।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि अधीक्षण रसायनज्ञों के सभी पदों पर वर्तमान मे पदस्थापन कर दिया गया है एवं कनिष्ठ रसायनज्ञ के 17 पदों और प्रयोगशाला परिचारक के 54 पदों हेतु पदस्थापन की प्रक्रिया प्रगतिरत है। इसके अतिरिक्त, एक प्राणी विज्ञानी के पद पर पदस्थापन हेतु मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव, पीएचईडी को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। आगे यह भी बताया गया कि सूक्ष्मजीव विज्ञानी का पद वर्ष 2023-24 में आउट्सोर्सिंग के माध्यम से भरा गया था, किंतु वार्षिक कार्य-योजना 2024-25 की स्वीकृति ना होने के कारण वर्ष 2024-25 में इसे जारी नहीं रखा जा सका। यह भी उल्लेख किया गया है कि पाली जिले की जिला-स्तरीय प्रयोगशाला का प्रभार वर्तमान में एक वरिष्ठ रसायनज्ञ को सौंप दिया गया है। तथापि, तथ्य यह रहता है कि प्रयोगशालाओं में अधीक्षण रसायनज्ञ को छोड़कर अन्य तकनीकी कार्मिकों के पदों की रिक्तियाँ लगातार बनी हुई हैं।

6.4 डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया जाना

6.4.1 पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय का गठन नहीं किया जाना

डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के क्लॉज 5.1.2.2 के अनुसार पेयजल गुणवत्ता परीक्षण को जल आपूर्ति वितरण से पृथक करने के उद्देश्य से पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय (डीडब्ल्यूक्यूसी) के गठन का प्रावधान किया गया था। इस आयुक्तालय को डीडब्लूक्यूएमएंडएसएफ के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वित्तीय रूप से सशक्त किया जाना था, जिसमें आधारभूत संरचना एवं प्रशिक्षित मानव संसाधनो के माध्यम से प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ करना तथा सामुदायिक सहभागिता गतिविधियों का संचालन आदि सम्मिलित है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार, सभी राज्यों को 02 अक्टूबर 2022 तक डीडब्ल्यूक्यूसी की स्थापना करनी थी। यद्यपि इसके गठन हेतु जुलाई 2022 में प्रस्ताव मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) द्वारा मिशन निदेशक (जेजेएम) को तैयार कर प्रस्तुत किया गया था, तथापि अगस्त 2025 तक डीडब्लूक्यूसी की स्थापना नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया (अगस्त एवं नवंबर 2025), परंतु तीन वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी डीडब्ल्यूक्यूसी की स्थापना नहीं किए जाने के संबंध में कोई कारण नहीं बताया।

6.4.2 मुख्य रसायनज्ञ को डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ का स्वतंत्र प्रभारी नहीं बनाया जाना

डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के क्लॉज 5.1.2.2 के अनुपालना में, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं को स्वायत्तता प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया था, जिससे जल गुणवत्ता आंकलन में विश्वास, पारदर्शिता एवं जवाबदेही विकसित की जा सके।

मुख्य रसायनज्ञ को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया जाना था, जो सभी स्तरों पर प्रयोगशालाओं के संचालन, जल गुणवत्ता परीक्षण, निगरानी एवं पर्यवेक्षण की निगरानी के लिए उत्तरदायी थे। महत्वपूर्ण रूप से, जल गुणवत्ता से संबंधित सभी विषयों पर मुख्य रसायनज्ञ को ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए उत्तरदायी विभागीय सचिव को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट करना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने यह पाया कि मुख्य रसायनज्ञ को डब्ल्यूक्यूएमएंडएस का स्वतंत्र प्रभार प्रदान नहीं किया गया। परिणामस्वरूप, वे जल गुणवत्ता से सम्बंधित विषयों पर शासन सचिव, पीएचईडी को प्रत्यक्ष रूप से रिपोर्ट नहीं कर रहे थे, जो की निर्धारित रूपरेखा के विपरीत था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि प्रशासनिक विसंगतियों की संभावना को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने मुख्य रसायनज्ञ को स्वतंत्र दर्जा प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ को अक्टूबर 2021 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जेजेएम के अंतर्गत डब्ल्यूक्यूएमएंडएस गतिविधियों के विनियमन हेतु अधिसूचित किया गया था, जिसका उद्देश्य आम जन जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना एवं विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के जीवन की सुगमता को बढ़ाना था। मुख्य रसायनज्ञ की भूमिका एक स्वतंत्र कार्यकारी के रूप में इस प्रकार परिकल्पित की गयी थी कि जल गुणवत्ता प्रबंधन में विश्वास, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को प्रोत्साहित किया जा सके एवं वे विशेष रूप से जल गुणवत्ता निगरानी पर ध्यान केंद्रित कर सकें। अतः उन्हें स्वतंत्र दर्जा ना दिया जाना, भारत सरकार द्वारा जारी डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के उद्देश्यों एवं मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप नहीं था।

6.5 जल गुणवत्ता के लिए स्त्रोतों के परीक्षण में कमी

डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के क्लॉज 3.3 के अनुसार, विभाग द्वारा सभी जल स्त्रोतों के जीवाणुजनित संबंधी विश्लेषण हेतु वर्ष में दो बार (मानसून से पूर्व एवं पश्चात) और रासायनिक विश्लेषण हेतु वर्ष में एक बार परीक्षण किया जाना अनिवार्य था। विभाग द्वारा किए गए जल स्त्रोतों के परीक्षण का विवरण निम्नानुसार हैः

तालिका 6.3: राजस्थान में किए गए जल स्रोतों का गुणवत्ता परीक्षण

वर्ष	कुल जल स्रोतों की संख्या			किए जाने हेतु आवश्यक परीक्षणों की संख्या			वास्तविक रूप में किए गए परीक्षणों की संख्या			कमी (प्रतिशत)
	पाइप द्वारा जल आपूर्ति	पाइप के बिना जल आपूर्ति	कुल	रासायनिक (वर्ष में एक बार)	जीवाणुजनित संबंधी (वर्ष में दो बार)	कुल	रासायनिक	जीवाणुजनित संबंधी	कुल	
2022-23	50,211	87	50,298	50,298	1,00,596	1,50,894	8,413	5,879	14,292	136602 (90.53)
2023-24	53,653	3650	57,303	57,303	1,14,606	1,71,909	37,191	50,341	87,532	84377 (49.00)
कुल	**1,03,864**	**3737**	**1,07,601**	**1,07,601**	**2,15,202**	**3,22,803**	**45,604**	**56,220**	**1,01,824**	**220979 (68.45)**

स्रोतः मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम एवं ग्रामीण) द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त **तालिका 6.3** से स्पष्ट है कि वर्ष 2022-24 के दौरान जल स्रोतों की जाँच में 68.45 प्रतिशत की कमी रही। वर्ष 2019-22 से संबंधित सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2021-22 के दौरान विभाग द्वारा 20,619 नलकूपों से ग्रामीण परिवारों को पेयजल की आपूर्ति की गई, तथापि उस वर्ष विभाग द्वारा जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में, कुल 20,640 नलकूपों में से क्रमशः मात्र 1,869 (9.06 प्रतिशत) तथा 9,409 नलकूपों (45.58 प्रतिशत) का ही जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया।

जीवाणुजनित संबंधी परीक्षण, जिन्हें सभी जल स्रोतों के लिए वर्ष में दो बार किया जाना अनिवार्य है, की आवृति अत्यंत कम पाई गयी, जिससे पेयजल आपूर्ति में अज्ञात सूक्ष्मजीवों से सम्बंधित प्रदुषण के जोखिम में वृद्धि हुई।

वर्ष 2019-22 के लिए परीक्षण संबंधी आंकड़ों की अनुपलब्धता के कारण अनुपालन प्रवृत्तियों के आंकलन में और अधिक बाधा उत्पन्न हुई एवं यह जेजेएम के अंतर्गत अभिलेख संधारण एवं निगरानी प्रणालियों में कमजोरियों को दर्शाता है।

राज्य सरकार द्वारा अवगत करवाया गया (नवंबर 2025) कि डीडबल्यूक्यूएमएंडएसएफ ढांचे के अनुसार, प्रत्येक जिला-स्तरीय प्रयोगशाला द्वारा प्रति जिला प्रतिवर्ष 3,000 जल स्रोतों/नमूनों की जाँच किया जाना आवश्यक है (अर्थात राज्य स्तर पर कुल 99,000 नमूने), एवं विभाग द्वारा वर्ष 2019-24 के दौरान इस लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। इसके अतिरिक्त, ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु निविदा दस्तावेज तैयार किए जाने की प्रक्रिया प्रगतिरत हैं।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि लेखापरीक्षा तर्क डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार सभी जल स्रोतों के लिए अनिवार्य वार्षिक जीवाणुजनित एवं रासायनिक विश्लेषण से संबंधित है, न कि जिला-स्तरीय प्रयोगशालाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से। सभी 33

जिला-स्तरीय प्रयोगशालाओं के लिए 99,000 नमूनों का लक्ष्य, डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन हेतु अपर्याप्त है।

6.5.1 प्रदूषित नमूनों के संबंध में सुधारात्मक उपायों के क्रियान्वयन का अभाव

डब्लूडीक्यूएमएंडएसएफ के क्लॉज 3.2 के अनुसार, यदि जल गुणवत्ता के मापदंड निर्धारित सीमाओं से बाहर पाए जाते हैं, तो सुधारात्मक उपाय किए जाना अनिवार्य है। वर्ष 2021-24 के दौरान प्रयोगशालाओं में रासायनिक एवं जीवाणुजनित प्रदूषण के लिए परिक्षण किये गए नमूनों तथा उनके विरुद्ध अपनाए गए सुधारात्मक उपायों का विवरण नीचे **तालिका 6.4** में दिया गया है:

तालिका 6.4: दूषित पाए गए जल नमूने एवं सुधारात्मक उपाय

वर्ष	प्रयोगशालाओं में परीक्षण किए गए नमूनों की संख्या		दूषित पाए गए नमूनों की संख्या		किए गए सुधारात्मक उपाय	
	रासायनिक	जीवाणुजनित संबंधी	रासायनिक	जीवाणुजनित संबंधी	रासायनिक	जीवाणुजनित संबंधी
2021-22	1,10,574	64,285	33,486	89	354	0
2022-23	1,38,723	1,02,226	38,405	203	26,391	137
2023-24	1,91,341	1,72,292	34,222	180	26,989	162
कुल	**4,40,638**	**3,38,803**	**1,06,113**	**472**	**53,734**	**299**

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना।

उपरोक्त **तालिका 6.4** से स्पष्ट है कि वर्ष 2021-24 की अवधि के दौरान कुल 1,06,113 रासायनिक एवं 472 जीवाणुजनित प्रदूषण के मामले पाए गए। तथापि, इनके विरुद्ध मात्र 53,734 रासायनिक (50.64 प्रतिशत) तथा 299 जीवाणुजनित (63.35 प्रतिशत) नमूनों में ही सुधारात्मक उपाय किए गए। यह प्रदूषण से संबंधित मामलों पर विभागीय प्रतिक्रिया में एक गंभीर कमी को दर्शाता है।

परिणामस्वरूप, जल नमूनों के संग्रहण एवं परीक्षण पर किए गए पर्याप्त संसाधनों का उपयोग अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई के कारण प्रभावहीन हो गया। साथ ही, ग्रामीण जनसंख्या को सुरक्षित एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का उद्देश्य भी प्राप्त नहीं हो सका, जिसके कारण जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा रासायनिक और जीवाणुजनित प्रदूषकों के संपर्क में रहा।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (नवंबर 2025) कि प्रदूषित नमूनों के लिए सुधारात्मक कार्यवाही एक नियमित प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग, टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति एवं सामान्य आपूर्ति बहाल होने तक क्लोरीनीकरण जैसे उपाय किए जाते हैं। यह भी उल्लेख किया गया कि ग्राम-वार प्रदूषित नमूनों के संदर्भ में विभाग द्वारा 100 प्रतिशत सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्वयं विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार सुधारात्मक कार्यवाही मात्र 50.64 प्रतिशत रासायनिक एवं 63.35 प्रतिशत जीवाणुजनित मामलों में ही की गई। जल गुणवत्ता परीक्षण का उद्देश्य जल में प्रदूषण की पहचान कर उसके अनुरूप

सुधारात्मक कार्रवाई करना है। उपयुक्त सुधारात्मक उपायों के अभाव में संपूर्ण जल परीक्षण प्रक्रिया अर्थहीन एवं निष्प्रभावी हो जाती है।

6.5.2 फील्ड टेस्टिंग किट (एफटीके) के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण मानकों के अनुसार नहीं किया जाना

डीडब्ल्यूक्यूएमएंडएसएफ के क्लॉज 6.3.6 के अनुसार, ग्राम पंचायतों/ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को अपने क्षेत्राधिकार में स्थित सभी पेयजल स्रोतों, जिसमें निजी जल स्रोत के साथ विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों की जल आपूर्ति भी सम्मिलित है, का प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार एफटीके के माध्यम से शत-प्रतिशत परीक्षण सुनिश्चित करना था। परीक्षण परिणामों को नियमित रूप से जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्लूक्यूएमआईएस) पोर्टल पर अपलोड किया जाना अपेक्षित था।

यह पाया गया कि विभाग के द्वारा एएपी 2020-21 में 28,15,000 एफटीके क्रय किये जाने की योजना बनाई गयी थी, तथापि, इसके विपरीत मात्र एक बार 11,34,260 जीवाणुजनित सम्बन्धी एफटीके (अक्टूबर 2021) तथा 12,029 रासायनिक एफटीके (जुलाई 2021) क्रय किये गये। वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान किसी भी ग्राम में एफटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण नहीं किया गया। वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 में क्रमशः 2,680, 7,668 एवं 34,361 ग्रामो में ही एफटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया जबकि राज्य में कुल ग्रामो की संख्या 42,327 थी।

यह स्थिति एफटीके के माध्यम से जल गुणवत्ता परीक्षण के सम्बन्ध में विभाग की अत्यंत शिथिल एवं असंतोषजनक प्रगति को दर्शाती है, जिससे जल गुणवत्ता निगरानी के विकेंद्रीकृत ढांचे के उद्देश्य को क्षति पहुँचती है एवं स्थानीय संस्थाओं की जमीनी स्तर पर सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने की क्षमता भी प्रभावित हुई है।

राज्य सरकार द्वारा तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि एफटीके के माध्यम से परीक्षण को सुदृढ़ करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। तथापि, लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, एफटीके के क्रय एवं जल गुणवत्ता परीक्षण में उनके कम उपयोग के संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

6.6 ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं (बीएलएल) की स्थापना नहीं किया जाना

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज 10.1(i) के अनुसार, अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी जल स्रोतों के शत-प्रतिशत परीक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बीएलएल की स्थापना किया जाना अनिवार्य था। इसके अंतर्गत रासायनिक मानकों के लिए वर्ष में एक बार एवं जीवाणु जनित संबंधी मानकों के लिए वर्ष में दो बार (मानसून पूर्व एवं पश्चात) परीक्षण किया जाना था। प्रत्येक बीएलएल को अपने ब्लॉक में स्थित सभी जल स्रोतों से प्राप्त जल के, कम से कम 13 मूलभूत जल गुणवत्ता मानकों के परीक्षण किया जाना आवश्यक था। सकारात्मक पाए गए नमूनों को तत्काल जिला-स्तरीय प्रयोगशाला को भिजवाया जाना आवश्यक था।

वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में कुल 165 ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित किए गए थे। परन्तु इन ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं की अनुबंध अवधि 31

मार्च 2016 को समाप्त हो गई जिसके पश्चात राज्य में कोई भी नई ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला स्थापित नहीं की गयी। इसके उपरांत, 19वीं एसएलएसएससी की बैठक (दिसंबर 2019) में वार्षिक कार्य-योजना (एएपी) 2019-20 के अंतर्गत निम्नलिखित स्वीकृतियाँ प्रदान की गईः

- मौजूदा 165 ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन के हेतु ₹ 14.85 करोड़, एवं
- तीन वर्षों की अवधि के लिए 178 नई ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं के संचालन हेतु ₹ 24.03 करोड़।

पुनः मई 2021 में एएपी 2020-21 के अंतर्गत 102 नई ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं दो वर्षों तक प्रतिवर्ष 3,06,000 जल गुणवत्ता परीक्षणों के संचालन हेतु ₹ 46.09 करोड़ का प्रावधान किया गया।

तथापि, जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल पर उपलब्ध मासिक वित्तीय प्रतिवेदनों की समीक्षा में यह तथ्य सामने आया कि वर्ष 2021-24 के दौरान ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं के उन्नयन पर मात्र ₹ 2.94 करोड़ ही व्यय किये गए, जबकि जुलाई 2024 तक एक भी ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला कार्यशील नहीं की जा सकी।

कार्यशील ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला के अभाव में, ब्लॉक स्तर पर विकेंद्रीकृत जल गुणवत्ता परीक्षण का मूल उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सका। साथ ही, उन्नयन पर किया गया व्यय भी निष्फल रहा, जिससे सार्वजनिक धन का निवेश अप्रभावी एवं अलाभकारी रहा।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (नवंबर 2025) कि विभाग वर्तमान में ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाओं को क्रियाशील बनाने हेतु बहु-मापदंड परीक्षण उपकरणों की क्रय प्रक्रिया निष्पादित कर रहा है। यह भी अवगत करवाया गया कि वर्तमान में 149 भवनों में ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला के उन्नयन का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं शेष में कार्य प्रगति पर है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जेजेएम के प्रारंभ से ही विभाग द्वारा एएपी 2020-21, 2021-22 एवं 2023-24 के अंतर्गत क्रमशः 352, 102 एवं 250 ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाएं स्थापित किये जाने की योजना बनाई गयी थी, परन्तु नवंबर 2025 तक एक भी ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशाला कार्यशील नहीं बनाई जा सकी।

6.7 'स्वच्छ जल से सुरक्षा' अभियान के उद्देश्यों की प्राप्ति का अभाव

पेयजल की सुरक्षा एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 'स्वच्छ जल से सुरक्षा' नामक विशेष अभियान प्रारंभ किया, जिसका क्रियान्वयन 02 अक्टूबर 2022 से 26 जनवरी 2023 तक किया गया।

इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार ने (सितंबर 2022) सभी राज्य सरकारों को निर्देशित किया कि वे सभी संबंधित हितधारकों से समन्वय स्थापित कर अभियान की समुचित योजना बनाएं एवं उसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य अनिवार्य रूप से किये जाने थेः

- सभी ग्रामों में मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के माध्यम से समस्त पेयजल स्रोतों की रासायनिक एवं जीवाणुजनित प्रदूषकों का परीक्षण।
- समस्त विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में एफटीके एवं एच$_2$एस शीशियों के माध्यम से क्षेत्रीय परीक्षण।
- दूषित जल स्रोतों को 'पेय हेतु अनुपयुक्त' के रूप में चिन्हित करना।
- समस्त जल स्रोतों का जेजेएम-आईएमआईएस पोर्टल पर भौगोलिक-अंकन करना।
- प्रत्येक ग्राम में न्यूनतम तीन घरेलू नमूनों की जाँच करना।

तथापि, मुख्य रसायनज्ञ (जेजेएम) द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच से यह स्पष्ट हुआ कि जुलाई 2024 तक अभियान के क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ परिलक्षित हुईं, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

- कुल 60,282 जल स्रोतों[4] में से मात्र 9,401 (15.60 प्रतिशत) स्रोतों की रासायनिक मापदंडों पर एवं 6,562 (10.89 प्रतिशत) स्रोतों की जीवाणुजनित मापदंडों पर जाँच की गई।
- कुल 43,249 ग्रामों में से मात्र 25,595 ग्रामों (59.18 प्रतिशत) में रासायनिक मापदंडों पर एवं 20,268 ग्रामों (46.86 प्रतिशत) में जीवाणुजनित मापदंडों पर जल गुणवत्ता परीक्षण किया गया, जबकि घरेलू स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण मात्र 1,314 ग्रामों (3.04 प्रतिशत) में ही किया गया।
- कुल 51,593 विद्यालयों में से मात्र 5,252 विद्यालयों (10.18 प्रतिशत) को ही जल गुणवत्ता पहल के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।
- कुल 41,680 आंगनवाड़ी केंद्रों में से मात्र 3,776 केंद्रों (9.06 प्रतिशत) में ही जल गुणवत्ता परिक्षण किया गया।
- अभियान के दौरान 40,757 नमूने दूषित पाए गए, परंतु इनमें से मात्र 7,905 नमूनों (19.40 प्रतिशत) के संबंध में ही सुधारात्मक कार्रवाई की गई। परिणामस्वरूप, 32,852 नमूनों के संग्रहण एवं परीक्षण पर किए गए सभी प्रयास अनुवर्ती कार्यवाही के अभाव में निष्प्रभावी सिद्ध हुए।

उपलब्ध आंकड़े यह दर्शाते है कि 'स्वच्छ जल से सुरक्षा' अभियान के अंतर्गत समावेशन, क्रियान्वयन एवं प्रतिक्रिया में गंभीर कमियां विद्यमान रही, जिसके फलस्वरूप समस्त नागरिकों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के अभियान के अभिप्रेत उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

राज्य सरकार द्वारा अवगत कराया गया (नवंबर 2025) कि विभाग द्वारा 'स्वच्छ जल से सुरक्षा' अभियान के अंतर्गत एफटीके के माध्यम से ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जाँच की जा रही है। साथ

[4] इसमें स्कूल, आंगनवाड़ी, गांवों के घर सम्मिलित हैं।

ही, क्रियान्वयन सहायता एजेंसियों द्वारा भी सहयोगात्मक गतिविधियों के रूप में जल स्रोतों की जाँच की जा रही है। तथापि, यह उत्तर तथ्यात्मक रूप से असंगत है, क्योंकि अभियान के निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति में गंभीर कमियां रही है।

6.8 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय से यह स्पष्ट है कि डब्लूक्यूएमएंडएस गतिविधियों हेतु उपलब्ध निधियों का अत्यंत न्यून उपयोग किया गया, जो कमजोर वित्तीय प्रबंधन को परिलक्षित करता है। राज्य की बड़ी संख्या में बस्तियाँ वर्तमान में भी जल गुणवत्ता से प्रभावित हैं, जिसका प्रमुख कारण लवणता एवं नाइट्रेट प्रदूषण है। इसके अतिरिक्त, प्रयोगशाला अवसंरचना अपर्याप्त थी, जिसके कारण राज्य एवं जिला स्तरीय प्रयोगशालाएँ यूडीडब्लूक्यूएमपी के अंतर्गत निर्धारित समस्त मानकों का परीक्षण करने में सक्षम नहीं रहीं। कर्मचारियों की कमी एवं सूक्ष्मजीवविज्ञानी/जीवाणुविज्ञानी के अभाव ने परीक्षण क्षमता को और अधिक कमजोर कर दिया। ब्लॉक-स्तरीय प्रयोगशालाएं क्रियाशील नहीं की जा सकीं एवं एफटीके के माध्यम से परीक्षण अत्यंत सीमित रहा। इसी प्रकार, चिन्हित प्रदूषित नमूनों में से लगभग आधे मामलों में सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। डीडब्ल्यूक्यूसी का गठन ना होना एवं मुख्य रसायनज्ञ को स्वतंत्र प्रभार न दिया जाना, जवाबदेही व्यवस्था को कमजोर करता है। 'स्वच्छ जल से सुरक्षा' जैसे प्रमुख अभियानों का क्रियान्वयन मात्र आंशिक रूप किया गया, जिसमें ग्रामों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों का समावेशन अत्यंत न्यून रहा। समग्र रूप से, इन कमियों ने न केवल राज्य की सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने की क्षमता को बाधित किया, बल्कि ग्रामीण जनसंख्या को गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों के प्रति भी संवेदनशील बना दिया।

6.9 सिफारिशें

- ***राज्य सरकार पेयजल गुणवत्ता आयुक्तालय की स्थापना कर, मुख्य रसायनज्ञ को स्वतंत्र दायित्व प्रदान कर एवं सूक्ष्मजीव विज्ञानी, रसायनज्ञ तथा सहायक कर्मचारियों की पर्याप्त भर्ती सुनिश्चित कर संस्थागत तंत्र को सुदृढ एवं प्रभावी बना सकती है।***

- ***राज्य सरकार, बीएलएल की स्थापना को प्राथमिकता देकर, फील्ड टेस्ट किट्स के क्रय एवं परिनियोजन तथा प्रदूषित जल स्रोतों के लिए सुधारात्मक उपायों का क्रियान्वयन कर, डब्ल्यूक्यूएमएंडएस निधि का त्वरित उपयोग कर सकती है।***

- ***राज्य सरकार विशेष अभियानों के अंतर्गत स्पष्ट समय सीमा एवं जवाबदेही के साथ कुशल योजना बना सकती है, जिससे जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए ग्रामों, विद्यालयों एवं आंगनवाड़ियों का शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित हो सके, साथ ही उचित भौगोलिक अंकन एवं अनुवर्ती सुधारात्मक उपाय भी किये जा सकें।***

अध्याय-7

कार्यों का उपापन एवं निष्पादन

अध्याय–7

कार्यों का उपापन एवं निष्पादन

इस अध्याय में जेजेएम के अंतर्गत उपापन और कार्य निष्पादन पर चर्चा की गई है, जिसमें निविदा प्रक्रिया एवं वित्तीय प्रबंधन का मूल्यांकन सम्मिलित है।

7.1 निविदाएं निरस्त करने के लगातार अविवेकपूर्ण निर्णय

7.1.1 न्यायोचित लागत निर्धारण के पहलू की उपेक्षा

वित्त विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत कार्यों की निविदाओं में बोलीदाता के प्रस्ताव को स्वीकृति देने हेतु, आधार दर अनुसूची (बीएसआर) 2021 के आधार पर, टेंडर प्रीमियम (टीपी) पर अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत अधिक की सीमा निर्धारित की गई थी। विभाग ने राशि ₹ 9,810.20 करोड़ की 15 परियोजनाओं को स्वीकृत किया। पीएचईडी के राजस्थान जल आपूर्ति और सीवरेज प्रबंधन बोर्ड (आरडब्ल्यूएसएसएमबी) की वित्त समिति (एफसी) द्वारा दो बार इन परियोजनाओं की निविदाओं को स्थगित किया गया था। मीडिया द्वारा 10 परियोजनाओं में निविदाओं के अन्तिमीकरण में विलंब पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा ने 'परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना' का विस्तृत विश्लेषण किया गया, जो उपरोक्त 15 परियोजनाओं में से एक थी। इस परियोजना को जेजेएम के तहत बारां, झालावाड़ तथा कोटा जिलों के 1,402 गांवों[1] में 1,52,437 एफएचटीसी[2] प्रदान करने के लिए बनाया गया था। बारां जिले को जेजेएम के तहत उच्चतम प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक आकांक्षी जिला के रूप में मान्यता दी गई थी। बारां जिले के 907 गांव, जिनमें 23,361 आदिवासी ग्रामीण परिवारों की 303 पीवीटीजी बस्तियाँ सम्मिलित हैं, को इस परियोजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया जाना था। एसएलएसएससी ने सितंबर 2021 में परियोजना के लिए राशि ₹ 3,523.16 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की। उक्त परियोजना को छः (I से VI) कार्यात्मक पैकेजों में विभाजित किया गया था।

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि विभाग ने पीएचईडी की जुलाई 2021 में जारी बीएसआर 2021 के आधार पर परियोजना के पैकेज- II, III और IV की अनुमानित लागत तैयार की। इसके पश्चात, तकनीकी स्वीकृतियाँ जारी की गईं (अगस्त 2022-मई 2023), तथा निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 2022)। संबंधित पैकेजों के लिए निविदा में प्राप्त सबसे कम दरें (एल-1) अनुमानित लागत से 37.03 से 37.20 प्रतिशत अधिक टेंडर प्रीमियम (टीपी) पर प्राप्त हुईं। विभाग ने इन निविदा बोलियों को, राज्य निधि के माध्यम से राज्य अंश के अनुपात में अतिरिक्त देयता वहन करने के लिए, वित्त विभाग की सहमति के अधीन, अनुमोदित किया (दिसंबर 2022)।

---

[1] बारां जिले के 907 गाँव, झालावाड़ के 311 गाँव तथा कोटा के 184 गाँव।

[2] बारांः 98,873 एफएचटीसी, झालावाड़ः 29,811 एफएचटीसी तथा कोटाः 23,753 एफएचटीसी।

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियमावली 2013 के नियम 65 में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान है कि स्वीकृति के लिए अनुशंसित प्रस्ताव, क्रय की जाने वाली सामग्री, कार्यों एवं सेवाओं की प्रचलित बाजार दरों को दृष्टिगत रखते हुए, न्यायोचित हों। चूंकि बीएसआर 2021 जारी होने के 13 महीने की पर्याप्त अवधि के बाद निविदाएं आमंत्रित की गई थीं एवं इसलिए, इस बीएसआर पर आधारित अनुमानों में निहित दरें, बोलीदाताओं द्वारा प्रचलित बाजार दरों के अनुसार उद्धृत दरों से बहुत कम हो सकती थी, अतः आरटीपीपी नियमावली 2013 के नियम 65 के अनुसार, प्राप्त दरों का प्रचलित बाजार दरों के संदर्भ में मूल्यांकन करना अनिवार्य था। वित्त विभाग ने भी प्राप्त सबसे कम दरों के संबंध में दर विश्लेषण एवं दर औचित्यकरण करने का निर्देश दिया था (जनवरी 2023)।

लेखापरीक्षा ने यह पाया कि विभाग ने प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए कार्यों की न्यायोचित लागत का आंकलन किया एवं संबंधित पैकेजों में प्राप्त निम्नतम बोलियों को उचित पाया, क्योंकि ये कार्यों की आंकलित न्यायोचित लागत से 0.01 से 0.02 प्रतिशत तक कम थी।

विभाग ने, तथापि, कार्यों की न्यायोचित लागत के पहलू को अनदेखा कर दिया एवं उक्त उपापन प्रक्रिया को निरस्त कर दिया (मार्च 2023)। विभाग द्वारा लिया गया निर्णय, संदर्भित नियम तथा वित्त विभाग के निर्देशों के विपरीत था।

बाद में, मई 2022 में पीएचईडी द्वारा एक नया बीएसआर (बीएसआर 2022) जारी किया गया। इसलिए, संशोधित चार कार्यात्मक पैकेजों के लिए निविदाएं पुनः आमंत्रित करने से पहले, विभाग को इस बीएसआर के आधार पर पैकेजों के अनुमान तैयार करने एवं तदनुसार संबंधित तकनीकी स्वीकृतियों को संशोधित करने की आवश्यकता थी, परंतु आश्चर्यजनक रूप से, निविदाएं बीएसआर 2021 पर आधारित अनुमानों के अनुसार ही पुनः आमंत्रित की गई (मई 2023)। इस बार भी निम्नतम बोलीदाताओं के टीपी, बीएसआर 2021 पर आधारित संबंधित अनुमानों से 23.73 से 28.07 प्रतिशत अधिक थे। प्राप्त सबसे कम दर के प्रस्ताव, जो बीएसआर 2023 के अनुसार आंकलित कार्य की न्यायोचित लागत से केवल 4.21 से 5.30 प्रतिशत अधिक थे, को अनुमोदित करना तथा उसके साथ आगे बढना आवश्यक था, लेकिन विभाग ने, एक बार फिर, न्यायोचित लागत निर्धारण की अनदेखी करते हुए, उपापन प्रक्रिया को जनवरी 2024 में निरस्त कर दिया।

इसके बाद, अप्रैल 2023 में पीएचईडी की नई बीएसआर (बीएसआर 2023) जारी की गयी। विभाग ने भागीदारी बढ़ाने के लिए परियोजना को पांच पैकेजों में विभाजित किया एवं तीसरी बार निविदाएं फिर से आमंत्रित कीं (मार्च 2024), लेकिन इस बार भी अनुमान/टीएस को पीएचईडी की नवीनतम बीएसआर (बीएसआर 2023) के आधार पर संशोधित नहीं किया गया। बोलीदाताओं को गैर-प्रतिक्रियाशील घोषित किए जाने, बोलीदाताओं द्वारा बोली वैधता अवधि का विस्तार न किए जाने तथा बोलीदाताओं द्वारा अदालत में चले जाने जैसे कारणों से निविदाओं को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

इस प्रकार, न्यायोचित लागत निर्धारण के पहलू की अनदेखी करने के परिणामस्वरूप निविदाएं निरस्त हो गई एवं कार्य आवंटित नहीं हो सके (सितंबर 2024 तक), जिससे बारां, झालावाड़

और कोटा जिलों के 1,402 गांवों के 1,52,437 ग्रामीण परिवारों को तीन वर्ष से अधिक समय तक जेजेएम के अन्तर्गत अभिप्रेत लाभों से वंचित रहना पड़ा।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व में संदर्भित 14 अन्य परियोजनाओं की अनुमानित लागत विभाग द्वारा बीएसआर 2021 के आधार पर निर्धारित की गई थी, तथा इन सभी परियोजनाओं की निविदाएं भी एल-1 बोलीदाताओं की टीपी वित्त विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मानते हुए निरस्त कर दी गई। अतः शेष 14 परियोजनाओं में भी निविदाओं के निरस्तीकरण के गलत निर्णय की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि वर्तमान में चार पैकेजों (पैकेज- I, II, IV और V) के लिए दर बोली, एफसी द्वारा अनुमोदित कर दी गई है, और इन पैकेजों के लिए कार्य आदेश जारी करने की अनुमति हेतु एजेंडा वित्त विभाग को प्रस्तुत किए गए हैं। वर्तमान निविदा में निम्नतम बोलीदाता के टीपी, बीएसआर 2021 पर आधारित संबंधित अनुमानों से 9.76 प्रतिशत से 14.88 प्रतिशत अधिक रहे, जो पिछली निविदाओं के निम्नतम बोलीदाताओं के टीपी से अत्यधिक कम थे (37.03 प्रतिशत से 37.21 प्रतिशत तथा 23.73 प्रतिशत से 28.07 प्रतिशत) तथा ये अधिक किफायती और विवेकपूर्ण प्रकृति के हैं, जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को अधिक लाभ प्राप्त होगा।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं न्यायोचित लागत का आंकलन किया था, तथा समझौता-वार्ता में प्रस्ताव, प्रचलित बाजार दरों के आधार पर स्वयं वित्त विभाग द्वारा आंकलित न्यायोचित लागत से कम ही प्राप्त हुआ था। आगे, विभाग का यह तर्क कि प्राप्त नवीन दर बोलियाँ अधिक किफायती एवं विवेकपूर्ण प्रकृति की हैं, संशोधित तकनीकी स्वीकृति की अनुपलब्धता में नहीं जांचा जा सकता है। तथ्य यह रहता है कि परवन अकावड़ जल आपूर्ति परियोजना के लिए कार्य आदेश, जो जिला झालावाड़, कोटा एवं पीवीटीजी गांवों वाले आकांक्षी जिला बारां के 1,402 गांवों को एफएचटीसी उपलब्ध कराने के लिए अभिप्रेत थे, प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के चार वर्ष व्यतीत हो जाने के बावजूद अभी भी प्रक्रियाधीन हैं।

7.1.2 निर्धारित अवधि के बाद भी बिना किसी औचित्य के निविदाओं का अन्तिमीकरण न होना

आरटीपीपी नियमावली, 2013 के नियम 40 (2) यह प्रावधित करता है कि उपापन प्रक्रिया में आमंत्रित बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का निर्णय वित्तीय बोलियां खोलने की तारीख से 40 दिनों एवं 50 दिनों के भीतर लिया जाना चाहिए, जहाँ बोली क्रमशः अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता एवं मुख्य अभियन्ता की वित्तीय शक्तियों के दायरे में आती हो। यदि संबंधित अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय के भीतर निर्णय नहीं लिया जाता है, तो निविदाओं को निर्णय के लिए, औचित्यता के साथ अगले उच्चतर प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। आगे, पीएचईडी की शक्ति अनुसूची (मार्च 2017) के अनुसार, अधीक्षण अभियन्ता एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्रमशः ₹ 120 लाख और ₹ 250 लाख तक की निविदाओं को स्वीकार करने के लिए सक्षम थे।

अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, खण्ड बारां के अभिलेखों की जांच से पता चला कि एफएचटीसी प्रदान करने के लिए 'आरडब्ल्यूएसएस भोयल तहसील शाहबाद का संवर्धन' कार्य हेतु, एक साल

की दोष देयता अवधि सहित, ₹ 123.08 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी (मार्च 2021)।

- अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त बारां द्वारा ₹ 114.64 लाख (बीएसआर 2020 पर आधारित) लागत की निविदाएं आमंत्रित की गईं (अगस्त 2022)। विभाग ने एल-1 बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की, जिसमें ₹ 145.41 लाख (अनुमानित लागत से 26.84 प्रतिशत अधिक टीपी) का प्रस्ताव एल-1 बोलीदाता को दिया गया (07 अक्टूबर 2022), लेकिन एल-1 बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया।

  इसके उपरांत, वही प्रस्ताव एल-2 बोलीदाता को दिया गया (12 अक्टूबर 2022), जिसने प्रस्तावित दर पर कार्य करने के लिए (13 अक्टूबर 2022) सहमति दे दी। इसके बावजूद, विभाग ने बिना किसी कारण के एल-2 बोलीदाता को कार्य आदेश जारी नहीं किया एवं 21 नवंबर 2022 को एल-2 बोलीदाता से बोली वैधता अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया, क्योंकि यह 23 नवंबर 2022 को समाप्त होने वाली थी। एल-2 बोलीदाता ने बोली वैधता अवधि को 31 दिसंबर 2022 तक बढ़ा दिया। तथापि, विभाग ने फिर से बिना किसी औचित्य के उसे कार्य आदेश जारी नहीं किया एवं विस्तारित बोली वैधता अवधि (31 दिसंबर 2022) के समाप्त होने से पहले (28 दिसंबर 2022) फिर से उससे बोली वैधता अवधि को 28 फरवरी 2023 तक बढ़ाने का अनुरोध किया। अंततः, इस बढ़ाई गई बोली वैधता अवधि में भी संवेदक को कार्य आदेश जारी नहीं किया गया।

- तत्पश्चात, मई 2022 में बीएसआर 2022 जारी की गई। बीएसआर 2022 के आधार पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित करने के स्थान पर, विभाग ने में बीएसआर 2020 के आधार पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित किया (अप्रैल 2023), जिसकी लागत ₹ 114.64 लाख थी। विभाग ने एल-1 बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की (अगस्त 2023), जिसमें उसने एल-1 बोलीदाता को राशि ₹ 134.06 लाख का प्रस्ताव दिया, लेकिन उसने मूल्य ₹ 140.42 लाख (अनुमानित लागत से 22.49 प्रतिशत अधिक) पर रखा। इसलिए, विभाग ने एल-2 बोलीदाता को वही मूल्य प्रस्तावित किया (29 अगस्त 2023), जिस पर वह 31 अगस्त 2023 को सहमत हो गया। हालांकि, विभाग ने, पिछली निविदाओं के प्रवृत्ति को अपनाते हुए, उसे कार्य आदेश जारी नहीं किया। इसके पश्चात्, विभाग एल-2 बोलीदाता से बार-बार बोली वैधता अवधि का विस्तार कराता रहा, लेकिन उसे कार्य आदेश जारी करने से बचता रहा। अंततः, एल-2 बोलीदाता ने, पाइप की लागत में वृद्धि का हवाला देते हुए, 29 जनवरी 2024 को बोली वैधता अवधि बढ़ाने के विभाग के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया।

- तीसरी बार, विभाग ने बीएसआर 2023 के अनुसार अनुमान में संशोधन किए बिना, ₹ 114.64 लाख की लागत (बीएसआर 2020 पर आधारित) पर निविदाओं को फिर से आमंत्रित किया (जून 2024)। इस बार, केवल एक बोलीदाता योग्य पाया गया। विभाग ने (जुलाई 2024) बोलीदाता के साथ समझौता-वार्ता की, जिसमें उसने अपना मूल्य ₹ 139.51 लाख तक कम कर दिया। यह राशि विभाग द्वारा आंकलित न्यायोचित

लागत से 0.39 प्रतिशत कम थी, तथा समिति ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी से बोली को अनुमोदित करने की सिफारिश की (जुलाई 2024)।

तीसरी बार भी, समझौता-वार्ता से प्राप्त दरें न्यायोचित दरों से 0.39 प्रतिशत कम आई एवं अधीक्षण अभियन्ता, पीएचईडी, वृत्त-बारां ने अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पीएचईडी, क्षेत्र-कोटा से बोली को अनुमोदित करने की सिफारिश की (जुलाई 2024); तथापि, विभाग ने कार्य आदेश जारी करने (जून 2025) में एक वर्ष का समय लिया, वो भी लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाए जाने के बाद। आगे, कार्य आदेश की ₹ 139.52 लाख की राशि, अप्रैल 2023 की एनआईटी (दूसरी बार) के अन्तर्गत स्वीकृत ₹ 134.06 लाख के प्रति-प्रस्ताव से अधिक थी। इस प्रकार, बोली के अन्तिमीकरण के सम्बन्ध में समय पर कार्रवाई न करने के कारण, न केवल आदिवासी ब्लॉक शाहाबाद के गाँव भोयल के लिए महत्वपूर्ण पीडब्ल्यूएस योजना प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी से चार वर्ष से अधिक समय तक विलंबित रही, बल्कि राज्य सरकार को ₹ 5.46 लाख की अतिरिक्त राशि का बोझ भी उठाना पड़ा।

इस प्रकार, संवेदकों द्वारा विभाग का प्रति-प्रस्ताव स्वीकार किए जाने एवं बार-बार बोली वैधता अवधि बढ़ाए जाने के बावजूद बोली का अन्तिमीकरण न करने की कार्रवाई समझ से परे है तथा निविदाओं के अन्तिमीकरण के प्रति विभाग की मंशा पर संदेह उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, यह कार्रवाई आरटीपीपी नियमावली के नियम 40 (2) का भी उल्लंघन थी, जिसमें निविदाओं के अन्तिमीकरण हेतु एक निश्चित समयावधि (70 दिन) निर्धारित की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि जून 2024 में आमंत्रित निविदाओं के संबंध में कार्य आदेश जुलाई 2025 में जारी कर दिया गया। यह भी कहा गया कि वित्त विभाग ने निर्देश दिया था कि समझौता-वार्ता नियम के अनुसार की जाए अथवा पुनः निविदा आमंत्रित की जाए। चूँकि समझौता-वार्ता पहले ही हो चुकी थी, इसलिए पुनः निविदा आमंत्रित करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पुनः समझौता-वार्ता की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि तीनों बार विभाग समझौता-वार्ता के माध्यम से न्यायोचित लागत से निम्न प्रस्ताव प्राप्त करने में सफल रहा था, एवं बोलीदाताओं ने विभाग द्वारा दिए गए इन प्रति-प्रस्तावों को, बोली वैधता अवधि का विस्तार करते हुए, स्वीकार कर लिया था। लेखापरीक्षा के तर्क की पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि विभाग ने अंततः एक वर्ष से अधिक समय के विलंब के बाद, तीसरी बार की समझौता-वार्ता के दौरान प्राप्त लागत (₹ 139.52 लाख) के समान राशि का ही कार्य आदेश जारी किया।

7.2 जल आपूर्ति योजनाओं के निष्पादन में पाई गई अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने 28 चयनित गांवों की 26 ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं (आरडब्ल्यूएसएस) के अंतर्गत पीएचईडी द्वारा निर्मित ग्राम-स्तरीय अवसंरचना की जांच की। आरडब्ल्यूएसएस के क्रियान्वयन में पाई गई अनियमितताओं पर अगले अनुच्छेदों में चर्चा की गई हैः

7.2.1 चयनित ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं के पूर्ण होने में देरी

जेजेएम के परिचालन दिशा-निर्देशों के क्लॉज़ 7.5.2 के अनुसार एकल ग्राम योजना (एसवीएस) और बहु ग्राम योजना (एमवीएस) की पूर्णता हेतु क्रमशः 18 महीने एवं 36 महीने की अधिकतम समयावधि निर्धारित की गई थी। आगे, पीएचईडी के मुख्य अभियन्ता (विशेष परियोजना) ने अपने परिपत्र दिनांक 02 जुलाई 2021 के माध्यम से, जेजेएम के अंतर्गत अनुमोदित ₹ 50 करोड़ तक की अनुमानित लागत वाली जल आपूर्ति परियोजना की पूर्णता के लिए 12 महीने की समय सीमा निर्धारित की थी।

चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस के संबंध में लेखापरीक्षा अवलोकन (नवंबर 2024) निम्नानुसार हैं:

- चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से केवल आठ निर्धारित समय के भीतर पूर्ण हुई, दो 447 से 744 दिनों की देरी से पूर्ण हुई, एवं शेष 16 योजनाओं का कार्य, उनकी निर्धारित पूर्णता तिथि से 11 से 38 महीने व्यतीत हो जाने के बाद भी, प्रगतिरत ही रहा।

- चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस के लिए कार्य आदेश जारी करने में पीएचईडी को एसएलएसएससी द्वारा अनुमोदन की तारीख से 102 से 431 दिनों का समय लगा।

- 10 पूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, पाँच[3] आरडब्ल्यूएसएस में पूर्णता प्रमाणपत्र जारी होना बकाया था तथा तीन[4] आरडब्ल्यूएसएस में अंतिम बिल का भुगतान लंबित था।

- 16 अपूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, 13[5] आरडब्ल्यूएसएस में, विलंब की अवधि एवं कारणों का आंकलन करने के लिए बाधा पंजिकाए संधारित नहीं की गई थी।

- 16 अपूर्ण आरडब्ल्यूएसएस में से, 11[6] आरडब्ल्यूएसएस में, तदन्तर हुए विलंब के बावजूद, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समय वृद्धि जारी नहीं की गई। परिणामस्वरूप, कार्य अनुबंध प्रभावी नहीं रहे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सामग्री की बढ़ी हुई कीमतों, बोलीदाताओं की कम भागीदारी, तथा संवेदको द्वारा धीमी प्रगति के कारण योजनाओं में विलंब हुआ। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बाहरी कारक विभाग को योजनाओं के समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करते। सरकार के हितों की रक्षा के लिए

[3] जोगा, खाराबेरा पुरोहितान, खेजड़ली खुर्द, जालेली चम्पावतां तथा जाटियावास।

[4] प्रेमपुरा, बलदेवपुरा एवं बटावदा, तथा जोगा।

[5] जावली, रतावाली, रतनपुरा, प्रेमपुरा, 21 एलएलडब्ल्यू, 1 सीएलडी, आलम का गाँव, डोरनारी, निम्बाड़ा, भूतगाँव, जामोतड़ा, पांडुरी तथा डेरना।

[6] मऊ, बलदेवपुरा एवं बटावदा, 1 सीएलडी, आलम का गाँव, धाकड़ी, डोरनारी, निम्बाड़ा, भूतगाँव, जामोतड़ा, पांडुरी तथा डेरना।

विभाग की ओर से पर्याप्त आयोजना, प्रभावी अनुबंध प्रबंधन एवं समय पर सुधारात्मक उपाय आवश्यक थे।

7.2.2 क्षतिपूर्ति का आरोपण नहीं किया जाना

संवेदक के साथ निष्पादित अनुबन्ध के क्लॉज़ 2 के अनुसार, संवेदक, कार्य की अनुपातिक प्रगति बनाए रखने में विफल रहने पर क्षतिपूर्ति (एलडी) का भुगतान करने एवं शेष कार्य को किसी अन्य संवेदक से पूर्ण कराने में हुए अतिरिक्त व्यय को वहन करने के लिए उत्तरदायी था।

यह देखा गया कि विभाग ने चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से 18 में, कार्यों की *अनुपातिक* प्रगति बनाए न रखने पर, अनुबन्ध की धारा 2 के अन्तर्गत, संवेदको पर राशि **₹** 16.81 करोड़[7] ***(परिशिष्ट-5)*** की एलडी आरोपित नहीं की।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त 2025) कि एलडी हेतु 'डिपॉजिट V' में आंशिक राशि रोकी गई थी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग को समय पर एलडी हेतु राशि रोकनी चाहिए थी, परन्तु निर्धारित पूर्णता तिथि व्यतीत जाने के उपरान्त भी पूरी राशि नहीं रोकी गई।

7.2.3 तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा पूर्व-निरीक्षण के बिना संवेदकों को अनियमित भुगतान

प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एफएचटीसी प्रदान करने हेतु आरडब्ल्यूएसएस का निष्पादन, योजनाओं के प्रकार के आधार पर, बहु-विषयक अभियांत्रिकी गतिविधियों[8] को सम्मिलित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसी योजनाएँ अपनी पूर्ण डिज़ाइन आयु तक संचालित हों एवं अभिप्रेत सेवाएँ प्रदान करें, यह महत्वपूर्ण है कि निर्माण एवं क्रय की गई अन्य सामग्री, निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हों तथा उचित गुणवत्ता नियंत्रण उपाय लागू किए जाएँ। इस दायित्व को पूरा करने में पीएचईडी की सहायता के लिए, जेजेएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों में, जेजेएम की सहायक गतिविधियों के अंतर्गत एसडब्ल्यूएसएम द्वारा तृतीय-पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) को सूचीबद्ध करने का प्रावधान है।

जेजेएम के प्रचालन दिशा-निर्देशों के अध्याय 6 के अनुसार, गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए, भुगतान से पूर्व सभी निष्पादित कार्यों का तृतीय-पक्ष निरीक्षण तथा प्रमाणीकरण अनिवार्य था। समस्त आरडब्ल्यूएसएस के अनुबंध की विशिष्ट शर्तों के क्लॉज़ 32 के अंतर्गत सम्मिलित शर्त के अनुसार कार्यकारी एजेंसी द्वारा रनिंग भुगतान जारी करने के अनुरोध पर, वीडब्ल्यूएससी, पीएचईडी तथा टीपीआईए द्वारा साइट का संयुक्त निरीक्षण किया जाना था। चर्चा कर सहमति से तय किए गए बिंदुओं को इस उद्देश्य हेतु बनाए गए एक पृथक 'कार्य रजिस्टर' में दर्ज एवं हस्ताक्षरित किया जाना था। इसके आधार पर, पीएचईडी को आगे भुगतान की प्रक्रिया हेतु माप पुस्तिका (एमबी) में माप दर्ज करना था।

---

[7] कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि को शेष कार्य (₹ 16814.77 लाख) का 10 प्रतिशत।

[8] सिविल/जन स्वास्थ्य, यांत्रिक, विद्युत, यंत्रण, जल संसाधन/हाइड्रोलिक अभियांत्रिकी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जांच की गई 26 आरडब्ल्यूएसएस में संवेदको को (दिसंबर 2024 तक) ₹ 122.31 करोड़ की राशि, टीपीआईए द्वारा निरीक्षण एवं प्रमाणन के उपरोक्त प्रावधान का पालन किए बिना ही भुगतान की गई थी ***(परिशिष्ट-6)***। यह दर्शाता है कि संवेदको को रनिंग बिलों का भुगतान करने से पूर्व, निर्माण कार्य तथा उपयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की गई थी।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि टीपीआईए को फरवरी 2023 में नियुक्त किया गया था तथा वे सितंबर 2023 में पूरी तरह से सक्रिय हुई थी। आगे, टीपीआईए की नियुक्ति/सक्रियता से पूर्व निष्पादित कार्यों की गुणवत्ता जांचने के लिए संबंधित क्षेत्रों के अतिरिक्त मुख्य अभियन्ताओं को अधिकृत किया गया था। साथ ही, टीपीआईए की अनुपस्थिति में राज्य-स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रकोष्ठ ने समय-समय पर ऐसे कार्यों की गुणवत्ता की जांच की थी।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि टीपीआईए द्वारा निरीक्षण, स्वतंत्र पर्यवेक्षण प्रदान करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि निष्पादित कार्य तथा कार्यों में प्रयुक्त सामग्री, आवश्यक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं। फरवरी 2023 में टीपीआईए की नियुक्ति एवं सितंबर 2023 में उनका पूर्ण रूप से सक्रिय होना, छः माह से अधिक के विलम्ब को दर्शाता है, जिसके दौरान जेजेएम के काफी मात्रा में कार्य, पर्याप्त स्वतंत्र गुणवत्ता जांच के बिना ही निष्पादित गए। विभागीय अधिकारियों को गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी सौंपना, कार्यों में गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने हेतु स्वतंत्र सत्यापन प्राप्त करने के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है।

7.2.4 चयनित आरडब्ल्यूएसएस में बीमा कवर उपलब्ध न कराना/नवीनीकरण न कराना

संविदा की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, संवेदक द्वारा कार्य प्रारंभ होने की तिथि से लेकर संविदा अवधि की समाप्ति तक मानव शक्ति एवं उपकरणों के लिए न्यूनतम बीमा कवरेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक था। प्रीमियम का समय पर भुगतान करने तथा परिस्थिति उत्पन्न होने पर दावे प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संवेदक की ही थी।

चयनित 26 योजनाओं में से मात्र दो आरडब्ल्यूएसएस में ही आवश्यक बीमा कवर लिया गया था। तीन प्रकरणों में, विभाग ने बीमा की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई; इसलिए, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि बीमा कराया गया था या नहीं। दो प्रकरणों में, विभाग को बीमा कवर के पहलू की जानकारी ही नहीं थी। शेष 19 प्रकरणों में बीमा कवरेज लिया ही नहीं गया। इस आवश्यकता को लागू करने में विफल रहने से पीएचईडी ने न केवल संवेदकों को अनुचित लाभ प्रदान किया, बल्कि वह नियोजित मानव-शक्ति एवं प्रयुक्त उपकरणों से जुड़े जोखिमों को भी कम करने में विफल रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि, संविदा की विशिष्ट शर्तों के अनुसार, मानव शक्ति और उपकरणों के लिए बीमा कवर प्राप्त करने एवं उसका नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी संवेदक की थी। साथ ही यह भी बताया गया कि इस संबंध में संवेदकों को नोटिस जारी किए गए हैं। चयनित गांवों में योजनाएं भौतिक रूप से पूर्ण हो चुकी थीं, एवं इन कार्यों में संविदा अवधि के दौरान किसी भी दुर्घटना, हानि या दावे की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि यद्यपि संविदा की शर्तों के अनुसार बीमा कवरेज प्राप्त करने एवं उसके नवीनीकरण की जिम्मेदारी संवेदक की हो सकती है, फिर भी यह विभाग का दायित्व था कि वह कार्य निष्पादन की अनुमति देने से पूर्व इन प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त, मात्र इस आधार पर कि कोई प्रतिकूल घटना सूचित नहीं हुई है, इस महत्वपूर्ण आवश्यकता का अनुपालन न होने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

7.2.5 पाइप नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग नहीं किया जाना

जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों (दिसंबर 2022) के अनुसार, निर्मित पाइप नेटवर्क एवं अन्य परिसंपत्तियों की जीआईएस मैपिंग की जानी आवश्यक थी।

चयनित 26 आरडब्ल्यूएसएस में से पूर्ण हो चुकी नौ आरडब्ल्यूएसएस के अभिलेखों की जांच में यह पाया गया कि चयनित किसी भी आरडब्ल्यूएसएस में पाइप नेटवर्क की जीआईएस मैपिंग नहीं की गयी थी। परिणामस्वरूप, जलापूर्ति योजनाओं में पारदर्शिता और निगरानी सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि तकनीकी, लॉजिस्टिक एवं संसाधन संबंधी बाधाओं के कारण सभी योजनाओं में जीआईएस मैपिंग निष्पादित नहीं की जा सकी। तथापि, शेष परिसंपत्तियों की 100 प्रतिशत जीआईएस मैपिंग सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

7.2.6 अनियमित भुगतान

संविदा की विशेष शर्तों के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रावधित करती है कि भुगतान प्राप्त करने के लिए संवेदक द्वारा आपूर्तित/स्थापित सामग्री अथवा किए गए कार्य का विवरण दर्शाता हुआ मूल खरीद बीजक प्रस्तुत करना अनिवार्य था। चयनित पीएचईडी खण्डों के अभिलेखों की जांच के दौरान, क्रय की गई सामग्री के संबंध में जाली/निरस्त बीजक के आधार पर भुगतान के निम्नलिखित प्रकरण देखे गए:

7.2.6.1 'ग्राम खुईयाला-बांधा में आरडब्ल्यूएसएस से पाइपयुक्त डब्ल्यूएसएस में रूपांतरण' कार्य में मनगढ़ंत सामग्री बीजक की प्रस्तुति के आधार पर एवं सामग्री बीजक प्रस्तुत किए बिना भुगतान

अधिशाषी अभियन्ता, जिला खण्ड, जैसलमेर के अभिलेखों की जांच (नवंबर 2024) में प्रकट हुआ कि एक चयनित कार्य- 'जेजेएम के अन्तर्गत जैसलमेर जिले के ब्लॉक सम के ग्राम खुईयाला बांधा में आरडब्ल्यूएसएस का पाइपयुक्त डब्ल्यूएसएस में रूपांतरण' में, बार-बार अनुरोध करने के बावजूद स्टॉक रजिस्टर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा ने क्रय गई सामग्री के भुगतान संबंधी पहलु की जांच कार्य की माप पुस्तिकाओं/रनिंग बिलों से की एवं पाया कि संवेदक ने कार्य में 1,11,220 मीटर एचडीपीई/डीआई पाइप का उपयोग किया ***(परिशिष्ट-7)***। तथापि, विभागीय अभिलेखों में मात्र 28 क्रय बीजक मिले, जिनमें 52,176 मीटर पाइप का ही उल्लेख पाया गया।

लेखापरीक्षा ने इन 28 क्रय बीजकों की जीएसटी ई-इन्वॉइस सत्यापन मोबाइल एप्लिकेशन (एनआईसी एप्लिकेशन) के माध्यम से जाँच की एवं पाया कि इनमें से 12 क्रय बीजक, जिनमें 18,180 मीटर पाइप दर्शाए गए थे, मनगढ़ंत थे क्योंकि इन्हें कार्य में प्रयुक्त अन्य ई-बीजकों में कांट-छाँट कर बनाया गया था। इस प्रकार, संवेदक को कार्य के निष्पादन (आपूर्ति, बिछाना, परीक्षण तथा कमीशनिंग) हेतु इन बीजको के आधार पर किया गया ₹ 1.33 करोड़ की राशि का भुगतान संदिग्ध रहा ***(परिशिष्ट-8)***।

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान में लाये जाने पर, जिला खण्ड-जैसलमेर के अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया (नवंबर 2024) कि कार्य में प्रयुक्त सभी सामग्री के मूल बीजक संवेदक से प्राप्त कर लिए गए हैं, एवं बोगस/जाली बीजकों के आधार पर संवेदक को कोई भुगतान नहीं किया गया है। उत्तर के समर्थन में 88,333 मीटर पाइपों के 48 बीजकों की प्रतियां संलग्न की गई थीं। यह भी अवगत कराया गया कि इन पाइपों की गुणवत्ता सुनिश्चित की गई थी।

भुगतान करने के उपरांत संवेदक से बीजक प्राप्त करने की विभाग की कार्रवाई स्वयं यह सिद्ध करती है कि संबंधित बीजक प्राप्त किए/जांचे बिना ही भुगतान जारी कर दिए गए थे।

लेखापरीक्षा ने उपरोक्त प्रस्तुत 48 बीजकों की पुनः जांच की तथा पाया कि इनमें से आठ बीजकों में पाइपों के गंतव्य स्थल को मिटाया हुआ था। आगे यह भी प्रकट हुआ कि चार बीजकों के संबंध में जीएसटी ई-वे बिल पोर्टल पर दर्ज पाइपों का गंतव्य स्थल (रामसर), कार्य स्थल (खुईयाला) से भिन्न था। शेष चार बीजकों में ई-वे बिल संख्या का उल्लेख नहीं था, अतः लेखापरीक्षा आपूर्तित पाइपों के गंतव्य स्थल का पता नहीं लगा सकी ***(परिशिष्ट-9)***। इस प्रकार, इन आठ बीजकों के आधार पर संवेदक को किया गया ₹ 0.67 करोड़ का भुगतान पुनः संदिग्ध रहा। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा को उत्तर के साथ 22,887 मीटर[9] पाइपों के बीजक उपलब्ध नहीं कराए गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि तत्काल आवश्यकता के कारण उस समय स्व-प्रमाणित बीजक अस्थायी रूप से स्वीकार किए गए थे, तथा परियोजना में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण एवं सत्यापन भी किया गया था। खुईयाला के कार्य के चार बीजकों के संबंध में यह कहा गया कि ये बीजक अन्य कार्यों से संबंधित थे एवं त्रुटिवश इस योजना में प्रस्तुत कर दिए गए थे। तथापि, दोषी फील्ड अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि शेष 22,887 मीटर पाइपों के मूल बीजक अभी तक प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। पत्रावली में 12 जाली/मनगढ़ंत बीजकों की उपस्थिति, क्रय की गई सामग्री की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में गंभीर चिंताएं उत्पन्न करती है। इसके अतिरिक्त, विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को पुनः प्रस्तुत किए गए 48 बीजकों में से, खुईयाला के कार्य से संबंधित चार बीजकों तथा बिना ई-वे बिल संख्या वाले चार बीजकों की प्रामाणिकता संदिग्ध है, क्योंकि इन दस्तावेजों के समर्थन में मूल बीजक प्रस्तुत नहीं किए गए।

---

[9] 1,11,220 मीटर-88,333 मीटर।

7.2.6.2 'बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना, चरण-II, भाग-डी' में जाली/निरस्त/अन्य संवेदक के बीजक के आधार पर भुगतान

विभाग ने जेजेएम के अन्तर्गत संवेदक को 'बाड़मेर लिफ्ट जल आपूर्ति परियोजना, चरण II, भाग-डी' का एक कार्य प्रदान किया (मार्च 2022)। इस कार्य में भुगतान से संबंधित निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गईः

(i) जाली बीजकों के आधार पर भुगतान

लेखापरीक्षा ने सामग्री के बीजकों का जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ नमूना-सत्यापन किया तथा पाया कि 10 बीजक जाली (बोगस) थे क्योंकि इन बीजकों पर अंकित बीजक संदर्भ संख्या (आईआरएन), उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित वास्तविक आईआरएन से भिन्न थीं। सामग्री के इन जाली बीजकों के आधार पर, संवेदक ने 21वें रनिंग बिल (04 अक्टूबर 2024 तक) तक राशि **₹** 0.86 करोड़ के भुगतान का दावा किया एवं प्राप्त किया ***(परिशिष्ट-10)***।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि संवेदक को मूल बीजक प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया था, एवं अब संवेदक द्वारा बीजक प्रस्तुत कर दिए हैं, जिन्हें पूर्व में प्रस्तुत किए गए बीजकों सहित, सत्यापन के लिए जीएसटी विभाग को अग्रेषित कर दिया गया है।

(ii) निरस्त बीजक के आधार पर भुगतान

संवेदक ने राशि **₹** 0.06 करोड़[10] का भुगतान प्राप्त करने के लिए कार्य में एक सामग्री बीजक[11] का उपयोग किया। जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट के साथ-साथ ई-वे बिल पोर्टल पर इस बीजक का सत्यापन करने पर पाया गया कि बीजक तथा उससे संबंधित ई-वे बिल निरस्त कर दिए गए थे; इसके बावजूद, संवेदक को इस बीजक के आधार पर भुगतान जारी कर दिया गया।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि क्रय बीजक तथा संबंधित ई-वे बिल प्रक्रियात्मक कारणों से निरस्त कर दिए गए थे। हालांकि, आपूर्ति उचित रूप से प्राप्त हुई थी, एवं भुगतान कार्यस्थल पर प्राप्त सामग्री की मात्रा के सत्यापन के बाद ही किया गया था। इसकी सूचना जीएसटी रिटर्न (जीएसटीआर-2बी) में भी दी गई थी।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि एक निरस्त बीजक तथा ई-वे बिल के आधार पर सामग्री का क्रय एवं परिवहन, सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 31 तथा सीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 138 का खंडन करता है, जिसके अंतर्गत, माल की आपूर्ति एवं परिवहन के

---

[10] {₹ 187 प्रति मीटर (पाइप की दर) * 3561 (रंनिंग मीटर में मात्रा) *0.95 (95 प्रतिशत भुगतान हेतु)} (-) ₹ 11,260 (1.78 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)।

[11] एचडीपीई पाइप 75 मिमी पीई-80 पीएन-6 हेतु बीजक संख्या JPLLP/23-24/64 दिनांक 27 मई 2023 (मै. जयन्त प्राईम पोलीमर्स)।

लिए चालान तथा ई-वे बिल अनिवार्य हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर के समर्थन में विभाग को राज्य के वाणिज्यिक कर विभाग से लेनदेन की पुष्टि करना आवश्यक है।

(iii) अन्य संवेदक के बीजकों की प्रतियों के आधार पर भुगतान

सामग्री बीजकों की नमूना-जांच में यह प्रकट हुआ कि डीआई पाइपों के क्रय से संबंधित 25 बीजक एक भिन्न संवेदक के नाम पर थे, जिसका स्थायी खाता संख्या (पीएएन), जीएसटी पहचान संख्या (जीएसटीआईएन) तथा एए-श्रेणी संवेदक पंजीकरण संख्या (एए-सीसीआरएन) उस संवेदक से भिन्न थे, जिसे इन बीजकों के आधार पर ₹ 4.10 करोड़ का भुगतान किया गया था ***(परिशिष्ट-11)***।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (अगस्त और नवंबर 2025) कि संवेदक की ओर से बजटीय बाधा के कारण, सामग्री एक सहयोगी फर्म के माध्यम से क्रय की गई थी, यद्यपि सामग्री का उपयोग उसी परियोजना में किया गया था। तथापि, दोषी फील्ड अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है।

एक सहयोगी कंपनी के माध्यम से क्रय करने का तर्क, जैसा कि उत्तर में उल्लेखित है, मान्य नहीं है, क्योंकि जीएसटी कानून के अन्तर्गत ये दोनों फर्मे पृथक इकाईयाँ हैं, तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट को सहयोगी कंपनी ने जीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 16(2)(ब)[12] का उल्लंघन करते हुए गलत तरीके से प्राप्त किया हो सकता है, भले ही सामग्री का उपयोग उसी कार्य में किया गया हो।

7.2.6.3 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' में जाली बीजकों के आधार पर भुगतान

विभाग ने (जुलाई 2021) पीएचईडी खण्ड-आबू रोड़ के अधिकार-क्षेत्र में एक संवेदक को जेजेएम के अंतर्गत 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' कार्य आवंटित किया। लेखापरीक्षा ने कार्य में प्रयुक्त डीआई, के-7, 150 मिमी पाइपों के क्रय के सम्बन्ध में संवेदक द्वारा प्रस्तुत सामग्री बीजकों की नमूना-जांच की एवं पाया कि चार बीजकों[13] पर 12 जून 2022 की तिथि अंकित थी, जबकि जीएसटी ई-इन्वॉइस की आधिकारिक वेबसाइट पर इन बीजकों के सत्यापन पर दो अन्य तिथियाँ (05 अगस्त 2022 और 16 अगस्त 2022) पाई गई। विभाग द्वारा इन क्रय बीजकों के आधार पर संवेदक को राशि ₹ 0.31 करोड़ का भुगतान किया गया। यह भुगतान करते समय उचित जाँच एवं यथोचित सावधानी के अभाव को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने आगे यह पाया कि इन चार में से एक बीजक उसी संवेदक द्वारा एक अन्य कार्य (जेजेएम के अंतर्गत पीडब्ल्यूएस, ग्राम वसदा) में मूल रूप से प्रस्तुत किया गया था एवं बाद में,

---

[12] कोई भी पंजीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों की किसी भी आपूर्ति के संबंध में तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का हकदार नहीं होगा, जब तक कि उसने वह माल या सेवाएं या दोनों प्राप्त न कर लिए हों।

[13] मै. लक्की इंटरप्राइजेज द्वारा जारी बीजक संख्या 173, 174, 175 तथा 182 ।

तिथि में परिवर्तन कर 'पीएंडटी योजना का रूपांतरण, ग्राम पांडुरी' कार्य में पुनः प्रस्तुत कर दिया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए अवगत कराया (नवंबर 2025) कि संवेदक को योजना के सभी सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं तथा निविदा दस्तावेज़ के नियम एवं शर्तों तथा आरटीपीपी अधिनियम, 2012 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यह भी अवगत कराया गया कि विभाग ने सभी सामग्री को अच्छी स्थिति में प्राप्त करने तथा प्रणाली की कमीशनिंग होने के उपरान्त ही भुगतान किया था, एवं इस प्रकार, संवेदक को कोई अदेय वित्तीय लाभ नहीं दिया गया।

तथ्य यह रहता है कि एक ही बीजक का दो विभिन्न कार्यों में उपयोग करने से, प्राप्त वास्तविक सामग्री की तुलना में अधिक मात्रा का भुगतान हो गया, जिससे संवेदक को वित्तीय लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, क्रय बीजकों में तिथियों का जानबूझकर परिवर्तन या हेरफेर करना न केवल अनैतिक है बल्कि कानून का उल्लंघन भी है, जिसके लिए कोई विशिष्ट उत्तर नहीं दिया गया।

7.2.6.4 पाइपों के मूल क्रय बीजक प्राप्त किए बिना कार्य के लिए भुगतान

विभाग ने (फरवरी 2023) पीएचईडी, खण्ड सोजत सिटी में एक संवेदक को जेजेएम के अंतर्गत 'डब्ल्यूएसएस, गुड़ा राम सिंह' का कार्य राशि ₹ 1.51 करोड़ की लागत पर आवंटित किया। इस कार्य में एचडीपीई/डीआई पाइपलाइन की आपूर्ति, बिछाने, जोड़ने, परीक्षण तथा कमीशनिंग सम्मिलित थी। कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (अक्टूबर 2023) के अनुसार कार्य में प्रयुक्त पाइपों का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 7.1: 'डब्ल्यूएसएस गुड़ा राम सिंह (सोजत सिटी)' में प्रयुक्त पाइपों का विवरण

क्र. सं.	पाइप का प्रकार	उपयोग की गई मात्रा (मीटर)	चालान के आधार पर भुगतान (₹)	चालान संख्या	पाई गई कमियाँ
1.	जीआई 80 मिमी	1145.0	5,93,110	मूल बीजक/बीजक की छायाप्रति उपलब्ध नहीं	
2.	डीआई के-7 100 मिमी	348.0	5,69,252	AII-016 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं। बीजक की छायाप्रति पर ई-वे बिल संख्या उपलब्ध नहीं।
3.	एचडीपीई-80 पीएन-6 75 मिमी	1248	1,59,533	864/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
4.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 90 मिमी	4823	8,46,406	865/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
5.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 110 मिमी	3427	10,33,342	866/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
6.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 125 मिमी	1224	4,25,592	867/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
7.	एचडीपीई पीई-80 पीएन-6 140 मिमी	1140	4,92,162	868/22-23 (प्रतिलिपि)	मूल बीजक उपलब्ध नहीं
कुल		**13,355**	**41,19,397**		

स्रोतः विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना

उपरोक्त **तालिका 7.1** से प्रदर्शित होता है कि 'डब्ल्यूएसएस गुड़ा राम सिंह' कार्य में 13,355 मीटर पाइपों के मूल बीजक अभिलेखों में नहीं पाए गए, एवं कार्य में ₹ 0.41 करोड़ का भुगतान मूल बीजकों की छायाप्रतियों के आधार पर किया गया। यहां तक कि 1,145 मीटर जीआई 80 मिमी पाइपों के लिए बीजकों की छायाप्रतियां भी उपलब्ध नहीं थीं। इसके अतिरिक्त, प्रेषण से पूर्व पाइप निर्माता के स्थल पर किए गए पाइपों के निरीक्षण, पाइपों के लिए किये गए गुणवत्ता परीक्षण के विवरण एवं गुणवत्ता जांच के लिए भेजे गए नमूनों का रजिस्टर भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इन विवरणों के अभाव में, क्रय किये गए पाइपों की गुणवत्ता और प्रमाणिकता, लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं की जा सकी, एवं इसलिए, इन पाइपों के लिए किया गया राशि ₹ 0.41 करोड़ का भुगतान भी अनियमित रहा।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए (नवंबर 2025) में अवगत कराया कि निष्पादन एवं बिलिंग प्रक्रिया के दौरान, संवेदक ने बीजकों की प्रतिलिपियां प्रस्तुत की थीं, जिन्हें, स्थल पर निष्पादन, माप पुस्तिकाओं तथा सामग्री के लेखा अभिलेखों की यथोचित जांच उपरान्त, भुगतान के लिए अस्थायी रूप से स्वीकार किया गया था। वर्तमान में, मूल बीजक प्राप्त कर लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभाग के फील्ड अधिकारियों, तकनीकी अधिकारियों और लेखापरीक्षकों को यह सख्ती से सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि भुगतान बिलों के साथ मूल क्रय बीजक, गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट एवं निरीक्षण दस्तावेज़ अनिवार्य रूप से संलग्न किए जाएं, तथा सामग्री प्राप्ति की नियम-प्रक्रिया का कड़ाई से पालन किया जाए।

तथ्य यह रहता है कि सामग्री बीजकों की छायाप्रतियों के आधार पर भुगतान जारी करना, संविदा की विशिष्ट शर्तों की शर्त 14 का उल्लंघन है।

7.2.6.5 एफएचटीसी के लिए संवेदक को अनियमित भुगतान

(i) गाँव खेजड़ली खुर्द में 73 एफएचटीसी

जेजेएम आईएमआईएस रिपोर्टों के अनुसार, चयनित गाँव खेजड़ली खुर्द (जिला-जोधपुर ग्रामीण) में कुल 131 परिवार थे। इनमें से, 73 परिवारों को पूर्व की एक योजना- 'कंटीजेंसी वर्क-डब्ल्यूएसएस खेजड़ली खुर्द' के अन्तर्गत अगस्त 2010 तक एफएचटीसी प्रदान किये जा चुके थे, एवं इस प्रकार, इस ग्राम में जेजेएम के अंतर्गत मात्र शेष 58 परिवारों को एफएचटीसी प्रदान किये जाने थे।

अधिशाषी अभियन्ता, पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अभिलेखों की जांच में यह प्रकट हुआ कि विभाग ने ग्राम खेजड़ली खुर्द के शेष 58 परिवारों के स्थान पर सभी 131 परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करने हेतु जेजेएम के अंतर्गत कार्य का एक संवेदक को आवंटन कर दिया (दिसंबर 2021)। इस प्रकार, ग्राम में पहले से उपलब्ध 73 एफएचटीसी के लिए संवेदक को ₹ 0.72 लाख[14] का भुगतान (जून 2022 तक) संदिग्ध रहा।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि पूर्व की जल आपूर्ति योजना 'कंटिंजेंसी वर्क- डब्ल्यूएसएस खेजड़ली खुर्द' के अंतर्गत ग्राम में कोई एफएचटीसी प्रदान नहीं किये गए थे,

---

[14] ₹ 993 (टेंडर प्रीमियम घटाने के पश्चात प्रति एफएचटीसी दर)* 73 (एफएचटीसी की संख्या)।

एवं इस योजना के अन्तर्गत कुल व्यय मात्र ₹ 0.22 लाख था। यह भी स्पष्ट किया गया कि एफएचटीसी को आईएमआईएस में मात्र योजना के समावेशन को दर्शाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया था।

उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा टिप्पणी जेजेएम पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार की गई थी एवं विभाग के उत्तर से यह परिलक्षित होता है कि पुरानी योजना के कवरेज के संबंध में विभागीय प्राधिकारियों द्वारा जेजेएम पोर्टल पर गलत जानकारी दर्ज की गई थी।

(ii) ग्राम खाराबेरा पुरोहितान में 548 एफएचटीसी

पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अंतर्गत चयनित ग्राम 'खाराबेरा पुरोहितान' में 01 अप्रैल 2023 की स्थिति में 548 परिवार थे। इन परिवारों को पहले ही दो पूर्व योजनाओं- 'आरडब्ल्यूएसएस कुड़ी लूनी सतलाना सालावास' (472 एफएचटीसी) एवं '500 एलपीएच क्षमता के आरओ प्लांट की स्थापना एवं कमीशनिंग' (76 एफएचटीसी) के अन्तर्गत अगस्त 2017 तक एफएचटीसी प्रदान किए जा चुके थे। इसके बावजूद, विभाग ने ग्राम के इन 548 परिवारों को जेजेएम के अन्तर्गत 'लूणी ब्लॉक के गांवों में उपभोक्ता की संपत्ति सीमा तक एफएचटीसी के निर्माण के लिए समानांतर दर अनुबंध' के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया (जुलाई 2020) एवं इन परिवारों को पुनः एफएचटीसी प्रदान करने के लिए राशि ₹ 7.60 लाख का व्यय किया।

लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, अधिकांश लाभार्थियों ने अवगत कराया (सितंबर 2024) कि उन्हें जेजेएम के क्रियान्वयन से पूर्व ही एफएचटीसी प्रदान कर दिए गए थे। संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट (सितंबर 2024) से भी यह पुष्टि हुई कि सत्यापन हेतु चयनित किसी भी लाभार्थी के घर पर कोई नया मीडियम डेंसिटी पॉलीएथिलीन (एमडीपी) पाइप या नल कनेक्शन स्थापित नहीं किए गए थे।

अतः संवेदक को राशि ₹ 7.60 लाख का भुगतान संदिग्ध माना गया, क्योंकि संवेदक को जेजेएम से पूर्व ही पूर्ण हो चुके कार्य के लिए अदेय लाभ मिला था। इसके अतिरिक्त, एफएचटीसी प्रदान करने के कार्य से संबंधित आवश्यक दस्तावेज़, जिनमें प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन, तकनीकी स्वीकृतियाँ, कार्य आदेश एवं माप पुस्तिकाएँ सम्मिलित हैं, भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि पूर्व की अन्य जलापूर्ति योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किए गए एफएचटीसी को मात्र समावेशन प्रदर्शित करने के लिए आईएमआईएस पर दर्ज किया गया था। यह भी अवगत कराया गया कि एफएचटीसी जेजेएम के तहत बिछाई गई पाइपलाइनों के माध्यम से प्रदान किए गए थे, तथा दर अनुबंध के तहत केवल 145 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए थे, जिनमें कोई दोहरा भुगतान नहीं किया गया।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कार्य के दूसरे एवं अंतिम बिल के अनुसार, प्रति एफएचटीसी औसत लागत ₹ 1,561[15] थी एवं इस लागत से, 145 एफएचटीसी प्रदान करने की कुल लागत केवल ₹ 2.26 लाख बनती है, जो कि 'खाराबेरा पुरोहितान' ग्राम में एफएचटीसी प्रदान करने के लिए उक्त बिल में उल्लिखित ₹ 7.60 लाख से अत्यधिक कम है। इसके अतिरिक्त, ग्राम के लाभार्थी सर्वेक्षण के परिणामों ने भी यह पुष्टि की कि लाभार्थियों को एफएचटीसी प्रदान नहीं किए गए हैं।

7.2.7 ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर का अवमानक निर्माण

पीएचईडी, जिला खण्ड-द्वितीय, जोधपुर के अंतर्गत 'ग्राम डोलिया एवं जाटियावास के लिए पाइपयुक्त जल आपूर्ति योजना' के लिए जेजेएम की एक योजना के अन्तर्गत जाटियावास (जोधपुर) में 200 किली का ओवरहेड सर्विस रिजर्वायर (ओएचएसआर) का निर्माण किया गया था (फरवरी 2021)। विभाग ने संवेदक द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक माना एवं उसे कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया (दिसंबर 2021)। संवेदक को अतिरिक्त निष्पादन गारंटी भी लौटा दी गई (मार्च 2022)।

खंड के अभिलेखों की लेखापरीक्षा में यह प्रकट हुआ कि संविदा अनुबंध की शर्त संख्या 1.11.3 के अनुसार, संवेदक को कार्य में आईएसः12269 मानकों के अनुरूप सीमेंट, अर्थात, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट (ओपीसी) ग्रेड-53 का उपयोग करना आवश्यक था। जबकि दिनांक 01 अप्रैल 2021 की जांच रिपोर्ट के अनुसार, ओपीसी ग्रेड-43 सीमेंट का उपयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त, संविदा अनुबंध की उपरोक्त शर्त के अनुसार, निर्माण की तारीख से 90 दिनों के भीतर सीमेंट का उपयोग न किए जाने की स्थिति में, इसकी गुणवत्ता का एक अनुमोदित प्रयोगशाला में परीक्षण कराना आवश्यक था, एवं संतोषजनक परीक्षण परिणाम प्राप्त होने तक, इसका उपयोग नहीं किया जाना था।

तथापि, यह पाया गया कि दिनांक 26 फरवरी 2021 को सीमेंट का एक नमूना लिया गया था, जिसके लिए दिनांक 01 अप्रैल 2021 को परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी। सीमेंट का निर्माण 26 फरवरी 2021 अथवा उससे पूर्व की तिथि को मानते हुए, विभाग को कार्य में उपयोग हेतु 26 मई 2021 के बाद उसका गुणवत्ता परीक्षण कराना आवश्यक था, लेकिन अभिलेखों के अनुसार, इस तिथि के पश्चात सीमेंट का कोई परीक्षण किया गया। जबकि ओएचएसआर के शीर्ष गुम्बद की सीमेंट का उपयोग करके 05 जून 2021 को कास्टिंग की गयी थी। इस प्रकार, 90 दिनों की वैधता अवधि के बाद, आवश्यक गुणवत्ता परीक्षण किए बिना सीमेंट का उपयोग किया गया।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त ओएचएसआर के निर्माण के संबंध में, प्रयुक्त सीमेंट/स्टील के प्रत्येक बैच के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाण-पत्र एवं सुदृढीकरण कार्य में थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड (टीएमटी) स्टील बार्स के उपयोग की पुष्टिकारक परीक्षण रिपोर्टें भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

उपरोक्त अनुपालन न करना यह इंगित करता है कि जाटियावास ओएचएसआर का निर्माण कार्य अवमानक था, एवं इसलिए, विभाग द्वारा कार्य को संतोषजनक मानने और संवेदक को कार्य

---

15 ₹ 44,05,521 (कुल भुगतान)/2,822 (कार्य में उपलब्ध कराई गयी एफएचटीसी की संख्या)।

पूर्णता प्रमाण-पत्र जारी करने की कार्रवाई औचित्यपूर्ण नहीं थी। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, ओएचएसआर के एक आरसीसी स्तंभ पर एक लंबी ऊर्ध्वाधर दरार (क्षरण दरार) पाई गई, जैसा कि नीचे **चित्र 7.1** में प्रदर्शित हैः

चित्र 7.1: जाटियावास ओएचएसआर के आरसीसी स्तम्भ पर लंबी दरार

स्रोतः संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि आरसीसी की प्रत्येक कास्टिंग के लिए क्यूब परीक्षण रिपोर्ट संतोषजनक पाई गई थी। यह भी अवगत कराया गया कि दिखाई देने वाला निशान, कास्टिंग के बाद अर्थिंग हेतु जीआई स्ट्रिप लगाने के कारण बना था एवं अब उसकी मरम्मत कर दी गई है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि जिसे एक निशान बताया गया है, वह वास्तव में एक बड़ी दरार है, जैसा कि लेखापरीक्षा के दौरान ली गई तस्वीर में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित एवं संयुक्त भौतिक सत्यापन रिपोर्ट द्वारा पुष्टिकृत है। इसके अतिरिक्त, कार्य में अवमानक सीमेंट के उपयोग के सम्बन्ध में उत्तर में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भविष्य में अन्य संरचनात्मक क्षय हो सकता है। इसके अतिरिक्त, प्रयुक्त सीमेंट/स्टील के प्रत्येक बैच के लिए निर्माता का परीक्षण प्रमाण-पत्र एवं सुदृढीकरण कार्य में टीएमटी के उपयोग की पुष्टिकारक परीक्षण रिपोर्टें उत्तर के साथ उपलब्ध नहीं कराई गईं।

7.2.8 ग्राम देवली हुल्ला बागड़ी नगर की आरडब्ल्यूएसएस में बोलीदाता को अनुचित लाभ

विभाग ने (मई 2023) में पीएचईडी खण्ड सोजत सिटी, पाली के अधिकार क्षेत्र में 'जेजेएम के अन्तर्गत आरडब्ल्यूएसएस, ग्राम देवली हुल्ला बागड़ी नगर' कार्य का आवंटन किया। कार्य में संवेदक को पाइप के कार्यों (15 अप्रैल 2024 तक) हेतु राशि ₹ 11.72 करोड़ का भुगतान किया गया। पीएचईडी खण्ड करौली में एक जल आपूर्ति योजना के लिए लगाई गई अपनी बोली

के संबंध में एक बोलीदाता ने, बोलियाँ खुलने से पूर्व ही, फरवरी से मार्च 2023 के दौरान, ₹ 2.22 करोड़ रुपये की लागत से 1,39,354 मीटर मात्रा के विभिन्न आकारों के डीआई, के-7 पाइप क्रय कर लिए। बाद में, बोलीदाता ने मई 2023 में पाइपों को खण्ड सोजत सिटी को स्थानांतरित कर दिया। इसके बाद, अधिशाषी अभियन्ता, करौली ने अपने पत्र दिनांक 16 जून 2023 के माध्यम से, अधिशाषी अभियन्ता, सोजत सिटी को 'जेजेएम के अन्तर्गत आरडब्ल्यूएसएस गाँव देवली हुल्ला बागड़ी नगर' के कार्य में इन पाइपों का उपयोग करने के लिए अपनी 'अनापत्ति' की सूचना दी। तत्पश्चात, इन पाइपों का उपयोग खण्ड सोजत सिटी के उपरोक्त कार्य में किया गया।

करौली में बोली खुलने से पहले पाइपों का क्रय एवं एनओसी जारी होने से पहले पाइपों का सोजत सिटी में स्थानान्तरण, समग्र निविदा प्रक्रिया पर संदेह उत्पन्न करता है।

चूंकि खण्ड सोजत सिटी में कार्य आवंटन से पहले पाइप एक अन्य स्थान (करौली) से प्राप्त किए गए थे, इसलिए संवेदक को कोई गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम (क्यूएपी) जारी नहीं किया गया था। यह प्रदर्शित करता है कि गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रेषण-पूर्व निर्माता के परिसर में पाइपों का निरीक्षण एवं कार्य स्थल पर उनका परीक्षण विभागीय अभियन्ताओं द्वारा नहीं किया जा सका। परिणामस्वरूप, पाइपों की गुणवत्ता एवं प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। इसके अतिरिक्त, खण्ड सोजत सिटी के अभिलेखों में पाइपों के मूल बीजक भी नहीं पाए गए।

राज्य सरकार ने अवगत कराया (नवंबर 2025) कि जेजेएम के तहत तात्कालिकता एवं समयबद्ध लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, निष्पादन में विलंब से बचने के लिए आरडब्ल्यूएसएस देवली हुल्ला बागड़ी नगर के कार्य में उपलब्ध सामग्री का उपयोग किया गया। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि संबंधित फर्म ने निरीक्षण एजेंसी- एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गुणवत्ता परीक्षण के बाद, विभिन्न आकारों के डीआई पाइप स्वयं ही क्रय किए थे। इसके अतिरिक्त, निष्पादन के दौरान फील्ड अधिकारियों द्वारा कार्यस्थल स्तर पर पाइपों की भौतिक गुणवत्ता एवं तकनीकी विनिर्देशों के अनुपालन का सत्यापन किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के स्थान पर केवल आपूर्तिकर्ता द्वारा आयोजित निजी एजेंसी के परीक्षणों एवं कार्यस्थल स्तरीय जांचों पर निर्भरता विभाग की जवाबदेही को कम करता है तथा गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र को दुर्बल बनाता है। इसके अतिरिक्त, कार्य की तात्कालिकता, गुणवत्ता आश्वासन की निर्धारित प्रक्रियाओं को दरकिनार करने का औचित्य प्रदान नहीं करती।

7.3 निष्कर्षों का सारांश

इस अध्याय से यह स्पष्ट हुआ कि निविदाओं को पर्याप्त औचित्य के बिना निरस्त कर दिया गया, जिससे विलम्ब हुआ। अनियमित भुगतान, जाली/निरस्त अथवा किसी अन्य संवेदक के बीजकों की प्रस्तुति एवं सम्बंधित मूल बीजकों के अभाव के उदाहरण, कमजोर वित्तीय नियंत्रण एवं निगरानी को इंगित करते हैं। कार्यों की निम्न गुणवत्ता, जैसे कि ओएचएसआर संरचना में दरारें एवं अनुपयुक्त सामग्री के उपयोग, ने निर्मित परिसंपत्तियों के स्थायित्व तथा सुरक्षा के साथ और समझौता किया है। पूर्व की योजनाओं के अन्तर्गत पहले से ही स्थापित घरेलू नल कनेक्शनों के

लिए संदिग्ध रूप से भुगतान किया जाना संभावित दोहराव को निर्दिष्ट करता है। इन कमियों ने न केवल उपापन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को कमजोर किया, बल्कि ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शनों का अभिप्रेत लाभ मिलने में भी विलम्ब किया।

7.4 सिफारिशें

- *विभाग निविदा एवं खरीद प्रक्रियाओं को सुदृढ़ कर सकता है, जिसके लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, निरस्तीकरण के उचित कारण दर्ज किए जाएँ तथा अनुबंधों का समय पर अंतिमीकरण किया जाए।*

- *फर्जी दावों को रोकने हेतु बीजक सत्यापन, ई-वे बिल मिलान तथा तृतीय-पक्ष जाँच सहित वित्तीय परीक्षण की एक सुदृढ़ प्रणाली स्थापित की जा सकती है।*

- *निम्नस्तरीय कार्य के लिए अनिवार्य तृतीय-पक्ष निरीक्षण, पाइप नेटवर्क का जीआईएस मानचित्रण तथा संवेदकों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन तंत्र लागू किया जा सकता है।*

- *जवाबदेही बढ़ाने तथा कार्यों को समय पर पूर्ण कराने के लिए डिजिटल निगरानी उपकरणों के उपयोग को प्राथमिकता दी जा सकती है।*

(रामावतार शर्मा)
महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II), राजस्थान

जयपुर
दिनांक: 22 मार्च 2026

प्रतिहस्ताक्षरित

(के. संजय मूर्ति)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 23 मार्च 2026

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

(सन्दर्भ अनुच्छेद 1.11)

नमूना-जांच हेतु चुने गए जिलों, ब्लॉकों और ग्रामों की सूची

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित ब्लॉक का नाम	चयनित गाँव का नाम
1	अलवर	लक्ष्मणगढ़	जावली
			रतावली
		राजगढ़	रतनपुरा
			प्रेमपुरा
2	बारां	बारां	बटावदा
			सीमली
		मांगरोल	मऊ
			बलदेवपुरा
3	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	13 एचएमएच (ग्रामीण)
			20 एलएलडब्ल्यू
		रावतसर	मलकासर
			1 सीएलडी
4	जैसलमेर	जैसलमेर	सगरा
			भोजका
		सम	जोगा
			आलम का गांव
5	जोधपुर-ग्रामीण	लूणी	खाराबेरा पुरोहितान
			खेजड़ली खुर्द
		मंडोर	जाटियावास
			जालेली चंपावतां

क्रम संख्या	चयनित जिले का नाम	चयनित ब्लॉक का नाम	चयनित गाँव का नाम
6	पाली	पाली	निम्बाड़ा
			हथलाई
		सोजत	धाकड़ी
			डोरनारी
7	सिरोही	सिरोही	भूतगांव
			जामोतड़ा
		आबू रोड़	पांडुरी
			डेरना
कुल	**7**	**14**	**28**

परिशिष्ट-2

(सन्दर्भ अनुच्छेद 4.8)

अनिवार्य शर्तों को पूर्ण किए बिना गांवों के प्रमाणीकरण का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	गाँव का नाम	गांवों के 'हर घर जल' (एचजीजे) प्रमाणीकरण में कमियां
1	मऊ	वीएपी के अनुसार 485 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन मात्र 280 एफएचटीसी को ही एचजीजे प्रमाणित किया गया। सभी घरों में पानी की सप्लाई 40 एलपीसीडी से कम थी, जबकि दो बस्तियों में यह बहुत कम मात्रा में थी।
2	डोरनारी	वीएपी के अनुसार 362 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन मात्र 240 एफएचटीसी को ही एचजीजे प्रमाणित किया गया। योजना पूरी नहीं हुई थी और वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई।
3	आलम का गाँव (जैसलमेर)	आवश्यक सामुदायिक अंशदान राशि एकत्रित नहीं की गई। योजना का वितीय समापन नहीं हुआ था और वीडब्ल्यूएससी को सौंप दिया गया।
4	खाराबेरा पुरोहितान	सामुदायिक अंशदान राशि एकत्रित नहीं की गई और योजना को नहीं सौंपा गया था।
5	जामोतड़ा	ओएचएसआर और सीडब्ल्यूआर का निमार्ण तो हो गया, किन्तु पाइपलाइन से नहीं जुड़े थे। योजना के लिए बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी नहीं की गई तथा एक आंगनवाड़ी को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराया गया।
6	जावली	ओएचएसआर और सीडब्ल्यूआर का निमार्ण तो हो गया, किन्तु पानी के स्रोत से जुड़े थे। ट्यूबवेल और पंप हाउस के लिए बिजली कनेक्शन की व्यवस्था भी नहीं की गई। योजना वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई थी। गांव में सार्वजनिक संस्थानों को एफएचटीसी प्रदान नहीं किये गए थे।
7	रतावली	वीएपी के अनुसार 94 एफएचटीसी उपलब्ध कराये जाने थे, लेकिन केवल 58 एफएचटीसी ही उपलब्ध कराये गए। योजना का सड़क बहाली का कार्य अधूरा था। योजना वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपी गई थी।
8	प्रेमपुरा	सार्वजनिक संस्थानों को एफएचटीसी उपलब्ध नहीं कराये गए थे। योजना, 55 एलपीसीडी के डिजाइन के अनुसार दो नलकूपों के स्थान पर केवल एक नलकूप पर चल रही थी। वीडब्ल्यूएससी के खाते में सामुदायिक अंशदान भी जमा नहीं किया गया था, जबकि इसे एकत्र कर लिया गया था।
9	13 एचएमएच	वीएपी के अनुसार 178 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन केवल 35 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए। ओएचएसआर, अपरिष्कृत जल के जलाशय (आरडब्ल्यूआर) तथा चारदीवारी का निर्माण न होने के कारण योजना अधूरी थी। सामुदायिक अंशदान भी एकत्र नहीं किया गया था और योजना को वीडब्ल्यूएससी को नहीं सौंपा गया था।
10	मलकासर	वीएपी के अनुसार 1655 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन केवल 1423 एफएचटीसी ही प्रदान किए गए। साथ ही, एकत्र किए जाने के बावजूद, सामुदायिक अंशदान की पूरी राशि वीडब्ल्यूएससी के बैंक खाते में जमा नहीं की गई थी।
11	धाकड़ी	वीएपी के अनुसार 669 एफएचटीसी प्रदान किए जाने थे, लेकिन 655 एफएचटीसी के साथ ही इसे 'हर घर जल' से प्रमाणित कर दिया गया। सर्वेक्षण किए गए सभी 20 लाभार्थियों ने सूचित किया कि उन्हें इस योजना से कोई लाभ नहीं मिला है। सामुदायिक अंशदान एकत्र नहीं किया गया था और योजना को वीडब्ल्यूएससी को भी नहीं सौंपा गया था।

परिशिष्ट–3

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.7.1)

जेजेएम की सहायता निधि से कर्मचारियों के वेतन सम्बंधित अस्वीकार्य व्यय का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	विवरण	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
	वर्ष 2019-20		
	वर्ष 2019-20 के लिए लेखापरीक्षा को प्रस्तुत व्यय विवरण के अनुसार नियमित कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय		57,80,905
	कुल		**57,80,905**
	वर्ष 2020-21		
1	मार्च 2020 के लिए 50 प्रतिशत वेतन का भुगतान	01/05/2020	1,91,537
2	वेतन अप्रैल 2020	01/05/2020	3,76,311
3	अप्रैल 2020 के लिए निदेशक, डब्ल्यूएसएसओ का वेतन	01/05/2020	1,47,965
4	वेतन मई 2020	01/06/2020	5,24,276
5	डीए बकाया	18/06/2020	1,21,391
6	वेतन जून 2020	01/07/2020	5,24,276
7	वेतन जुलाई 2020	04/08/2020	5,35,381
8	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	20/08/2020	1,66,024
9	वेतन अगस्त 2020	07/09/2020	5,17,948
10	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	08/09/2020	64,643
11	वेतन सितंबर 2020	13/10/2020	5,53,537
12	श्री अमिताभ शर्मा, एसीई को वेतन निर्धारण का भुगतान	13/10/2020	93,323
13	एसीई को वेतन अक्टूबर 2020	03/11/2020	1,64,723
14	वेतन अक्टूबर 2020	03/11/2020	3,88,814
15	वेतन नवंबर 2020	01/12/2020	2,51,820
16	वेतन नवंबर 2020	02/12/2020	3,00,319
17	वेतन निर्धारण और ग्रेड सुधार के बकाया का भुगतान	08/12/2020	74,545
18	वेतन दिसंबर 2020	01/01/2021	5,52,139
19	वेतन जनवरी 2021	01/01/2021	5,52,139

क्रम संख्या	विवरण	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
20	वेतन फरवरी 2021	02/01/2021	5,52,139
21	स्थगित वेतन का भुगतान	18/03/2021	1,84,774
	कुल		**68,38,024**
	वर्ष 2021–22		
1	वेतन मार्च 2021	05/04/2021	5,52,139
2	वेतन अप्रैल 2021	04/05/2021	3,99,785
3	वेतन अप्रैल 2021-श्री हरिकिशन अग्रवाल, एक्सईएन	07/05/2021	1,32,041
4	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	12/05/2021	99,451
5	वेतन मई 2021	01/06/2021	6,12,958
6	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	01/06/2021	74,178
7	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	17/06/2021	66,573
8	वेतन जून 2021	02/07/2021	6,12,958
9	वेतन जुलाई 2021	02/08/2021	6,92,062
10	अनुराग शर्मा, एईएन को वर्ष 2021-22 का भुगतान	13/08/2021	39,232
11	वेतन अगस्त 2021	01/09/2021	9,77,236
12	वेतन सितंबर 2021	01/10/2021	9,07,682
13	वेतन अक्टूबर 2021	01/11/2021	9,02,410
14	एसीई को वेतन (01-05-2021 से 21-07-2021)	08/11/2021	4,54,374
15	वेतन नवंबर 2021	01/12/2021	8,31,181
16	समर्पित अवकाश और पुनर्भरण के लिए भुगतान	16/12/2021	74,539
17	श्री अमिताभ शर्मा, एसीई को वेतन अंतर का भुगतान	27/12/2021	38,182
18	वेतन दिसंबर 2021	03/01/2022	8,31,181
19	वेतन जनवरी 2022	01/02/2022	8,31,181
20	डीए बकाया	02/02/2022	55,437
21	वेतन फरवरी 2022	02/03/2022	8,31,181
22	हुकुम चंद वर्मा , एसीई को समर्पित अवकाश का भुगतान	29/03/2022	96,285
	कुल		**1,01,12,246**

क्रम संख्या	विवरण	संवितरण की तिथि	राशि (₹ में)
वर्ष 2022-23			
1	वेतन मार्च 2022	04/04/2022	8,23,151
2	वेतन अप्रैल 2022	02/05/2022	8,41,596
3	डीए बकाया का भुगतान	24/05/2022	50,085
4	समर्पित अवकाश के लिए भुगतान	25/05/2022	1,57,048
5	वेतन मई 2022	01/06/2022	8,39,846
6	वेतन जून 2022	01/07/2022	6,58,988
कुल			**33,70,714**
सकल योग			**2,61,01,889**

परिशिष्ट–4

(सन्दर्भ अनुच्छेद 5.8)

मूल्य विचलन के अधिक भुगतान को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

तिमाही	घटक	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= 0.75*(3)*(4)*{(5)-(6)}/(6)	(8)	(9)=(8-7)
अप्रैल से जून 2022	श्रम	3,43,37,682	0.300	127	122.13	3,08,078	25,98,311	22,90,233
	सामग्री	3,43,37,682	0.040	154.23	146	58,068	3,97,146	3,39,078
	एचएसडी	3,43,37,682	0.500	193.73	141.20	47,90,435	2,99,27,227	2,51,36,792
	सीमेंट	3,43,37,682	0.040	135.53	127.43	65,480	4,41,124	3,75,644
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	3,43,37,682	0.108	175.13	158.7	2,87,950	19,00,006	16,12,056
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	3,43,37,682	0.012	155.8	146.87	18,790		-18,790
जुलाई से सितंबर 2022	श्रम	4,54,48,656	0.300	128.9	122.13	5,66,852	11,73,136	6,06,284
	सामग्री	4,54,48,656	0.040	153.03	146	65,652	1,35,870	70,218
	एचएसडी	4,54,48,656	0.500	200.23	141.20	71,25,091	1,21,81,571	50,56,480
	सीमेंट	4,54,48,656	0.040	134.07	127.43	71,046	1,47,034	75,988
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	4,54,48,656	0.108	169.5	158.7	2,50,526	5,32,036	2,81,510
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	4,54,48,656	0.012	148.7	146.87	5,097		-5,097
अक्टूबर से दिसंबर 2022	श्रम	7,99,21,157	0.300	129.77	122.13	11,24,904	41,99,936	30,75,032
	सामग्री	7,99,21,157	0.040	151.97	146	98,040	3,66,043	2,68,003
	एचएसडी	7,99,21,157	0.500	191.1	141.20	10,591,534	3,17,80,613	2,11,89,079

तिमाही	घटक	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= 0.75*(3)*(4)*{(5)-(6)}/(6)	(8)	(9)=(8-7)
	सीमेंट	7,99,21,157	0.040	134.37	127.43	1,30,578	4,87,526	3,56,948
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	7,99,21,157	0.108	159.8	158.7	44,871	155145	1,10,274
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	7,99,21,157	0.012	146.1	146.87	-3,771		3,771
जनवरी से मार्च 2023	श्रम	21,02,47,421	0.300	130.6	122.13	32,80,758	1973829	-13,06,929
	सामग्री	21,02,47,421	0.040	150.87	146	2,10,391	126579	-83,812
	एचएसडी	21,02,47,421	0.500	180.57	141.20	2,19,83,289	10116114	-1,18,67,175
	सीमेंट	21,02,47,421	0.040	136.63	127.43	4,55,374	273970	-1,81,404
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	21,02,47,421	0.108	159.23	158.7	56,874	43363	-13,511
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	21,02,47,421	0.012	148.1	146.87	15,847		-15,847
अप्रैल से जून 2023	श्रम	21,55,98,372	0.300	132.73	122.13	42,10,285	0	-42,10,285
	सामग्री	21,55,98,372	0.040	149.8	146	1,68,344	0	-1,68,344
	एचएसडी	21,55,98,372	0.500	170.07	141.20	1,65,30,608	0	-1,65,30,608
	सीमेंट	21,55,98,372	0.040	135.23	127.43	3,95,904	0	-3,95,904
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	21,55,98,372	0.108	157.13	158.7	-1,72,764	0	1,72,764
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	21,55,98,372	0.012	143.93	146.87	-38,798		38,798
जुलाई से सितंबर 2023	श्रम	7,04,60,192	0.300	133.07	122.13	14,20,108	0	-14,20,108
	सामग्री	7,04,60,192	0.040	152.13	146	88,751	0	-88,751
	एचएसडी	7,04,60,192	0.500	172.17	141.20	57,95,376	0	-57,95,376
	सीमेंट	7,04,60,192	0.040	135.57	127.43	1,35,026	0	-1,35,026

तिमाही	घटक	मूल्य विचलन हेतु स्वीकार्य कार्य का मूल्य (वास्तविक कार्य) (₹ में)	घटक का भारांश	तिमाही के लिए औसत सूचकांक	आधार तिमाही/माह का औसत सूचकांक	देय मूल्य विचलन राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की भुगतान की गई राशि (₹ में)	मूल्य विचलन की अधिक भुगतान की गई राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= 0.75*(3)*(4)*{(5)-(6)}/(6)	(8)	(9)=(8-7)
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	7,04,60,192	0.108	155.47	158.7	-1,16,159	0	1,16,159
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	7,04,60,192	0.012	141.37	146.87	-23,762		23,762
अक्टूबर से दिसंबर 2023 तक	श्रम	14,09,06,554	0.300	131.3	122.13	23,80,459	0	-23,80,459
	सामग्री	14,09,06,554	0.040	152.47	146	1,87,329	0	-1,87,329
	एचएसडी	14,09,06,554	0.500	173.8	141.20	1,21,99,594	0	-1,21,99,594
	सीमेंट	14,09,06,554	0.040	135.97	127.43	2,83,295	0	-2,83,295
	स्टील (पिग आयरन, 90%)	14,09,06,554	0.108	152.17	158.7	-4,69,626	0	4,69,626
	स्टील (माइल्ड स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स 10%)	14,09,06,554	0.012	141.47	146.87	-46,655		46,655
कुल						**9,45,29,069**	**9,89,56,579**	**44,27,510**

परिशिष्ट–5

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.2)

जेजेएम की चयनित योजनाओं में संविदा अनुबंध की धारा 2 के अन्तर्गत कार्य की आनुपातिक प्रगति को बनाए न रखने के कारण क्षतिपूर्ति का आरोपण नही किये जाने को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	कार्य आदेश संख्या/दिनांक	कार्य आदेश राशि (टेंडर प्रीमियम घटाने के पश्चात्)	कार्य पूर्ण होने की निर्धारित तिथि	निर्धारित तिथि तक किए गए कार्य का मूल्य	निर्धारित तिथि तक बकाया कार्य का मूल्य	धारा 2 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति राशि (शेष कार्य का 10 प्रतिशत)
1	जावली	5587-92/09.12.2022	189.11	18.09.2023	119.94	69.17	6.92
2	रतावली	4357-60/24.12.2021	28.29	03.07.2022	8.08	20.21	2.02
3	रतनपुरा	1132-35/14.06.2021	25.02	23.09.2021	5.89	19.13	1.91
4	प्रेमपुरा	3889-92/27.01.2022	68.02	05.11.2022	8.85	59.17	5.92
5	बलदेव पुरा और बटावदा	9604-19/09.11.2021	2,670.38	18.11.2022	1,322.99	225.78	22.58
6	मऊ	8152-66/06.10.2021	2,279.08	15.10.2022	585.67	1,693.41	169.34
7	13एचएमएच	18173-78/10.01.2022	1,121.05	19.01.2023	0	1,121.05	112.1
8	20 एलएलडब्ल्यू	1668-73/09.07.2021	44.57	18.11.2021	14.46	30.11	3.01
9	भोजका और सगरा	17705/16.03.2022	20,757.8	24.12.2023	7,969.2	12,788.6	1,278.86
10	डोरनारी	10476/03.02.2022	1,229.37	11.02.2023	789.7	439.67	43.97
11	हथलाई	1681/30.07.2021	100.41	08.05.2022	86.14	14.27	1.43
12	निम्बाड़ा	10337/01.02.2022	468.15	10.11.2022	417.35	50.8	5.08
13	भूतगांव	5885-94/26.08.2022	238.64	03.06.2023	209.93	28.71	2.87
14	पांडुरी	2553/05.07.2021	82.24	14.04.2022	16.5	65.74	6.57
15	डेरना	8924/30.11.2021	120.65	09.09.2022	49.2	71.45	7.15
16	आलम का गांव	15089/28.03.2022	948.97	05.04.2023	914.91	34.06	3.41
17	धाकड़ी	13101-110/03.02.2023	306.73	11.11.2023	273.19	33.54	3.35
18	जामोतड़ा	5875-5884/26.08.2022	216.44	04.06.2023	166.58	49.9	4.99
		कुल				**16,814.77**	**1,681.48**

परिशिष्ट–6

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.3)

तृतीय–पक्ष निरीक्षण एजेंसियों (टीपीआईए) द्वारा पूर्व–जांच के बिना, संवेदको को रनिंग बिलों के अनियमित भुगतान को दर्शाने वाला विवरण–पत्र

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए रनिंग बिलों की संख्या (दिसंबर 2024 तक)	योजना पर किया गया कुल व्यय	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को भुगतान किये गए रनिंग बिलों की संख्या	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को किया गया कुल भुगतान
1	जावली	3	138.17	3	119.94
2	रतावली	2	15.28	2	13.02
3	रतनपुरा	4	24.47	4	21.46
4	प्रेमपुरा	4	68.72	4	66.45
5	बलदेव पुरा और बटावदा	16	2,707.09	16	2,644.34
6	मऊ	4	988.54	2	437.68
7	सीमली	5	381.81	5	321.23
8	13एचएमएच	3	23.88	3	12.71
9	20 एलएलडब्ल्यू	2	23.02	2	23.02
10	1सीएलडी	10	95.47	10	95.47
11	मलकासर	13	686.59	13	686.59
12	भोजका और सगरा	21	9,844.78	11	4,261.62
13	आलम का गांव	9	914.91	9	914.91
14	जोगा	3	196.02	3	196.02
15	खाराबेरा पुरोहितान	4	94.89	4	94.89
16	खेजड़ली खुर्द	4	33.38	4	33.38
17	जालेली चम्पावतां	2	75.76	2	75.76
18	जाटियावास	4	99.11	4	99.11
19	धाकड़ी	7	274.85	7	273.19
20	डोरनारी	7	947.41	7	910

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	योजना का नाम	संवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए रनिंग बिलों की संख्या (दिसंबर 2024 तक)	योजना पर किया गया कुल व्यय	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को भुगतान किये गए रनिंग बिलों की संख्या	टीपीआईए की पूर्व जांच के बिना संवेदक को किया गया कुल भुगतान
21	हथलाई	2	86.14	2	86.14
22	निम्बाड़ा	5	417.35	5	417.35
23	भूतगांव	7	209.92	5	149.62
24	जामोतड़ा	6	166.58	4	98.52
25	पांडुरी	3	77.1	3	77.1
26	डेरना	6	101.45	6	101.45
	कुल	**156**	**18,692.69**	**140**	**12,230.97**

परिशिष्ट-7

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

माप पुस्तिका के अनुसार संवेदक द्वारा किए गए कार्य के मूल्य और वास्तव में प्रस्तुत बीजक के मध्य अंतर को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	एमबी-627 की पृष्ठ संख्या	एमबी के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	सामग्री बीजक संख्या एवं तिथि (संवेदक द्वारा प्रस्तुत)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	मात्रा, जिसके लिए लेखापरीक्षा को बीजक उपलब्ध नहीं कराये गए (मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)
एचडीपीई कॉइल 75 मिमी पीई 80 पीएन 6	28	19,260	249 दिनांक 17.10.2022, 220 दिनांक 25.09.2022 और 228 दिनांक 02.10.2022	3533, 3400, 3400	10,333	8,927
एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	64,000	236, 237 दिनांक 22.10.2022, 248 दिनांक 17.10.2022, 203 दिनांक 17.09.2022, 205 दिनांक 18.09.2022, 206, 207 दिनांक 19.09.2022, 215 दिनांक 23.09.2022, 218, 219 दिनांक 25.09.2022, 225 दिनांक 29.09.2022, 226 दिनांक 30.09.2022	2175, 2200, 2145, 2420, 2420, 2159, 2200, 2190, 2200, 2200, 2174, 2200	26,683	37,317
एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	8,598	211, 212 दिनांक 21.09.2022, 213, 214 दिनांक 23.09.2022, 229 दिनांक 02.10.2022 और 231 दिनांक 03.10.2022	1250, 1250, 1290, 1430, 1450, 1450	8,120	478
एचडीपीई कॉइल 125 मिमी पीई 80 पीएन 6	29	2,610	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	2,610
एचडीपीई कॉइल 140 मिमी पीई 80 पी एन 6	29	3,054	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	3,054
एचडीपीई कॉइल 160 मिमी पीई 80 पीएन 6	30	5,388	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	5,388
एचडीपीई कॉइल 180 मिमी पीई 80 पीएन 6	30	540	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	540
डीआई के-7 100 मिमी	27	1,200	258 दिनांक 18.10.2022	1100	1,100	100

विवरण	एमबी–627 की पृष्ठ संख्या	एमबी के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	सामग्री बीजक संख्या एवं तिथि (संवेदक द्वारा प्रस्तुत)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की लंबाई (मीटर में)	प्रस्तुत बीजक के अनुसार पाइप की कुल लंबाई (मीटर में)	मात्रा, जिसके लिए लेखापरीक्षा को बीजक उपलब्ध नहीं कराये गए (मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(3)-(6)
डीआई के-7 150 मिमी	28	6,217	245, 246, 247 दिनांक 17.10.2022 और 248, 255, 257 दिनांक 18.10.2022	हर बिल में 990 मीटर	5,940	277
डीआई के-9 100 मिमी	26	90	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	90
डीआई के-9 150 मिमी	27	125	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	125
डीआई के-9 200 मिमी	27	138	बीजक उपलब्ध नहीं कराया गया	-	-	138
कुल		**1,11,220**			**52,176**	**59,044**

परिशिष्ट–8

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

संवेदक को संदिग्ध भुगतान को दर्शाने वाले 12 बीजकों का विवरण–पत्र

क्रम संख्या	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजको का विवरण					जमा किए गए बीजक के आधार पर संवेदक को किया गया भुगतान		जीएसटी ई–चालान सत्यापन पोर्टल के अनुसार विवरण		
		बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइपों की मात्रा	बीजक की राशि (₹ में)	फर्म का नाम	बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक की राशि (₹ में)
1	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	255	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
2	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	248	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
3	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	257	18/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
4	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	246	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
5	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	247	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
6	डीआई पाइप के-7 150 मिमी	245	17/10/2022	990	1593900	लक्की एंटरप्राइजेज	1644	1627560	193	1/9/2022	1248000
7	डीआई पाइप के-7 100 मिमी	258	18/10/2022	1100	1243004	लक्की एंटरप्राइजेज	1145	1259500	193	1/9/2022	1248000
8	एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पीएन 6	203/09/ 2022-23	17/9/2022	2420	508211	श्री श्याम इरीगेशन	236	571120	220/09/2022-23	25/9/2022	503225
9	एचडीपीई कॉइल 90 मिमी पीई 80 पी एन 6	205/09/ 2022-23	18/9/2022	2420	508211	श्री श्याम इरीगेशन	236	571120	220/09/2022-23	25/9/2022	503225
10	एचडीपीई कॉइल 75 मिमी पीई 80 पीएन 6	228/10/ 2022-23	2/10/2022	3400	503225	श्री श्याम इरीगेशन	162	550800	220/09/2022-23	25/9/2022	503225
11	एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पी एन 6	229/10/ 2022-23	2/10/2022	1450	455297	श्री श्याम इरीगेशन	360	522000	220/09/2022-23	25/9/2022	503225
12	एचडीपीई कॉइल 110 मिमी पीई 80 पीएन 6	231/10/ 2022-23	3/10/2022	1450	455297	श्री श्याम इरीगेशन	360	522000	220/09/2022-23	25/9/2022	503225
	कुल			**18180**				**13761900**			
						3.71 प्रतिशत कम टीपी		**-510566**			
						संवेदक को भुगतान की गई शुद्ध राशि		**13251334**			

परिशिष्ट-9

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.1)

ई-वे बिल पोर्टल पर भिन्न गंतव्य स्थान वाले बीजकों/ई-वे बिल विवरण के अभाव का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	सामग्री	बीजक संख्या	तिथि	ई-वे बिल पोर्टल पर दर्ज गंतव्य स्थान	मात्रा	बीजक की राशि (₹ में)	बीजक के आधार पर किए गए कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(6)*(8)
(A)	ई-वे बिल पोर्टल पर कार्यस्थल (खुईयाला) के स्थान पर अलग गंतव्य वाले बीजक की सूची							
1	एचडीपीई पाइप PE80 110 मिमी	203/09/2022-23	16/09/2022	रामसर	750	6,34,300	360	2,70,000
	एचडीपीई पाइप PE80 125 मिमी				1,002		439	4,39,878
2	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00184/09/2022-23	03/09/2022	रामसर	2,200	4,51,003	236	,519,200
3	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00186/09/2022-23	04/09/2022	रामसर	2,188	4,48,543	236	5,16,368
4	एचडीपीई पाइप PE80 90 मिमी	00179/08/2022-23	25/08/2022	रामसर	2,640	5,41,204	236	6,23,040
(B)	ई-वे बिल विवरण के अभाव वाले बीजको की सूची							
5	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	308	15/11/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	500	8,05,000	1644	8,22,000
6	डीआई पाइप 100 मिमी के-7	206	09/09/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	440	4,97,200	1145	5,03,800
7	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	275	31/10/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	962	15,48,820	1644	15,81,528
8	डीआई पाइप 150 मिमी के-7	280	31/10/2022	ई-वे बिल की जानकारी उपलब्ध नहीं	1,033.5	16,63,935	1644	16,99,074
	कुल राशि				**11,715.5**	**65,90,005**		**69,74,888**
					घटाया गया (3.71 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)			**-2,58,768**
					कुल संदिग्ध भुगतान			**67,16,120**

परिशिष्ट-10

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.2 (i))

जीएसटी ई-इन्वॉइस सत्यापन पोर्टल की तुलना में भिन्न आईआरएन वाले बीजकों का विवरण-पत्र

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक में दर्शाई गई राशि	बीजक में दर्शाई गई पाइप की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) =(7)*(8)
1	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 90 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-190	19/05/2022	5,67,589	2640	264	6,96,960
2	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 90 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-193	20/05/2022	5,17,614	1100	264	2,90,400
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-193	20/05/2022		875	399	3,49,125
3	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-194	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
4	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-195	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
5	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-196	20/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
6	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-203	21/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
7	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 110 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-204	21/05/2022	4,01,598	1250	399	4,98,750
8	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-188	19/05/2022	8,80,795	546	572	3,12,312

क्रम संख्या	फर्म का नाम	विवरण	संवेदक द्वारा प्रस्तुत बीजक संख्या	बीजक की तिथि	बीजक में दर्शाई गई राशि	बीजक में दर्शाई गई पाइप की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 140 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-188	19/05/2022		546	713	3,89,298
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-188	19/05/2022		546	897	4,89,762
9	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-189	19/05/2022	16,58,867	1518	572	8,68,296
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-189	19/05/2022		1518	897	13,61,646
10	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 125 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-185	19/05/2022	14,51,860	900	572	5,14,800
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 140 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-185	19/05/2022		900	713	6,41,700
	आरवी एंटरप्राइजेज, जयपुर	एचडीपीई पाइप 160 मिमी पीई-80 पीएन 6	जीएसटी-185	19/05/2022		900	897	8,07,300
कुल राशि								**92,15,349**
कुल राशि का 95 प्रतिशत (क्योंकि अब तक 95 प्रतिशत भुगतान किया गया है)								**87,54,582**
घटाया गया (1.78 प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)								**–1,55,832**
कुल संदिग्ध भुगतान								**85,98,750**

परिशिष्ट-11

(सन्दर्भ अनुच्छेद 7.2.6.2 (iii))

भिन्न संवेदकों के नाम वाले बीजकों का विवरण-पत्र (मेसर्स विष्णु इंफ्रास्ट्रक्चर (जीएसटी संख्या 08AAIFV0667L1ZN))

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइप का विवरण	बीजक राशि (₹ में)	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10) =(8)*(9)
1	रश्मि मेटालिक्स लिमिटेड	आरवी1911017980	26/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	16,94,005.73	1,540	1,262	19,43,480
2		आरवी1911018023	27/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	19,66,256.66	1,787.5	1,262	22,55,825
3		आरवी1911018088	27/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
4		आरवी1911018125	28/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
5		आरवी1911018158	28/11/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,57,006.96	1,870	1,262	23,59,940
6		आरवी1911020725	19/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
7		आरवी1911020724	19/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.85	1,842.5	1,262	23,25,235
8		आरवी1911020840	20/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
9		आरवी1911020795	20/12/2022	डीआई 100 मिमी के-7	20,26,756.86	1,842.5	1,262	23,25,235
10		आरवी1911018720	02/12/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,29,934.76	929.5	1,795	16,68,452.5
				डीआई 200 मिमी के-7		49.5	2,202	1,08,999
11		आरवी1911018852	03/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
12		आरवी1911019067	05/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
13		आरवी1911019069	05/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
14		आरवी1911019505	08/12/2022	डीआई 200 मिमी के-7	24,07,896.01	1,210	2,202	26,64,420
15		आरवी1911019931	12/12/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
16		आरवी1911018377	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
17		आरवी1911018398	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता का नाम	बीजक संख्या	बीजक की तिथि	पाइप का विवरण	बीजक राशि (₹ में)	पाइपों की मात्रा (मीटर में)	बीजक के आधार पर संवेदक को किये कार्य का भुगतान	
							बीओक्यू में दर (₹/मीटर में)	बीओक्यू के अनुसार राशि (₹ में)
(1)	(3)	(5)	(6)	(4)	(7)	(8)	(9)	(10) =(8)*(9)
18		आरवी1911018442	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
19		आरवी1911018447	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
20		आरवी1911018448	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
21		आरवी1911018460	30/11/2022	डीआई 250 मिमी के-7	7,70,470.11	302.5	2,851	8,62,427.5
22		आरवी1911018501	30/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,75,419.91	1,023	1,795	18,36,285
23		आरवी1911018566	30/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,66,949.92	1,017.5	1,795	18,26,412.5
24		आरवी1911018217	28/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,41,539.91	1,001	1,795	17,96,795
25		आरवी1911018343	29/11/2022	डीआई 150 मिमी के-7	15,83,889.92	1,028.5	1,795	18,46,157.5
कुल राशि								**4,63,57,839**
कुल राशि का **90** *प्रतिशत* (क्योंकि अब तक **90** प्रतिशत भुगतान किया गया है)								4,17,22,055
घटाया गया (**1.78** प्रतिशत टेंडर प्रीमियम)								-7,42,653
कुल संदिग्ध भुगतान								**4,09,79,402**

© भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

www.cag.gov.in

http://cag.gov.in/ag2/rajasthan/hi